

अध्याय- 2: निष्पादन लेखा परीक्षा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

कार्यपालन सारांश

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को स्थायी आधार पर पीने योग्य पानी, पकाने तथा घरेलू बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिये सुरक्षित पानी प्रदाय करने हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (2009) का पुनः नाम दिया गया था। वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा 50 जिलों में से 23 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा मई से सितम्बर 2013 तक की गई।

- योजना के दिशा निर्देशों में परिकल्पित राज्य तथा जिला स्तर पर नीचे पहुँच स्तर तक व्यापक जल सुरक्षा योजनाओं को अंगीकृत नहीं किया गया था। योजना तैयार करने में प्रतिमान 80 प्रतिशत भू-जल आधारित प्रणालियों को 20 प्रतिशत तक स्थानान्तरण पर ध्यान नहीं दिया गया था, परिणामस्वरूप नलकूप खनन की संख्या में वृद्धि हुई।
- निधियों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। निधियों का घटकवार आवंटन एवं उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से पी.वी.सी. पाईपों का क्रय किया जाना, सामग्री आपूर्ति करने के लिये अधिकृत नहीं था। इसके अलावा, खुली निविदाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं उठाया गया। देय छूट का लाभ भी नहीं उठाया गया था।
- गिरते हुये भूजल स्तर तथा स्रोतों के सूख जाने के कारण पूरी तरह से आच्छादित बसाहटें स्लिप बैक हुई। मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में राज्य में उल्लेखनीय संख्या में बसाहटों, ग्रामीण स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों को आच्छादित किया जाना बाकी था।
- निश्चित मान तक पानी के नमूनों का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिये बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ मानवशक्ति के संदर्भ में प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया जाना बाकी था।
- निविदा प्रीमियम, सेन्टेज प्रभार तथा अस्वीकार्य योग्य कार्य कार्यक्रम निधि पर भारित किए गए जबकि इन्हें राज्य निधि से किया जाना था।
- तकनीकी संवर्ग, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं खंड संसाधन केंद्रों में मानवशक्ति की कमी थी जिससे कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावित रहा। प्रशिक्षण कैलेन्डर के अनुसार क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये गये।
- कार्यक्रमों की समुचित निगरानी करने के लिये राज्य स्तरीय समितियों की नियमित रूप से बैठकें नहीं हुई। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में उपलब्धियों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टियों का स्थानान्तरण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणीकृत नहीं किया गया।

2.1.1 प्रस्तावना

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के प्रथम तीन चरण¹ अवधि 1972-2009 के दौरान निर्धारित किये गये। चौथे चरण (2009-12) में पानी की उपलब्धता की संवहनीयता, सहायक गतिविधियाँ एवं जल गुणवत्ता अनुवीक्षण तथा निगरानी कार्यक्रम के सुनिश्चित किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना था। अप्रैल 2009 से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिये, हर समय सुरक्षित पानी की उपलब्धता की दृष्टि से ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम दिया गया। कार्यक्रम के छः घटक थे तथा तीन घटकों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार प्रत्येक का 50 प्रतिशत हिस्सा था तथा तीन घटकों में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जाना था। तथापि कार्यक्रम जारी है तथा वर्ष 2012-13 में भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों द्वारा धनराशि का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत इन छः घटकों अर्थात् आच्छादन, जल गुणवत्ता, संचालन एवं रखरखाव (ओ.एण्ड एम.), संवहनीयता, सहायक गतिविधियाँ तथा जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये चिन्हित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी पीने के पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं यह सुनिश्चित करना कि पानी की गुणवत्ता, आपूर्ति एवं खपत दोनों बिंदुओं पर निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
- यह देखना कि जल की सुग्राह्यता, विश्वसनीयता, संवहनीयता, सुविधा, समता तथा उपभोक्ता की वरीयता के मुद्दे सामुदायिक आधार पर जल प्रदाय पद्धति की आयोजना के समय मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
- समुदायों को उनके पीने के पानी के स्रोतों के प्रबंधन, अनुवीक्षण और निगरानी बनाये रखने के योग्य बनाना।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और जानकारी के साथ निर्णय लिए जाने हेतु ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से सूचनाएँ सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध करवाते हुए सूचनाओं तक पहुंच उपलब्ध करवाना।

मध्यप्रदेश में, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 51,541 ग्रामों (1.27 लाख बसाहटें) को आच्छादित करने हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है। 2009-10 के प्रारंभ में कोई भी बसाहट अनाच्छादित नहीं थी। हालांकि, ग्यारहवीं योजना अवधि अर्थात् मार्च 2012 तक 78,377 बसाहटें आंशिक रूप से आच्छादित थीं जो पूरी तरह आच्छादित होने के लिए बचीं थी। 2012-13 के अंत में 43,632 बसाहटें जोकि कुल बसाहटों की 34 प्रतिशत थी पूरी तरह आच्छादन के लिये शेष थी। छः घटकों में से तीन घटक यथा आच्छादन, जल गुणवत्ता, संचालन एवं रखरखाव 50:50 प्रतिशत हिस्से के आधार पर तथा संवहनीयता, सहायक गतिविधियाँ एवं जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी कार्यक्रम घटक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थे। अवधि 2009-13 के


¹ प्रथम चरण (1972-86) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.-ग्रामीण समुदाय को पर्याप्त पीने का पानी सुनिश्चित करने के प्रावधान किया जाना, द्वितीय चरण (1986-99): तकनीकी मिशन-पानी की गुणवत्ता, तकनीकी हस्तक्षेप मानव संसाधन विकास सहायता आदि पर जोर देना, तृतीय चरण (1999-2009): कार्यक्रम की रूपरेखा में समुदाय को शामिल करना, पीने योग्य पानी की योजना का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन।

दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम के लिये अपने हिस्से की राशि ₹ 3046.18 करोड़ जारी की गई जिसके विरुद्ध ₹ 2861.79 करोड़ का व्यय किया गया।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

कार्यक्रम का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिसके शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैं द्वारा किया गया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की संगठनात्मक संरचना नीचे चार्ट में दी गई है:



प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पूरे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख अभियंता विभाग के कार्यकारी प्रमुख है। राज्य जल मिशन जिलों को निधियाँ जारी करता है तथा कार्यक्रम निधि के लेखों का रखरखाव करता है तथा राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है जो कि सभी ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का अनुमोदन एवं योजनाओं की समीक्षा करते हैं। राज्य तकनीकी अभिकरण, बड़ी जल प्रदाय योजनाओं को तैयार करने में विभाग की सहायता करता है तथा जल स्वच्छता सहायता संगठन विभाग की मानव संसाधन विभाग की गतिविधियों में सहायता करता है।

2.1.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा के उद्देश्य यह जांच करना था कि:

- कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिये प्रभावी योजना तैयार की गई थी;

- बजट प्रावधान, निधियों की प्राप्ति तथा उपयोग तथा भारत सरकार को उनको प्रतिवेदित किया जाना पर्याप्त तथा किफायती थे;
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण करने के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप था;
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भू जल पुनर्भरण प्रभावी था;
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये मानव संसाधन प्रबंधन पर्याप्त था; और
- निगरानी तथा मूल्यांकन प्रभावी था।

2.1.4 लेखा परीक्षा के मापदण्ड

लेखा परीक्षा के मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे;

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाएं तथा कार्यक्रम पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश;
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एकीकृत दर अनुसूची, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एम.पी.पी.डब्ल्यू.डी.) की नियमावली;
- परियोजनाओं के प्रतिवेदन अलग-अलग योजनाओं के प्राक्कलन तथा स्वीकृति आदेश; तथा
- सामान्य वित्तीय नियम, मध्य प्रदेश कोष संहिता, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता एवं वित्त विभाग के आदेश।

2.1.5 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अवधि 2009-10 से 2012-13 तक प्रमुख अभियंता एवं 50 जिलों में से 23² जिलों के कार्यपालन यंत्रियों के कार्यालयों (मई से सितम्बर 2013) के अभिलेखों की नमूना जांच कर समीक्षा की गई। लेखा परीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड पर विचार विमर्श हेतु प्रवेश सम्मेलन 20 मई 2013 को सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रमुख अभियंता के साथ आयोजित हुआ। निर्गम सम्मेलन 27 दिसम्बर 2013 को अतिरिक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ हुआ जिसमें विभाग द्वारा दिये गये विचार/उत्तर समीक्षा में उपयुक्त तरीके से सम्मिलित किये गये।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, ग्राम जल सुरक्षा योजनायें तैयार की जानी चाहिए थी जिसमें अन्य बातों के साथ जनसांख्यिकीय और भौतिक सुविधाओं, जल स्रोतों, घरेलू स्तर पर पीने तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं,

² अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मंदसौर, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, उज्जैन तथा उमरिया

बुनियादी ढांचे के अंतराल तथा मौजूदा बुनियादी ढांचे एवं जल स्रोतों के बढ़ाने के प्रस्तावित कार्य को शामिल किया जाना चाहिए। ग्राम जल सुरक्षा योजना में, जल प्रदाय योजनाओं के प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव का विवरण होना चाहिए। सभी ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं के आधार पर जिला जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार की जानी थी। राज्य स्तर पर प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एक वार्षिक व्यापक जल सुरक्षा कार्य योजना तथा पंचवर्षीय सतत् योजना तैयार की जानी थी। अगले वित्त वर्ष की वार्षिक कार्य योजना प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह तक भारत सरकार को प्रस्तुत की जानी थी।

हमने पाया कि ग्यारहवीं (2007-12) तथा बारहवीं (2012-17) पंचवर्षीय योजना में वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। जिससे यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि पंचवर्षीय योजना के तारतम्य में वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी। 2009-10 को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी। हमने पाया कि वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को मार्च से मई के मध्य तीन माह की देरी तक प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

नियोजन प्रक्रिया के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

2.1.6.1 ग्राम जल सुरक्षा योजना तथा जिला जल सुरक्षा योजना

कार्यक्रम में निहित ग्राम समुदाय द्वारा गैर सरकारी संगठनों की सहायता से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा पेयजल सुरक्षा को सम्मिलित करते हुए नियोजन प्रक्रिया में नीचे पहुंच स्तर तक ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की जानी थी। जिले की सभी ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं के आधार पर जिला जल सुरक्षा योजना तैयार की जानी थी।

हमने पाया कि 23 जांच किए गए जिलों में ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं तैयार नहीं की गई थी। इनके स्थान पर, उन्होंने पूरे जिले की योजना तैयार की, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिले के लिए योजना शामिल की गई। इस प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की अलग से योजना तैयार नहीं की गई। तथापि जिला योजना में पूर्व से आच्छादित, आंशिक आच्छादित, आच्छादन के लिये शेष, स्लिप बैक बसाहटें, सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए योजना और मानव संसाधन विकास की जानकारी नहीं थी। नियोजन प्रक्रिया में जल स्रोतों की उपलब्धता पर मौसम के बदलाव के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया।

नीचे स्तर से ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों से आवश्यक जानकारी के अभाव में ग्रामों की आवश्यकता के आकलन के बिना कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया। इस प्रकार, नीचे स्तर तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने (दिसम्बर 2013) योजना तैयार करने में कमी को स्वीकार किया एवं कहा कि भारत सरकार के निर्देशों पर ग्राम जल सुरक्षा योजना के विकास के लिये दो मार्गदर्शी परियोजनाएं लागू की गईं, इसी के आधार पर ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की जाएंगी। इसके पश्चात ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं एवं जिला जल सुरक्षा योजनाओं को समाहित करते हुए राज्य योजना तैयार की जाएंगी।

योजना का नीचे स्तर तक पहुंच का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया, क्योंकि ग्राम स्तर पर कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गई

2.1.6.2 भूजल में गिरावट रोकने के लिये नीतिगत ढांचे में स्थानान्तरण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका (2009) के अनुलग्नक-II के अनुसार भू-जल में तेजी से गिरावट को रोकने की दृष्टि के साथ, विभाग को प्रतिमान स्थानान्तरण पर 80 प्रतिशत भू-जल आधारित प्रणालियों को 20 प्रतिशत पर लाना था तथा शेष को संयुक्त उपयोग रूप में छत जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण तथा सतह जल संग्रहण से जोड़ना था।

वर्ष 2009-13 के दौरान नलकूपों के खनन में वृद्धि हुई जिससे भू जल निर्भरता को कम करने का उद्देश्य विफल हुआ

इस संबंध में भू जल पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अवधि 2009-13 में विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने अथवा लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में कोई अभिलेख नहीं दिखाया गया। यह भी देखा गया कि अवधि 2009-13 के दौरान नलकूप खननों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति थी।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि भू जल योजनाओं के स्थल जल आधारित नल जल प्रदाय योजनाओं में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की स्थापना (जून 2012) की। वर्ष 2013-14 के दौरान निगम ने नदी स्रोत से 25 बहु ग्राम नल जल प्रदाय योजनाओं को लिया। हैंडपंपों के माध्यम से बसाहटों के आच्छादन के आवंटन में भी कमी की गई।

2.1.6.3 अन्य विभागों के साथ अभिसरण

मार्गदर्शिका में निहित, संवहनीयता ढांचों के निर्माण में नियोजन प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वाटरशेड परियोजनाएं तथा सिंचाई योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाना था।

अन्य योजनाओं/ विभागों से अभिसरण पर ध्यान नहीं दिया गया

हमने पाया कि वार्षिक कार्य योजनाओं तथा जिला जल सुरक्षा योजनाओं में एक जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया गया। साथ ही, हमने पाया कि, 23 जिलों में से 11³ जिलों में ₹ 44.06 लाख के संवहनीयता कार्यों में मजदूरी घटक का भुगतान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम मद से किया गया जो कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से किया जाना था, यह अन्य विभागों/योजनाओं के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अभिसरण की कमी को दर्शाता है।

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा कहा कि संवहनीयता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये अन्य एक जैसे विभागों से अभिसरण करने हेतु मैदानी कार्यालयों को निर्देश (सितम्बर 2013) जारी किए गए।

2.1.7 वित्तीय प्रबंधन

2.1.7.1 वित्तीय व्यवस्था

कार्यक्रम लागत के हिस्से के आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। छः घटकों में से, तीन घटकों जैसे आच्छादन, जल गुणवत्ता एवं संचालन एवं रखरखाव में 50-50 प्रतिशत का लागत हिस्सा था एवं अन्य तीन घटकों जैसे संवहनीयता, सहायता गतिविधियाँ तथा पेयजल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी कार्यक्रम, में भारत

³ अनूपपुर ₹ 1.08 लाख, बड़वानी ₹ 1.77 लाख, बैतूल ₹ 7.33 लाख, धार ₹ 3.83 लाख, झाबुआ ₹ 11.05 लाख, रायसेन ₹ 9.17 लाख, सागर ₹ 1.81 लाख, सतना ₹ 1.47 लाख, सिवनी ₹ 0.56 लाख, शाजापुर ₹ 3.30 लाख तथा उमरिया ₹ 2.69 लाख।

सरकार द्वारा 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाना था। घटक के हिसाब से वित्त पोषण व्यवस्था नीचे दर्शाई गई है:

तालिका-1 घटकवार वित्तीय व्यवस्था

घटक का नाम	2009-10 एवं 2010-11			2011-12			2012-13		
	घटक का प्रतिशत	राज्यांश (प्रतिशत)	केंद्रांश (प्रतिशत)	घटक का प्रतिशत	राज्यांश (प्रतिशत)	केंद्रांश (प्रतिशत)	घटक का प्रतिशत	राज्यांश (प्रतिशत)	केंद्रांश (प्रतिशत)
1- आच्छादन ⁴	45	50	50	45	50	50	47	50	50
2- जलगुणवत्ता ⁵	20	50	50	20	50	50	20	50	50
3- संचालन एवं रखरखाव ⁶	10	50	50	10	50	50	15	50	50
4- संवहनीयता ⁷	20	0	100	20	0	100	10	0	100
5- सहायक गतिविधियाँ ⁸	5	0	100	3	0	100	5	0	100
6- जल गुणवत्ता अनुवीक्षण निगरानी कार्यक्रम ⁹	0	0	0	2	0	100	3	0	100
योग	100			100			100		

(स्रोत: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देश)

यह देखा गया कि एक वर्ष के दौरान कुल निधि के घटकवार विवरण में प्रत्येक वर्ष में अंतर था।

जांच के दौरान पाया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी निधि सीधे राज्य पेयजल निगम के नाम से कार्यक्रम एवं सहायक गतिविधि के खाते में जमा की गई जिससे राज्य पेयजल मिशन द्वारा जिला स्तर पर कार्यपालन यंत्रियों को निधियाँ जारी की गईं, जो कि कार्यक्रम एवं सहायक गतिविधियों के कार्यान्वयन करने के लिए अलग से बैंक खाते का संचालन करते हैं।

2.1.7.2 केंद्रीय निधि की प्राप्ति एवं व्यय

छः घटकों में से आच्छादन, जल गुणवत्ता, संचालन एवं रखरखाव, संवहनीयता के लेखे कार्यक्रम गतिविधियों के नाम से संधारित किये जाते हैं एवं अन्य घटकों जैसे सहायक गतिविधियाँ एवं पेयजल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी कार्यक्रम के लेखे सहायक गतिविधियों के नाम से संधारित किये जाते हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-13 के दौरान कार्यक्रम एवं सहायक गतिविधियों के लिये वर्षवार जारी निधियाँ एवं विभाग द्वारा किया गया व्यय तालिका क्रमांक-2 में दिया गया है:

⁴ आच्छादन घटक में जुड़े कार्य जैसे नलकूप खनन, हैंडपंप की स्थापना, पाइप लाइन बिछाना, ओवर हैड टंकी निर्माण, स्टेण्ड पोस्ट आदि।

⁵ जलगुणवत्ता घटक में जुड़े कार्य जैसे, फ्लोराइड मुक्त संयंत्रों की स्थापना, बहुत से ग्रामों की पाइप जल प्रदाय योजना, पंप गृह के साथ इंटेक बैल-कम-पंप हाउस, शोधन यंत्र, अवसादन संयंत्र आदि।

⁶ इस घटक में हैण्डपंप का संचालन एवं रखरखाव।

⁷ संवहनीयता घटक के अंतर्गत जैसे, बंधरोक, चकबंध, नालाबंध, गुल्लीप्लग, छत जल संग्रहण ढांचा तैयार करना।

⁸ सहायक गतिविधि के अंतर्गत संचार तथा क्षमता संवर्धन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, शोध एवं विकास आदि से संबंधित कार्य करना।

⁹ जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत पर जल नमूना जांच, इसी प्रकार उपखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर अनुश्रवण।

तालिका.2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रांश की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	घटक का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान अर्जित व्याज	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं जारी निधियां	राज्य स्तर पर कुल उपलब्ध निधियां (राज्य जल मिशन)	राज्य जल मिशन द्वारा जिलों को प्रदाय निधियां	संचालनालय तथा जिला द्वारा किया गया व्यय	अंतिम शेष (6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-10	कार्यक्रम	34.91	0.30	376.66	411.87	411.87	293.51	118.36
	सहायक गतिविधियां	5.36	0.01	3.00	8.37	8.36	6.18	2.19
	योग	40.27	0.31	379.66	420.24	420.23	299.69	120.55
2010-11	कार्यक्रम	118.36	3.65	378.35	500.36	404.69	379.36	121.00
	सहायक गतिविधियां	2.19	0.20	9.98	12.37	9.98	6.25	6.12
	योग	120.55	3.85	388.33	512.73	414.67	385.61	127.12
2011-12	कार्यक्रम	121.00	3.01	276.29	400.30	392.40	364.65	35.65
	सहायक गतिविधियां एवं ज.गु.प्र.नि.का.	6.12	0.19	16.49	22.80	16.83	18.06	4.74
	योग	127.12	3.20	292.78	423.10	409.23	382.71	40.39
2012-13	कार्यक्रम	35.65	उपलब्ध नहीं	536.08	571.73	436.56	412.12	159.61
	सहायक गतिविधियां एवं ज.गु.प्र.नि.का.	4.74	उपलब्ध नहीं	17.12	21.86	24.86	18.29	3.57
	योग	40.39	उपलब्ध नहीं	553.20	593.59	461.42	430.41	163.18
	महायोग		7.36	1613.97	1949.66	1705.55	1498.42	

(स्रोत:- एकत्रित आंकड़े/प्रमुख अभियंता, भोपाल द्वारा प्रदाय)

वर्ष 2009-13 के दौरान, उपलब्ध केंद्रांश निधि ₹ 1949.66 करोड़ में से, राज्य जल मिशन ने ₹ 1705.55 करोड़ (87 प्रतिशत) कार्यपालन यंत्रियों को जारी किया। तथापि 2012-13 के अंत में मिशन एवं कार्यपालन यंत्रियों के पास शेष ₹ 163.18 करोड़ अव्ययित रहे।

केंद्रीय अनुदान के साथ, कार्यक्रम के लिये राज्यांश नीचे दिये अनुसार आवंटन¹⁰ एवं व्यय किया गया:

तालिका.3 राज्यांश के जारी एवं व्यय दिखाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा जारी निधियां	जिलों एवं संचालनालयों द्वारा व्यय	बचत
2009-10	286.79	259.92	26.87
2010-11	366.27	333.47	32.79
2011-12	376.43	369.95	6.48
2012-13	402.72	400.03	2.70
योग	1432.21	1363.37	68.84

(स्रोत:- प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल द्वारा प्रदाय आंकड़े)

¹⁰ आच्छादन, जल गुणवत्ता तथा संचालन एवं संधारण के लिए

हमने पाया कि, राज्यांश राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के खाते में जमा नहीं किया गया था, इसके स्थान पर कोषालय प्रणाली से निधियाँ व्यय की गईं जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम निधि व्यपगत हुई। कार्यक्रम निधि व्यपगत होने के कारण, कार्यक्रम की गतिविधियाँ प्रभावित रहीं।

2.1.7.3 निधियों का जारी किया जाना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के ढांचे की कंड़िका 17 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का 50 प्रतिशत आवंटन जारी किया गया तथा द्वितीय किश्त वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक उपलब्ध धन स्रोत का 60 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर जारी किया जाना है।

निधियों को दो से अधिक किश्तों में जारी किया गया तथा उल्लेखनीय राशि मार्च माह में जारी की गई

हमने पाया कि, निधियों को वर्ष में दो किश्तों में जारी किये जाने के बजाय भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम की निधियाँ तीन से 10 किश्तों में जारी की गईं। 2009-13 के दौरान जारी ₹ 1613.97 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 229.38 करोड़ (14 प्रतिशत)¹¹ मार्च माह में जारी की गईं यद्यपि भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व प्रस्तुत किये गये थे।

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2013) स्वीकार किया गया कि उपलब्ध केंद्रीय निधि संवितरित नहीं की जा सकी क्योंकि द्वितीय किश्त देर से प्राप्त हुई।

2.1.7.4 घटकवार निधि जारी एवं व्यय

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निधियों का 2009-10 से 2012-13 के दौरान घटक-वार संवितरण एवं व्यय परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है। हमने पाया कि विविध घटकों के लिये निधियों के जारी एवं व्यय निधि के वितरण के अनुपात के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई:

घटकवार निधियों को जारी एवं व्यय करने में संतुलित पद्धति को नहीं अपनाया गया जिसके कारण संवहनीयता, सहायक गतिविधियों पर महत्व नहीं दिया गया

- आच्छादन तथा जलगुणवत्ता घटकों में 65/67 प्रतिशत मानदण्डों के विरुद्ध, निधियाँ 76 प्रतिशत (2012-13) से 82 प्रतिशत (2011-12) तक जारी की गईं। इन घटकों के अन्तर्गत मापदण्डों से 6 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक अधिक व्यय किया गया।
- संवहनीयता के अंतर्गत 20/10 प्रतिशत के मानदण्डों के विरुद्ध, पांच प्रतिशत से नौ प्रतिशत की सीमा तक निधियाँ जारी की गईं। व्यय मापदण्डों में 11 से 16 प्रतिशत तक कम किया गया।
- सहायक गतिविधि के अंतर्गत पाँच/आठ प्रतिशत मानदण्डों के विरुद्ध, एक से तीन प्रतिशत तक निधियाँ जारी की गईं। व्यय मानदण्डों की तुलना में तीन से चार प्रतिशत तक कम किया गया।

उपरोक्तानुसार यह देखा गया कि सरकार द्वारा आच्छादन एवं जल गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दिया गया यद्यपि चतुर्थ चरण में संवहनीयता, सहायक गतिविधियाँ तथा जल गुणवत्ता प्रबंधन निगरानी कार्यक्रम आदि पर ध्यान देना था।

¹¹ वर्ष 2009-10: 8 प्रतिशत, 2010-11: 11 प्रतिशत, 2011-12: 28 प्रतिशत

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में बताया गया कि अभिलेख की विस्तृत जांच कर उत्तर प्रस्तुत किया जावेगा।

- संचालन एवं रखरखाव घटक के लिये व्यय का भाग 2009-12 के दौरान 10 प्रतिशत और 2012-13 के दौरान 15 प्रतिशत था। तदनुसार संचालन एवं रखरखाव पर व्यय की सीमा 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान ₹ 66.64 करोड़ और ₹ 75.46 करोड़ थी। हालांकि वास्तविक व्यय क्रमशः ₹ 81.50 करोड़ एवं ₹ 85.84 करोड़ था। अतः निर्धारित सीमा से व्यय ₹ 25.24 करोड़ अधिक था।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि दिशा-निर्देशों के प्रावधान भ्रमपूर्ण और गलत छपे हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए पेयजल आपूर्ति विभाग, भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के पैरा क्रमांक 17(1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि संचालन एवं रखरखाव पर पिछले वर्ष जारी कुल निधि के 10 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए।

2.1.7.5 प्रतिवेदित आंकड़ों में गलत मिलान

प्रमुख अभियंता उपलब्ध निधियों के लेखे, व्यय और कार्यक्रम निधियों के अंतिम शेषों के लेखे (i) वार्षिक व्यय विवरण (ii) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली और (iii) सनदी लेखाकार द्वारा तैयार बैलेस शीट के रूप में संघारित करता है। सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित लेखे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लेखों के साथ समाशोधन विवरण से समर्थित होने चाहिए।

तीन विभिन्न लेखा प्रपत्रों के आंकड़ों में उल्लेखनीय अंतर था

हमने पाया कि, जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है, तीन लेखांकन प्रणालियों के अंतर्गत दिखाये गये विवरण/लेखों के प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष, कुल जारी राशि, कुल व्यय राज्य क्षेत्र एवं केन्द्र क्षेत्र के आंकड़ों में बहुत उल्लेखनीय उतार चढ़ाव थे। किसी भी स्तर पर कोई समाशोधन विभाग द्वारा नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग ने प्रतिवेदित आंकड़ों के गलत मिलान को स्वीकार किया और बताया कि संभागों द्वारा आनलाइन आंकड़े प्रविष्टि किए गए और राज्य स्तर पर संकलित किए गए लेकिन समय की कमी के कारण संशोधन एवं समाशोधन कठिन है। तथापि आंकड़ों को समाशोधित किया जायेगा और पुनरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किये जायेंगे।

2.1.7.6 उत्पाद शुल्क छूट का लाभ नहीं उठाया गया

विभाग के जल आपूर्ति एवं मल निकासी निर्माण कार्यों की एकीकृत दर अनुसूची की सामान्य टीप 13 दर्शाती है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रचलित नीति के तहत पाइपों के क्रय में किसी भी कर या ड्यूटी पर छूट का लाभ उठाया जायेगा। इसके अलावा, भारत सरकार की दिसम्बर 2009 की अधिसूचना में 10 सेमी.¹² से अधिक व्यास के पाइप क्रय पर उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।

¹² प्रथम स्रोत से जल पहुंच के स्थान तक जल प्रदाय परियोजना से संबंधित हिस्से

संभागों द्वारा कार्यक्रम के लिए पाइपों के क्रय पर उत्पाद शुल्क छूट का लाभ प्राप्त नहीं किया गया

पाँच¹³ नमूना जांच किए गये संभागों में इन पाइपों के क्रय संबंधी अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि फरवरी 2010 से मई 2013 तक संभागों द्वारा ₹ 2.03 करोड़ के पी.वी.सी. पाइपों के क्रय पर राशि ₹ 18.43 लाख के उत्पाद शुल्क छूट का लाभ नहीं उठाया गया।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग द्वारा कहा गया कि संबंधित मुख्य अभियंताओं से जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।

2.1.7.7 पाइपों के क्रय पर सेवा प्रभार का परिहार्य व्यय

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग-2 में वर्णित भंडार क्रय नियमावली के नियम 14 के साथ संलग्नक "ब" के अनुसार ऐसी मद जो कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय किये जाने हेतु आरक्षित हैं केवल मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय की जाएगी। पी.वी.सी. पाइप मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय किये जाने हेतु आरक्षित मद नहीं है। अतः पी.वी.सी. पाइप खुली निविदाओं के माध्यम से क्रय किये जाने चाहिए थे।

पी.वी.सी पाइपों के क्रय पर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को सेवाकर ₹ 87.52 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया

अवधि 2009-13 के दौरान 18 संभागों के क्रय अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि राशि ₹ 43.76 करोड़ के पी.वी.सी. पाइप खुली निविदाओं के बजाय मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से अधिप्राप्त किये गये। हमने पाया कि राशि ₹ 87.52 लाख¹⁴ का भुगतान सेवा प्रभार के रूप में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को किया गया, जिसे टाला जा सकता था यदि क्रय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सीधे किया जाता।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम एक शासकीय संस्था है जो कि सामग्री की अधिप्राप्ति में विशेषज्ञ है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत मद मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के लिए आरक्षित नहीं है और राशि ₹ 87.52 लाख का सेवा प्रभार के रूप में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को भुगतान किया गया था।

2.1.7.8 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि से अस्वीकार्य कार्यों को कार्यान्वित करना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से ₹ 2.72 करोड़ का व्यय किया गया जो स्वीकार्य नहीं था

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के पैरा 16.5 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जो व्यय पात्र नहीं पाये गये राज्य सरकार के द्वारा वहन किये जाने चाहिए और कार्यक्रम निधि में जमा किये जाने थे।

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि 23 नमूना जांच किये गये संभागों में से 13 संभागों द्वारा अवधि 2009-13 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि में से ऐसी विविध मदों जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के घटकों के दायरे से बाहर

¹³ अनूपपुर ₹ 6.11 लाख, सरदारपुर (धार) ₹ 7.41 लाख, सतना ₹ 1.32 लाख, सिवनी ₹ 0.90 लाख और उमरिया ₹ 2.69 लाख

¹⁴ अनूपपुर ₹ 1.61 लाख, बड़वानी ₹ 2.28 लाख, बैतूल ₹ 1.89 लाख, भोपाल (मैक.) ₹ 4.74 लाख, धार ₹ 1.41 लाख, डिंडोरी ₹ 18.28 लाख, होशंगाबाद ₹ 2.87 लाख, झाबुआ ₹ 0.73 लाख, मंडला ₹ 24.56 लाख, मंदसौर ₹ 9.61 लाख, रायसेन ₹ 0.54 लाख, राजगढ़ ₹ 0.48 लाख, सागर (सिविल) ₹ 12.79 लाख, सागर (मैक) ₹ 3.01 लाख, सतना ₹ 0.29 लाख, सिवनी ₹ 0.20 लाख, उमरिया ₹ 0.32 लाख, उज्जैन (मैक.) ₹ 1.90 लाख

थी जैसे मरम्मत, कार्यालय एवं आवासीय भवनों का नवीनीकरण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि पर राशि ₹ 2.72¹⁵ करोड़ व्यय किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से जो मद संबंधित नहीं थी उन पर किया गया व्यय स्वीकार्य योग्य नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्य अभियंताओं से टिप्पणियां मांगी गई है।

2.1.8 कार्यक्रम प्रबंधन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण लोगों को पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए स्थाई आधार पर पर्याप्त सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना है। यह बुनियादी आवश्यकता न्यूनतम जल गुणवत्ता मानकों और हर समय आसानी से सुलभ होनी चाहिए। यह लक्ष्य ग्यारहवीं योजना अवधि यानि मार्च 2012 तक प्राप्त किया जाना था। कार्यक्रम के घटकवार कार्यान्वयन पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.8.1 आच्छादन और जलगुणवत्ता

आच्छादन से आशय अनाच्छादित, आंशिक आच्छादित और स्लिप बैक बसाहटों को हैंडपंपों और नल जल प्रदाय योजना के द्वारा सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल मुहैया कराना है।


2.1.8.2 बसाहटों का आच्छादन

01 अप्रैल 2009 को 1.27 लाख बसाहटें थीं जिसमें से मानदंडों के अनुसार 0.49 लाख बसाहटें पूर्ण रूप से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से एवं शेष 0.78 लाख बसाहटें आंशिक रूप से आच्छादित थी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद, ग्रामीण जनसंख्या के लिए जल की लचीली न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता का आकलन राज्य सरकार को सौंपा गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु राज्य की शीर्ष समिति द्वारा पूर्ण रूप से आच्छादित बसाहटों हेतु मानदंड की सिफारिश (दिसम्बर 2009) की गई। मानदंडों के अनुसार 500 मीटर व्यास के क्षेत्र में प्रत्येक घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मानदंडों को पूरा करने वाली ग्रामीण बसाहटें पूर्ण रूप से आच्छादित बसाहटों के अंतर्गत आनी थी।

राज्य में अवधि 2009-13 के दौरान बसाहटों के आच्छादन की स्थिति चार्ट में दी गई है:

¹⁵ बड़वानी ₹ 78.03 लाख (106), धार ₹ 57.01 लाख (24), धार (सरदारपुर) ₹ 26.94 लाख (13), होशंगाबाद ₹ 4.76 लाख (103), जबलपुर (सिविल) ₹ 6.86 लाख (60), जबलपुर (मैक.) ₹ 0.80 लाख (02), झाबुआ ₹ 33 लाख (33), रायसेन ₹ 12.70 लाख (219), स्तलाम ₹ 16.71 लाख (11), सागर (सिविल) ₹ 14.06 लाख (117), सागर (मैक.) ₹ 1.13 लाख (03), सीहोर ₹ 8.60 लाख (07) और उज्जैन ₹ 11.42 लाख (10)

चार्ट क्र.1 बसाहटों के आच्छादन की स्थिति



(स्रोत: प्र.अ./आई.एम.आई.एस. द्वारा प्रदाय आंकड़े)

योजना अवधि (2009-12) पूर्ण होने के एक वर्ष बाद भी 43632 बसाहटें पूर्णतः आच्छादन के लिए शेष थीं

2009-10 के अंत में 78,377 आंशिक आच्छादित बसाहटों के विरुद्ध 2010-13 के दौरान केवल 41,815 बसाहटों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। ऊपर दिये गये ग्राफ से यह भी स्पष्ट है कि योजना अवधि पूर्ण होने के एक वर्ष की अवधि के पश्चात भी मार्च 2013 तक 43,632 (34 प्रतिशत) बसाहटें¹⁶ पूर्ण रूप से आच्छादित होना शेष थीं। नमूना जांच किये गये जिलों में 50 प्रतिशत बसाहटें (66,723 में से 33,653) पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं थीं। यह बसाहटों के आच्छादन हेतु तय किये गये कम लक्ष्यों के कारण था।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि बसाहटों के आच्छादन हेतु लक्ष्य राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों (वित्त और मानवशक्ति)के आधार पर तय किये गये।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजनावधि के एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सभी बसाहटें आच्छादित नहीं की जा सकीं। केंद्रीय निधि शेष रहने के बावजूद व्यय नहीं हुई। और राज्य निधि व्यपगत हुई।

2.1.8.3 ग्रामीण स्कूल और आंगनवाडी केंद्रों का आच्छादन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के पैरा 9.7 के अनुसार, विद्यमान ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाडी केंद्रों और पेयजल सुविधा वाले स्कूलों और केंद्रों की संख्या से संबंधित आंकड़े राज्य को शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से लेकर संकलित करने चाहिए। राज्य को इस तरह लक्ष्य निर्धारित करने थे कि पेयजल की सुविधा रहित ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाडी केंद्रों को 2010-11 तक आच्छादित कर लिया जाए।

¹⁶ 21,577 आदिवासी बसाहटें तथा 3553 अनु. जाति बसाहटें जोड़कर

लेखा परीक्षा की जांच के अनुसार, प्रमुख अभियंता ने (मई 2013) सूचित किया कि 2009-13 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 10877 ग्रामीण स्कूलों को पेयजल सुविधा प्रदाय की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि 5174 ग्रामीण स्कूल तथा 5794 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादन के लिए बाकी थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (दिसम्बर 2013) अतिरिक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कहा कि 2013-14 के दौरान लक्षित किये गये 5794 आंगनवाड़ी केंद्रों के विरुद्ध 2206 में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि शेष स्कूलों का 2013-14 के दौरान आच्छादन कर लिया जावेगा।

तथ्य यह है कि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित योजना अवधि 2010-11 तक ग्रामीण स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का आच्छादन नहीं किया जा सका। जैसा कि कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में निहित था।

2.1.8.4 नल जल आपूर्ति योजना के साथ बसाहटों का आच्छादन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हैंडपंप की बजाय नल जल आपूर्ति योजना के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हेतु बसाहटों के आच्छादन पर जोर देता है। आगे राज्य सरकार ने निर्णय किया (2010) कि ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या एक हजार से अधिक है में नल जल आपूर्ति योजना लागू की जाए।

अभिलेखों एवं प्रमुख अभियंता से प्राप्त आंकड़ों की जांच के दौरान हमने पाया कि अवधि 2009-13 के दौरान वार्षिक कार्य योजना में 3750 नल जल आपूर्ति योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 3575 नल जल आपूर्ति योजना पूर्ण की गई। सितम्बर 2013 में 10664 नल जल आपूर्ति योजना में से 1053 नल जल आपूर्ति योजना¹⁷ (10 प्रतिशत) कार्य नहीं कर रही थी। नमूना जांच किए गए जिलों में 1635 पूर्ण की गयी नल जल आपूर्ति योजनाओं में से 270 स्रोतों के सूखने, विद्युत बिलों के भुगतान न किये जाने, संचालन एवं संधारण में पंचायतों द्वारा रूचि के अभाव में कार्य नहीं कर रही थीं।

2.1.8.5 हैंडपंपों के साथ बसाहटों का आच्छादन

जनसंख्या के आच्छादन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रति लीटर प्रति व्यक्ति और दूरी के मानदंड संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते थे। तदनुसार विभाग द्वारा एक हजार से कम जनसंख्या वाली ऐसी बसाहटें जो कि नल जल आपूर्ति योजना¹⁸ के अंतर्गत नहीं आती है को हैंडपंप के माध्यम से आच्छादन का मानदंड रखा गया।

प्रमुख अभियंता द्वारा प्रदाय/आई.एम.आई.एस. के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 5.29 लाख (मई 2013) हैंडपंप लगाये गये जिसमें से 4.85 लाख कार्य कर रहे थे।

अवधि 2009-10 से 2012-13 के अंत तक बंद हैंडपंपों की स्थिति इस प्रकार है:

¹⁷ 276 तथा 277 स्रोतों के सूख जाने, विद्युत व्यवस्था/पंचायतों द्वारा संधारण न किए जाने के कारण कार्यरत नहीं थी।

¹⁸ 1000 से अधिक जनसंख्या वाली बसाहटों में पाइप जल आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया गया।

विद्युत व्यवस्था की कमी,
पंचायतों द्वारा संधारण न किए
जाने तथा स्रोतों के सूख जाने
के कारण 1053 (10%) नल
जल आपूर्ति योजना कार्यरत
नहीं थी

तालिका-4 बंद हैंडपंपों की स्थिति

वर्ष	सूखे स्रोतों के कारण बंद हैंडपंप	सतही जल के गिर जाने के कारण बंद हैंडपंप	गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण बंद हैंडपंप	तकनीकी समस्या के कारण बंद हैंडपंप	कुल बंद हैंडपंप
2009-10	2601	21896	995	994	26486
2010-11	3143	27771	921	10868	42703
2011-12	2937	19341	1334	12441	36053
2012-13	3044	27965	1224	12002	44235

(स्रोत:-प्रमुख अभियंता/आई.एम.आई.एस. द्वारा जारी आंकड़े)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवधि 2009-13 के दौरान बंद हैंडपंपों की संख्या में 17,749 की उल्लेखनीय वृद्धि (26486 से 44235) हुई। यह दर्शाता है कि संवहनीयता गतिविधियां जैसे पुनर्भरण इत्यादि और हैंडपंपों का रखरखाव ठीक नहीं था।

नमूना जांच किए गए जिलों की प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, 2.51 लाख स्थापित हैंडपंपों में से 24,787 हैंडपंप (10 प्रतिशत) कार्य नहीं कर रहे थे, जिसमें से 2020 हैंडपंप पूर्णतः खराब/मरम्मत योग्य नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग ने बताया कि भू जल का कृषि गतिविधियों के लिये अत्यधिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। जल पुनर्भरण एक धीमी प्रक्रिया है और सभी हितधारकों के व्यापक प्रयासों की जरूरत है। विभाग के भरसक प्रयासों के बावजूद जलस्तर घट रहा है एवं हैंडपंप प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कम निधि उपलब्ध कराने और भूजल को बनाये रखने हेतु संवहनीयता कार्यों पर किया गया व्यय अनुपात से कम था। जैसा कि कंडिका 2.1.7.4 में चर्चा की गई है

2.1.8.6 चल रही और नई योजनाओं की स्थिति

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को चल रही योजनाओं को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक वर्ष नयी योजनाओं की मंजूरी की योजना तैयार करनी चाहिए। तथापि नयी योजनाओं को पूर्ण करने के स्थान पर चालू योजना के पूर्ण होने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्यों को इच्छित लाभ पहुँचाने के लिए तीव्र गति से पूर्ण किया जाए क्योंकि किसी भी प्रकार के बिलंब का परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी।

प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार वर्षवार नई एवं चल रही योजनाओं की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका-5 चल रही और नई योजनाओं की स्थिति

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में चल रही योजनाओं की संख्या	नई योजनाओं की संख्या	कुल योजनाएं	वर्ष के दौरान पूर्ण योजनाओं की संख्या	वर्ष के अंत में अपूर्ण योजनाओं की संख्या
2009-10	382	403	785	547	238
2010-11	238	1149	1387	856	531
2011-12	531	1241	1772	770	1002
2012-13	1002	1290	2292	1756	536

(स्रोत: प्रमुख अभियंता/आई.एम.आई.एस. द्वारा जारी आंकड़े)

हमने पाया कि मार्च 2013 में 536 अपूर्ण/चल रही योजनाओं में से 05 योजनाएं 10 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, 107 योजनाएं पांच वर्ष से अधिक पुरानी, और 246 योजनाएं एक वर्ष से अधिक पुरानी और अन्य एक वर्ष से कम पुरानी हैं।

उपर्युक्त स्थिति दर्शाती है कि नई योजनाओं के चलते चल रही योजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु प्राथमिकता नहीं दी गई यद्यपि यह कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में परिकल्पित था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि बेहतरीन प्रयासों के बावजूद निर्भर करने योग्य स्रोतों के विकसित न होने से योजनाएं अधूरी थीं। तथापि योजनाओं को भूमिगत से सतही जल स्रोत आधार से पुनरीक्षित किया जाएगा और जून 2014 तक पूर्ण किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

2.1.8.7 जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों का आच्छादन

2051 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें अप्रैल 2013 तक आच्छादन के लिए शेष थी

गुणवत्ता प्रभावित सभी ग्रामीण बसाहटों के आच्छादन के राष्ट्रीय लक्ष्य को 2012 तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति पर जोर दिया जाना चाहिए था।

अप्रैल 2009 में 27 जिलों में 5385 बसाहटें फ्लोराइड (स्वीकार्य सीमा 1.5 मि.ग्रा./ली. से ऊपर), लोहा (स्वीकार्य सीमा 01 मि.ग्रा./ली. से ऊपर), लवणता (स्वीकार्य सीमा 600 मि.ग्रा./ली. से ऊपर) एवं नाइट्रेट (स्वीकार्य सीमा 45 मि.ग्रा./ली. से ऊपर) की अधिकता से गुणवत्ता प्रभावित (उन बसाहटों को हटाकर जिनमें योजनाएं चल रही हैं) थीं। प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की स्थिति का विवरण निम्न हैं।

तालिका-6 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की स्थिति

1 अप्रैल को स्थिति	प्रदूषित बसाहटों की संख्या				कुल बसाहटें
	फ्लोराइड	लोहा	लवणता	नाइट्रेट	
2009	4720	178	481	06	5385
2010	2906	97	349	06	3358
2011	2651	04	261	01	2917
2012	2485	156	148	00	2789
2013	1882	132	37	00	2051

(स्रोत: प्रमुख अभियंता/आई.एम.आई.एस. द्वारा जारी आंकड़े)

तालिका-6 में दी गई स्थिति दर्शाती है कि अप्रैल 2013 में 2051 बसाहटें गुणवत्ता प्रभावित थीं तथा आच्छादित की जानी थीं यद्यपि 2012 के अंत तक राष्ट्रीय लक्ष्य¹⁹ सभी जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों को आच्छादित करने का था।

विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में बहुगाँव आधारित नलजल योजना, ग्राम आधारित नलजल योजना एवं डीप्लोरिडेशन संयंत्रों की स्थापना कर आच्छादन का प्रयास किया गया है।

साथ ही 11²⁰ गुणवत्ता प्रभावित जिलों की नमूना जांच में यह पाया गया कि कुल 2358 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से, 1360(58 प्रतिशत) को 2009-13 के दौरान आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था और 1184 बसाहटों(50 प्रतिशत) वास्तव में आच्छादित की गईं।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि सभी गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों को मार्च 2014 तक आच्छादित किया जायेगा।

➤ **फ्लोराइड प्रभावित बसाहटों में पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजना के पूर्ण किये जाने में विलम्ब**

धार (813) और झाबुआ (205) जिलों में 1018 फ्लोराइड प्रभावित बसाहटों में साफ पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से, सरकार द्वारा (अगस्त 2007) में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना 08 नल जल आपूर्ति योजना का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया। आठ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये प्राक्कलित लागत ₹ 173.96 करोड़ थी और मार्च 2009 तक पूर्ण की जानी थी। फरवरी 2010 में दर अनुसूची (दिसम्बर 2009 में दर अनुसूची) पुनरीक्षण के कारण लागत ₹ 215.78 करोड़ पुनरीक्षित की गई। तथापि मई 2013 में अर्थात् 26 से 59 माह के विलम्ब के पश्चात यह योजनायें ₹ 182.68 करोड़ व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण थीं। विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है।

निर्धारित समयावधि में परियोजना पूर्ण न होने के कारण, ₹ 182.68 करोड़ व्यय करने के बावजूद 1018 बसाहटों की जनसंख्या, योजनाओं के लाभ से वंचित रही। पेटलावद (झाबुआ) के प्रकरण में, योजना के बिना किसी पुनरीक्षण के स्वीकृत राशि से अधिक (₹ 6.73 करोड़) का व्यय किया गया।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग देशी पर सहमत था और बताया कि सभी 1108 बसाहटें मार्च 2014 तक आच्छादित कर ली जावेगी।

2.1.8.8 "जलमणि" एकल आधार जल शोधन प्रणाली

ग्रामीण स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा (2008-09) एकल आधार जल शोधन प्रणाली की स्थापना हेतु "जलमणि" नाम की योजना शुरू की गई। जलमणि दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण स्कूलों में प्रणाली की व्यवहार्यता का उपार्जन से पूर्व तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए आकलन

1018 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों के आच्छादन की आठ परियोजनाएँ ₹182.68 करोड़ खर्च करने के बाद भी अपूर्ण थीं

¹⁹ राष्ट्रीय लक्ष्य को राज्य शासन द्वारा स्वीकार किया गया

²⁰ बैतूल, डिंडोरी, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मंदसौर, रायसेन, रतलाम, सागर, सीहोर और उज्जैन

किया जाना था लेकिन ऐसा कोई अभिलेख नहीं दिखाया गया जिससे प्रणाली का उपार्जन पूर्व आकलन किया गया।

हमने पाया कि भारत सरकार द्वारा (जनवरी 2009) में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ₹ 5.47 करोड़ जारी किये गये। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने (फरवरी 2010) 2734²¹ प्रणाली मूल्य ₹ 6.05 करोड़ हेतु आदेश जारी किये जिन्हें 2010-11 के दौरान ग्रामीण स्कूलों में स्थापित किया जाना था।

ग्रामीण स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जलमणि योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया

आगे, आपूर्ति आदेशों की शर्तों और प्रमुख अभियंता के निर्देशों (जनवरी 2011) के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को 75 प्रतिशत भुगतान केवल प्रणाली की स्थापना के पश्चात कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जाना था और शेष 25 प्रतिशत प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से एकल आधार प्रणाली की सफल स्थापना और कार्यान्वयन पर अगले 05 वर्ष में भुगतान किया जाना था। हमने पाया कि स्थापना के तुरन्त पश्चात जून 2013 तक ₹ 5.46 करोड़ (90 प्रतिशत) का भुगतान कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया गया। राज्य के चार क्षेत्रों में स्थापित और कार्यान्वित एकल आधार प्रणाली की स्थिति निम्न है:

तालिका-7 कार्य कर रही एकल आधार प्रणाली की स्थिति (दिसंबर 2013 पर)

स.क्र.	क्षेत्र	स्थापित	कार्य कर रहे	कार्य नहीं कर रहे (प्रतिशत)
1-	भोपाल	500	115	385 (77)
2-	इंदौर	835	418	417 (50)
3-	ग्वालियर	300	183	117 (39)
4-	जबलपुर	1099	84	1015 (92)
	योग	2734	800	1934 (71)

(स्रोत: विभाग द्वारा जारी आंकड़े)

नमूना जांच किए गए 23 जिलों में "जलमणि" प्रणाली के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि उपयोगकर्ताओं को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विक्रय पश्चात प्रशिक्षण और सेवा मुहैया नहीं कराई गई जिसके कारण प्रणाली की उल्लेखनीय संख्या बंद पाई गई।

इसके अलावा हमने 09²² जिलों के 14 स्कूलों में प्रणाली के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि प्रणाली कार्य नहीं कर रही थी।

²¹ अल्ट्राफिल्ट्रेशन (703, प्रत्येक की कीमत ₹ 28126 कुल ₹ 197.73 लाख), आर.ओ. प्रणाली (68, प्रत्येक की कीमत ₹ 39740 कुल ₹ 27.02 लाख), फ्लोराइड प्रणाली (1753, प्रत्येक की कीमत ₹ 19626 कुल ₹ 344.04 लाख) आयन एक्सचेंज (210, प्रत्येक की कीमत ₹ 17682 कुल ₹ 37.13 लाख)

²² अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, धार, झाबुआ, रायसेन, सतना, सिवनी और उमरिया

	
<p>ग्राम मियांपुरा, नालछा खण्ड, धार जिला के प्राथमिक शाला में जलमणि संयंत्र अनुपयोगी पड़ा हुआ है।</p>	<p>हैण्डपंप जिसमें फोर्सलिफ्ट पम्प स्थापित था अब केवल हैण्डपंप इस्तेमाल में है।</p>
	
<p>ग्राम फूँगा जिला अनूपपुर के प्राथमिक शाला में जलमणि संयंत्र अनुपयोगी पड़ा हुआ है।</p>	<p>ग्राम कोशियारा जिला सतना के प्राथमिक शाला में जलमणि संयंत्र अनुपयोगी पड़ा हुआ है।</p>

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग ने बताया कि आवश्यक रखरखाव के लिये जिम्मेदार संस्थाओं द्वारा सेवायें प्रदान नहीं की गईं। तथापि संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

तथ्य यह है कि ₹ 5.46 करोड़ का व्यय होने के बाद भी, विभाग ग्रामीण स्कूलों में स्थापित प्रणालियों के सफल संचालन को सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, ग्रामीण स्कूलों के बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

2.1.8.9 संवहनीयता

पेयजल योजना की संवहनीयता मुहैया कराने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी योजनाएं आयोजना की संपूर्ण रूपरेखा अवधि के दौरान समुदाय को सुरक्षित पेयजल की सार्वभौमिक पहुंच से स्लिप बैक न हो। संवहनीयता घटकों के अंतर्गत, चकबंध/नाला बंध/परकोलेशन तालाबों/टैंक, समोच्च खाई/मेड़, पुनर्भरण गड्डे, गुलीप्लग इत्यादि कार्य किये जाने विचारणीय थे।

निधि प्रतिमानों के अनुसार, वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान संवहनीयता घटक के अंतर्गत ₹ 541.13 करोड़ संवितरित किये जाने थे। इसके विरुद्ध विभाग द्वारा ₹ 206.92 करोड़ जारी किये गये तथा ₹ 201.91 करोड़ का व्यय किया गया।

2.1.8.10 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संवहनीयता कार्यों का कार्यान्वयन।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के कंडिका 6, संलग्नक-2 के अनुसार विचारणीय सूची में कुछ संवहनीयता कार्य गुलीप्लग, पुनर्भरण गडदे, समोच्च खाई/मेड, चकबंध/नाला बंध, परकोलेशन तालाब/टैंक इत्यादि हैं।

संवहनीयता कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निधियां प्रदाय करने के बाद भी निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की गई

2008-11 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने संवहनीयता कार्यों हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को ₹ 60.66²³ करोड़ जारी किये। इसमें से केवल ₹ 16.10 करोड़ उपयोग किए गये और ₹ 34.03 करोड़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को (₹ 21.74 करोड़ मार्च 2012 में और ₹ 12.29 करोड़ दिसम्बर 2012 में) राज्य सरकार द्वारा 2011-12 में जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से कार्य वापस लिये जाने के निर्णय के पश्चात वापिस किये गये। नवम्बर 2013 में शेष ₹ 10.53 करोड़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास अनुपयोगित पड़ा हुआ था।

हमने देखा कि सात²⁴ नमूना जांच किये गये जिलों में ₹ 17.47 करोड़ जारी किये गये जिसमें से ₹ 16.80 करोड़ का उपयोग किया गया। इन जिलों में पूरा किये गये संवहनीय कार्यों में 2009-12 के दौरान 57 अमान्य कार्य लागत ₹ 3.14 करोड़ जैसे नलकूप खनन, स्थान स्रोतों, हैंडपंपों और ओवरहेड टैंक से नलजल आपूर्ति योजना के माध्यम से पूर्ण किये गये, जो कि परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग ने बताया कि संवहनीय कार्यों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पूरा करने का निर्णय शासन स्तर से वापस लिया गया। धीमी प्रगति के कारण कार्यों को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को वापस स्थानांतरित किये गये। हालांकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से निष्पादित किये गये कार्यों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

तथ्य यह है कि निधियों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया।

2.1.8.11 बसाहटों का स्लिप बैंक

पेयजल योजनाओं की संवहनीयता का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी योजनाएं, योजनाओं की संपूर्ण रूपरेखा अवधि में समुदाय को सुरक्षित पेयजल की सार्वभौमिक पहुंच से स्लिप बैंक न हों।

आई.एम.आई.एस., आंकड़ों और नमूना जांच किए गए संभागों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी जांच के दौरान यह पाया गया कि तालिक 8 में विवरणानुसार 2010-11 से 2012-13 के दौरान बहुत बड़ी संख्या में बसाहटें अपनी स्थिति से स्लिप बैंक हो गई थी। 2009-10 की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

मुख्य स्रोतों के सूख जाने के कारण 2010-13 की अवधि में स्लिप बैंक बसाहटों की संख्या बढ़ी थी

²³ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि से वर्ष 2009-10 में ₹ 7 करोड़ और वर्ष 2010-11 में ₹ 25 करोड़ एवं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधि से वर्ष 2008-09 में ₹ 28.66 करोड़

²⁴ बालाघाट, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम, सागर, शाजापुर और उज्जैन

तालिका-8 स्लिप बैक बसाहटों की स्थिति

वर्ष	कुल स्लिप बैक बसाहटें	स्लिप बैक का कारण		
		स्रोतों का सूख जाना	जल गुणवत्ता	अन्य (खराब संचालन एवं रखरखाव, विद्युत समस्या और पुरानी प्रणाली)
2010-11	660	539	33	88
2011-12	2539	1851	35	653
2012-13	8017	6549	294	1174
योग	11216	8939	362	1915

(स्रोत: प्रमुख अभियंता/आई.एम.आई.एस. द्वारा जारी आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि स्लिप बैक बसाहटें साल दर साल बढ़ रही हैं। जिसका एक प्रमुख कारण स्रोतों का मुख्यतः संवहनीय कार्यों की अपर्याप्ता के कारण सूख जाना था, जैसा कि कंडिका 2.1.8.10 में चर्चा की गई है। आगे 23 नमूना जांच किए गए जिलों में से 16²⁵ में हमने पाया कि कुल 47,114 बसाहटों में से 2010-13 की अवधि के दौरान पूर्णतः आच्छादित 4234 बसाहटें स्लिप बैक हुई थीं।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में विभाग ने बताया कि पुनर्भरण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, यह संरचनाओं के निर्माण के तुरन्त बाद परिणाम नहीं देता है। कृषि कार्य उद्देश्यों के लिये अत्यधिक भूजल के निकलने के कारण जल स्तर कम होता है और विभागीय ट्यूबवेल सूख जाते हैं और स्लिप बैक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

तथ्य यह है कि अत्यधिक बसाहटें स्लिप बैक हुई यद्यपि चतुर्थ चरण में जल उपलब्धता के लिए संवहनीयता कार्यों पर जोर देना था।

2.1.8.12 छत जल संग्रहण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार सामुदायिक संरचनाओं जैसे स्कूलों, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत कार्यालय, छात्रावास, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, अस्पतालों एवं अन्य सरकारी इमारतों के लिये छत जल संग्रहण हेतु योजना बनाई जानी थी।

विभाग के पास सरकारी भवनों के समेकित जानकारी का विवरण दिखाने के लिये अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। हालांकि 23 जिलों की नमूना जांच में से 22 द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार 289 स्कूलों, 269 छात्रावासों, 25 आंगनवाड़ी एवं 32 सरकारी इमारतों को अवधि 2009-13 के दौरान छत जल संग्रहण मुहैया कराया गया था। जिलों में शासकीय और सामुदायिक भवनों की व्यापक स्थिति को देखते हुए छत जल संग्रहण के तहत आच्छादन अपर्याप्त था।

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में कहा गया कि विभाग द्वारा निर्मित छत जल संग्रहण संरचनाओं को संबंधित प्राधिकारी को सौंप दिया जाता है जिसके द्वारा इसका रख-रखाव नहीं किया जाता। छत जल संग्रहण के अलावा अन्य प्रकार के निर्माण

शासकीय भवनों का छत जल संग्रहण के तहत आच्छादन अपर्याप्त था

²⁵ अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, सीहोर और उज्जैन

पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है तथा लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जा रही है।

2.1.8.13 सहायक गतिविधि

गतिविधियाँ अर्थात् पानी की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण और निगरानी कार्यक्रम, जल परीक्षण प्रयोगशालाएं, क्षेत्र परीक्षण किट की आपूर्ति, क्षेत्र में मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण आदि सहायक गतिविधियों में आती है।

2.1.8.14 गुणवत्ता नियंत्रण

जल सुरक्षित रूप में परिभाषित किया जाता है अगर यह जैविक संदूषण से मुक्त है एवं रासायनिक संदूषण अनुज्ञेय सीमा के भीतर है। जल के नमूनों की जांच सार्थक एवं विश्वसनीय परिणाम पाने के लिए अति सावधानी की मांग करती है जिससे कि प्रयोगशाला के परिणामों की परिशुद्धता आश्वासित हो सके इसलिये जल परीक्षण प्रयोगशाला की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत, सक्षम जनशक्ति की उपलब्धता, गुणवत्ता पूर्ण जांच के लिए आवश्यक अधोसंरचना डाटा बेस और विश्लेषणात्मक कार्य है।

2.1.8.15 प्रयोगशाला में मानवशक्ति और अधोसंरचना

प्रयोगशाला के लिये उपलब्ध मानवशक्ति के आँकड़े की जांच में पाया गया कि राज्य, जिला एवं उप खण्डीय प्रयोगशालाओं में मानवशक्ति की उल्लेखनीय कमी थी। जिसका वर्णन परिशिष्ट 2.5 में दिया गया है-

राज्य, जिला एवं उप
खण्डीय प्रयोगशालाओं में
मानवशक्ति में
उल्लेखनीय कमी देखी
गयी

- योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित कुशल मानवशक्ति की आवश्यकता के विरुद्ध राज्य प्रयोगशाला में 33 प्रतिशत की कमी देखी गई। राज्य प्रयोगशाला में जीवाणु विज्ञानी, प्रयोगशाला तकनीशियन, विश्लेषक, नमूना संग्रहकर्ता एवं विश्लेषक के पद न तो स्वीकृत और न ही पदस्थ थे।
- जिला प्रयोगशालाओं से 76 प्रतिशत कुशल मानवशक्ति की कमी थी। वरिष्ठ रसायनज्ञ, जीवाणुविज्ञानी, विश्लेषक, नमूना संग्रहकर्ता और डाटा एंट्री आपरेटर के पद न तो स्वीकृत और न ही पदस्थ थे।
- उप खण्डीय प्रयोगशालाओं में रसायनज्ञ के 208 एवं प्रयोगशाला सहायक के 104 पद की आवश्यकता के विरुद्ध क्रमशः केवल 127 एवं 62 पद भरे हुए थे।

नमूना जांच किए गए 23 जिलों में से 19 जिलों की 22 विभागीय एवं उप खण्डीय प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अधोसंरचनाओं की जानकारी की जांच में पाया गया कि प्रयोगशाला के उपकरण, अतिरिक्त सहायक वस्तुओं, काँच के बर्तन एवं अभिकर्मक में उल्लेखनीय कमी थी जैसा नीचे वर्णन दिया गया है।

तालिका-9 प्रयोगशाला में उपलब्ध मदों की स्थिति

मद	जिला प्रयोगशाला			मद	उप खण्डीय प्रयोगशाला		
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशत)		आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशत)
उपकरण	462	351	111 (24)	अतिरिक्त सहायक सामग्री	899	299	600 (67)
कांच के बरतन	1826	896	930 (51)	फर्नीचर	372	170	202 (54)
रसायन	1232	542	690 (56)	कांच बरतन एवं प्रयोगशाला उपकरण	1426	893	533 (37)
अन्य	1012	376	636 (63)	अभिकर्मक	837	420	417 (50)

(स्रोत: प्रमुख अभियंता/आई.एम.आई.एस. द्वारा जारी आंकड़े)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ऊपर दर्शाए अनुसार प्रयोगशालाओं में मानवशक्ति एवं अधोसंरचनाओं की उल्लेखनीय कमी थी जिससे जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण एवं निगरानी कार्यक्रम के संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ा जिसका वर्णन नीचे है।

2.1.8.16 जल नमूना परीक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण एवं निगरानी कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतें एवं उप खण्डीय प्रयोगशालाएं 100 प्रतिशत जल स्रोतों की जांच करेंगी। जिला प्रयोगशालाएं ग्राम पंचायतों द्वारा जांचे गए 30 प्रतिशत जल नमूनों की जांच करेंगी राज्य प्रयोगशालाएं जिला प्रयोगशालाओं द्वारा जांचे गये 10 प्रतिशत जल नमूनों की जांच करेगी तथापि जिला एवं उप खण्डीय प्रयोगशालाओं का लक्ष्य 3000 नमूने प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था।

जल नमूना परीक्षणों में उपखण्डीय प्रयोगशाला में 74 प्रतिशत, जिला प्रयोगशाला में 51 प्रतिशत और राज्य प्रयोगशाला में 94 प्रतिशत की बहुत अधिक कमी पाई गई

112 उप खण्डीय प्रयोगशाला, जिला प्रयोगशालाएं और राज्य स्तर प्रयोगशाला द्वारा परीक्षित जल स्रोत की वर्षवार स्थिति से संबंधित आनलाइन आंकड़ों/जानकारी के विश्लेषण में प्रदर्शित हुआ कि अवधि 2009-13 के दौरान जल नमूना परीक्षण के लिये निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध बहुत अधिक कमी थी (74 प्रतिशत उप खण्डीय प्रयोगशालाओं में, 51 प्रतिशत जिला प्रयोगशालाओं में और 94 प्रतिशत राज्य स्तर प्रयोगशाला में)। हमने देखा कि उप खण्डीय प्रयोगशालाओं और जिला प्रयोगशालाओं में नमूना परीक्षण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई इसके विपरीत राज्य प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति थी। विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है। हमने आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान पाया कि अवधि 2009-10 से 2012-13 तक 12000 नमूनों की जांच प्रति प्रयोगशाला के विरुद्ध जिला मन्दसौर और उज्जैन द्वारा अधिकतम 11193 एवं 10801 नमूनों जबकि श्योपुर और खण्डवा जिलों द्वारा केवल 1967 और 1811 नमूनों का परीक्षण किया गया।

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में कहा गया कि उप खण्डीय प्रयोगशालाएं चरणबद्ध ढंग से स्थापित की जानी थी जो कि अभी शैशवावस्था में हैं। तथापि उत्तर राज्य प्रयोगशाला और जिला प्रयोगशाला की कमियों के संबंध में मौन है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं शुद्ध पेय जल प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पेयजल गुणवत्ता नियंत्रण तथा निगरानी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये।

2.1.8.17 ग्राम पंचायत स्तर पर नमूनों का परीक्षण किया जाना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर व्यक्तिगत स्रोतों सहित सभी पेयजल स्रोतों का परीक्षण करेगा विशेषकर जीवाणु तत्वों के मापदण्डों पर प्रत्येक जल स्रोत के रासायनिक एवं भौतिक मापदण्डों की जांच की आवृत्ति वर्ष में एक बार तथा जीवाणुतत्वों की जांच वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व व मानसून पश्चात) की जानी थी। इसके अलावा, जब भी जल संबंधित बीमारी प्रकट हो जांच की जानी थी।

मैदानी जांच किट्स तथा वायल की उपलब्धता के बावजूद ग्राम पंचायत स्तर पर नमूनों की जांच में उल्लेखनीय कमी थी

जल नमूनों की रासायनिक तथा जीवाणुतत्वों की जांच के लिये, ग्राम पंचायतों को मैदानी जांच किट्स (एफ.टी.के.) तथा जीवाणुतत्व किट्स (वायल) वितरित की गई। एक एफ.टी.के. द्वारा 100 नमूनों की जांच की जा सकती थी एवं एक वायल से केवल एक नमूने की जांच की जा सकती थी। ग्राम पंचायतों को जिला प्रयोगशाला को तीन माह में एक बार जांच प्रतिवेदन दिया जाना था। नमूनों की जांच के लिये, अवधि 2009-13 के दौरान 8976 ग्राम पंचायतों को 30,771 एफ.टी.के. तथा 40.90 लाख वायल उपलब्ध कराई गई।

22²⁶ नमूना जांच किए गए जिलों में ग्राम पंचायत द्वारा किये गये जल नमूनों के परीक्षण की प्रगति प्रतिवेदन की जांच में पाया गया, कि ग्राम पंचायत द्वारा लक्ष्यों से कम जल नमूनों की जांच की गई थी। अभिलेखों में यह सुनिश्चित करने के लिये कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि ग्राम पंचायतों द्वारा कोई भी प्रतिवेदन जिला प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराये गये थे। जल स्रोतों/नमूनों की जांच की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका-10 ग्राम पंचायत स्तर पर जल नमूने परीक्षण की स्थिति

वर्ष	आई.एम.आई.एस. आंकड़ों के अनुसार कुल स्रोत	नमूने परीक्षण के लिए लक्ष्य (स्रोतों की संख्या x 3)	प्रगति प्रतिवेदन (पी.एच.ई.आई.एम.एस.) के अनुसार किए गए परीक्षण	कमी (प्रतिशत)
2009-10	3,22,486	9,67,458	2,29,961	7,37,497 (76)
2010-11	3,36,552	10,09,656	4,29,893	5,79,763 (57)
2011-12	3,37,791	10,13,373	6,18,340	3,95,033 (39)
2012-13	3,37,920	10,13,760	6,42,298	3,71,462 (37)
योग	13,34,749	40,04,247	19,20,492	20,83,755 (52)

(स्रोत: संभागों द्वारा प्रदाय आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्रोतों की जांच के लिये पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, इस प्रकार, ग्राम पंचायत स्तर पर जल नमूनों के परीक्षण में उल्लेखनीय कमी (52 प्रतिशत) थी। हालांकि, उपलब्धियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। आंकड़ों की जांच में हमने पाया कि धार एवं डिंडोरी की ग्राम पंचायतों द्वारा अधिकतम

²⁶ अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मंदसौर, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, सतना, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, उज्जैन और उमरिया

जांचे क्रमशः 2,67,280 तथा 1,70,311 की गई, जबकि, सतना तथा उमरिया की ग्राम पंचायतों द्वारा क्रमशः केवल 23,106 तथा 40,100 जांचें की गई।

निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा (दिसम्बर 2013) स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि जिन ग्राम पंचायतों को एफ.टी.के. एवं वायल किट वितरित किये गये वे विभाग के सीधे नियंत्रण में नहीं थे।

ग्राम पंचायतों द्वारा जल नमूनों की जांच सुनिश्चित किये जाने के संबंध में विभाग का उत्तर कि ग्राम पंचायत विभाग के सीधे नियंत्रण में नहीं है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा पेयजल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी कार्यक्रम पर जोर दिया गया था तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इसके लिये जिम्मेवार है क्योंकि जांच किट्स कार्यक्रम निधि से क्रय की गई है।

2.1.8.18 प्रशिक्षण में कमी

आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर विभाग को विभिन्न संबंधित विषयों में प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना था। ग्राम, विकास खंड, जिला तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष क्षमता संवर्धन कार्यक्रम तैयार करना था।

हमने पाया कि, राज्य जल सहायता संगठन द्वारा केवल 2011-12 तथा 2012-13 के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन किया गया, यद्यपि वर्ष 2010-11 से 2012-13 का प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार किया गया तथा सभी मंडल/संभागों को प्रचारित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2009-10 के लिये कोई प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार नहीं किया गया तथा अभिलेखों में कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि 2009-10 में कोई प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

जिला एवं विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण में उल्लेखनीय कमी पाई गई

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान, 23 नमूना जांच किए गये जिलों में से 11²⁷ में जिला स्तर प्रशिक्षण में 82 से 97 प्रतिशत की सीमा तक की कमी रही तथा विकास खण्ड स्तर पर 90 से 96 प्रतिशत की कमी रही, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

प्रशिक्षण के लक्ष्यों के विरुद्ध अत्यधिक कमी इंगित करती है कि मैदानी स्तर पर मानव संसाधन के क्षमता संवर्धन के लिये पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

विभाग द्वारा (दिसम्बर 2013) स्वीकार किया गया कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 में वांछित प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जा सके, क्योंकि वर्ष 2012-13 में मानव संसाधन विभाग के परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा सकी थी।

2.1.9 कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.1.9.1 फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप खनन किया जाना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में फ्लोराइड तत्व की मात्रा 1.5 मिलीग्राम/प्रति लीटर से अधिक हो फ्लोराइड प्रभावित माना जायेगा। विभाग द्वारा 2003 में किये गये विस्तृत सर्वेक्षण में विभिन्न जिलों की बसाहटों को फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया।

²⁷ बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, धार, झाबुआ, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन

विभाग के स्पष्ट आदेश होने के बाद भी फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में ₹1.59 करोड़ का व्यय करते हुए नलकूप खनन किए गए

विभाग द्वारा (अप्रैल 2006) निर्देश जारी किये गये कि फ्लोराइड मुक्त क्षेत्रों में ही नलकूप खनन किया जावे। हमने पाया कि 23 नमूना जांच किये गये जिलों में से चार²⁸ जिलों की फ्लोराइड प्रभावित बसाहटों में 2009-13 के दौरान 223 नलकूपों का खनन किया गया जो सरकार के आदेशों (अप्रैल 2006) का स्पष्ट उल्लंघन था। इन नलकूपों पर ₹ 1.59 करोड़ का व्यय किया गया, विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया।

निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा (दिसम्बर 2013) कहा गया कि नलकूप खनन के पश्चात कार्यपालन यंत्रियों द्वारा फ्लोराइड तत्व की जांच कराई गई तथा परिणामों में फ्लोराइड नहीं पाया गया तथा यह भी कहा कि संबंधित कार्यपालन यंत्रियों से विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि चिन्हित फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में खनन किया जाना विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है तथा उत्तर की प्रमाणिकता के लिये कोई भी जांच प्रतिवेदन लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.1.9.2 प्राक्कलनों में वृद्धि

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की कंडिका 17(एम) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय शासन को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यों एवं कार्यक्रम निधि से कोई सेन्टेज प्रभार भुगतान नहीं किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। यदि राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकरण में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से सेन्टेज प्रभार का भुगतान किया जाता है तो दोगुनी राशि की कटौती, अंतिम किश्त जारी करते समय की जावेगी।

नमूना जांच किए गए 23 जिलों में से 6²⁹ जिलों के प्राक्कलनों, निविदा आमंत्रण सूचनाओं, अनुबंधों एवं अंतिम बिलों से संबंधित 96 विद्युत कार्यों की जांच किये जाने पर पाया गया कि इन कार्यों के प्राक्कलन मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. द्वारा उनकी दरों की अनुसूची के अनुसार तैयार किये गये थे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. केवल जमा कार्यों पर 11.5 प्रतिशत सेन्टेज प्रभारित करती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ठेकेदारों से इन प्राक्कलनों को अंगीकृत करते हुए निविदायें आमंत्रित की गईं जिनमें सेन्टेज प्रभार शामिल था। चूंकि यह जमा कार्य नहीं थे अतः सेन्टेज प्रभार नहीं लगाए जाने थे। इस प्रकार निविदाओं के प्राक्कलनों में वृद्धि रही।

वर्ष 2009-13 की अवधि में इन कार्यों के देयकों की समीक्षा किये जाने पर मालुम हुआ कि ठेकेदारों द्वारा 11.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभार का दावा किया गया एवं ठेकेदार को कुल राशि ₹ 37.44 लाख का भुगतान किया गया। निविदाओं में सेन्टेज प्रभार लगाना एवं ठेकेदार को किया गया भुगतान अनियमित था और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के मार्गदर्शिका के नियमों के विरुद्ध था। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधियों पर सेन्टेज प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाना था।

प्राक्कलनों में वृद्धि की गई और मंडलों द्वारा ठेकेदारों को ₹37.44 लाख के सेन्टेज प्रभार का भुगतान किया गया

²⁸ बैतूल, धार, झाबुआ और सागर

²⁹ अलीराजपुर (4 कार्य ₹ 1.30 लाख), धार (26 कार्य ₹ 8.62 लाख), झाबुआ (9 कार्य ₹ 5.24 लाख), राजगढ़ (11 कार्य ₹ 2.32 लाख), रतलाम (42 कार्य ₹ 1.50 लाख) और सरदारपुर (4 कार्य ₹ 18.46 लाख)

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में सहमति जताते हुये बताया गया कि सभी संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को सेन्टेज प्रभार की अनाधिकृत भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.9.3 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि से टेंडर प्रीमियम का भुगतान

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम मार्गदर्शिका की कंडिका 16.5 के अनुसार टेंडर प्रीमियम राज्य शासन द्वारा वहन किए जाने थे एवं उस सीमा तक राशि कार्यक्रम निधि में जमा की जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निधियों से ₹ 43.54 करोड़ के टेंडर प्रीमियम का भुगतान किया गया जो राज्य शासन को वहन करना था

नमूना जांच किए गए 23 जिलों में से 16³⁰ जिलों में अनुबंधों, कार्यदेशों एवं अंतिम चलित बिलों की जांच किये जाने पर पाया गया कि वर्ष 2009-13 के मध्य 5654 कार्यों पर प्राक्कलित कीमत पर 0.05 प्रतिशत से 183.30 प्रतिशत के मध्य राशि ₹ 43.54 करोड़ का टेंडर प्रीमियम प्रभारित किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.9 में दर्शाया गया है। हमने पाया कि राज्य शासन द्वारा टेंडर प्रीमियम लागत को कार्यक्रम निधि में जमा नहीं किया गया।

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में सहमति जताते हुए बताया गया कि दरों की अनुसूची के पुनरीक्षण में विलम्ब होने के कारण टेंडर प्रीमियम के साथ स्वीकृत किये गये तथा उपयुक्त कार्रवाई की जा रही थी। विभाग प्रत्येक वर्ष दर अनुसूची पुनरीक्षण करने की कार्यवाही कर रहा है जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि दरों की अनुसूची दिसम्बर 2009, अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 में पुनरीक्षण की गई थी।

2.1.9.4 लापरवाही के कारण विभाग को हानि

झाबुआ जिले के पाँच ब्लकों में 205 बसाहटों के 74 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में जल प्रदाय हेतु कुक्षी-बाग-जोबट राज्य राजमार्ग के साथ एक पेयजल योजना पर जनवरी 2007 से कार्य प्रगति पर था। कार्य सरदारपुर संभाग (धार जिला) द्वारा निष्पादित किया जा रहा था। अक्टूबर 2010 में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा कुक्षी बाग जोबट राजमार्ग चौड़ीकरण प्रस्ताव अनुमोदित किया गया जहाँ कि पेयजल योजना का कार्य प्रगतिरत था। तदनुसार मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा (दिसम्बर 2010) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार संभागों के कार्यपालन यंत्रियों से सड़क के किनारे स्थित पाइप लाइनों को हटाने का आग्रह किया गया। तथापि सरदारपुर संभाग जिसके अधीन पेयजल योजना का कार्य संचालित किया जा रहा था, को सूचित नहीं किया गया था।

अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एक एजेंसी द्वारा रोड को चौड़ा करने का काम पूरा कर दिया गया और चौड़ीकरण के दौरान 150 मि.मी. व्यास की 2300 मीटर पाइपलाइन और 200 मि. मी. व्यास की 1000 मीटर पाइप लाइन खुदाई में निकाली गयी।

³⁰ अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, रायसेन, रतलाम, सागर, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, उज्जैन और उमरिया

पर्यवेक्षण की कमी से खुदाई में निकले पाइप का पता न चलने के कारण सामग्री की हानि हुई

सरदारपुर संभाग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राशि ₹ 52.90 लाख की लागत के 150 एम एम के 2300 मी. पाइप एवं 200 एम एम के 800 मी. पाइप जो कि सड़क के किनारे पड़े हुए थे, मार्च 2013 में चोरी हो गये जैसा कि उपयंत्री द्वारा मार्च 2013 में बताया गया।

चूंकि नलजल योजना एक सतत परियोजना है अतः संभाग द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिये था। पर्यवेक्षण की कमी के कारण खुदाई का विलंब से पता चलने से सामग्री की हानि हुई।

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में बताया गया कि इस विषय में मुख्य अभियंता इन्दौर से विवरण एवं स्पष्टीकरण चाहा गया है। विस्तृत छानबीन के उपरांत उत्तर प्रस्तुत किया जावेगा।

2.1.9.5 स्वीकार्य सीमा से अधिक नलकूप

सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के तहत ट्यूबवेल की ड्रिलिंग के संबंध में स्रोतों की पहचान के लिये वैज्ञानिक तकनीक अर्थात् प्रतिरोधकता सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग, जलीय प्रस्फुटन नक्शों (हाइड्रो फ्रेक्चरिंग मैप) का प्रयोग, हैंड वाटर प्रोस्पेक्ट नक्शों इत्यादि का उपयोग नलकूपों की खुदाई से पहले किया जाना चाहिये। विभाग द्वारा निर्देशित अनुसार (जुलाई 1988) समस्त कार्यपालन यंत्रियों को प्रमुख अभियंता को वार्षिक विवरण असफल नलकूप 10 प्रतिशत स्वीकार्य सीमा से अधिक हो तो कारण सहित औचित्य दर्शाते हुए एवं 15 प्रतिशत से अधिक है तो अधीक्षण यंत्री की टिप्पणी सहित प्रस्तुत करना होता है।

नलकूपों की स्वीकार्य सीमा से अधिक असफलता के कारण ₹ 7.65 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। नलकूपों की असफलता के कारण अगले उच्च प्राधिकारियों को सूचित नहीं किये गये

यह देखा गया कि 23 में से 10³¹ मण्डल द्वारा कुल 20417 नलकूपों का खनन किया गया जिसमें से असफल का प्रतिशत 12 से 52 प्रतिशत रहा। कार्यपालन यंत्रियों द्वारा प्रमुख अभियंता को वार्षिक विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अभिलेख में कुछ भी उपलब्ध नहीं था। मण्डल वार असफल नलकूपों की स्थिति राशि ₹ 7.65 करोड़ का विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिया गया है।

न तो कार्यपालन यंत्री और न ही अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकार्य सीमा से परे नल कूप की विफलता के लिये कोई औचित्य की पेशकश की गई। प्रमुख अभियंता को इस प्रकार असफल नलकूपों की विफलता के कारणों के विश्लेषण/निगरानी के लिए अवसर नहीं दिया गया और 2009-13 के दौरान विफलता स्वीकार्य सीमा से अधिक बनी रही।

विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में कहा गया कि संबंधित मुख्य अभियंता से टिप्पणी माँगी गयी है, उसके बाद जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।

2.1.10 मानव संसाधन प्रबंधन

2.1.10.1 विभाग में मानव शक्ति की कमी

आवश्यक मानव शक्ति की उपलब्धता सफल कार्यान्वयन के लिये और किसी भी योजना की निगरानी के लिये एक पूर्व शर्त है।

³¹ भोपाल सिविल ₹ 43.53 लाख, भोपाल मैक. ₹ 53.40 लाख, धार ₹ 15.70 लाख, डिंडोरी ₹ 25.25 लाख, जबलपुर मैक. ₹ 204.80 लाख, खरगोन ₹ 43.01 लाख, मंडला ₹ 99.27 लाख, राजगढ़ ₹ 11.79 लाख, सागर ₹ 240.00 लाख और उज्जैन (मैक.) ₹ 28.68 लाख

तकनीकी संवर्गों में
मानवशक्ति की
उल्लेखनीय कमी थी

हमने देखा कि तकनीकी स्टाफ में स्वीकृत पदों के विरुद्ध उल्लेखनीय कमी सहायक यंत्री (28), उप यंत्री (307) और ड्राफ्ट्समैन/सहायक ड्राफ्ट्समैन (51) थी। तथापि अनुवीक्षण के लिये पर्यवेक्षण स्टाफ जैसे अधीक्षण यंत्री (एस ई) स्वीकृत संख्या से 62 प्रतिशत अधिक थे।

विभाग द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2013) कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 187 उपयंत्रियों का चयन (दिसम्बर 2013) कर लिया गया है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को 35 सहायक यंत्रियों की माँग भेजी गयी थी। अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री के संबंध में विभाग ने कहा कि उनमें से कुछ अन्य विभागों में प्रतिनियुक्तियों पर हैं।

तथ्य यह है कि योजना अवधि के दौरान तकनीकी और मैदानी स्टाफ की कमी से कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा जैसा कि बस्तियों के कवरेज में कमी (पैरा 2.1.8.2), ग्रामीण स्कूलों और आंगनबाड़ियों की कवरेज (पैरा 2.1.8.3) नलजल प्रदाय योजनाओं का अपूर्ण रहना (पैरा 2.1.8.4 और 2.1.8.6), हैंडपंपों के संचालन और रख रखाव (पैरा 2.1.8.5) आदि से परिलक्षित होता है।

2.1.10.2 जिला जल एवं स्वच्छता समिति की मानव शक्ति

योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित अनुसार जिला जल एवं स्वच्छता अभियान का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (2009-12) के जिला स्तर पर प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिये किया जाना था। दिसम्बर 2013 तक जिला जल एवं स्वच्छता समितियों में निर्धारित पदों और शक्ति का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-11 कार्यरत जिला जल स्वच्छता समितियों में मानव शक्ति की स्थिति

पद का नाम	आवश्यकता एक प्रति जिला 50 जिलों के लिये	जिले में पदस्थ मानव शक्ति	कमी (प्रतिशत)
सूचना, शिक्षा एवं संचार एवं न्याय नीति सलाहकार	50	50	निरंक
निगरानी, मूल्यांकन सह एम.आइ.एस. सलाहकार	50	18	32 (64)
मानव संसाधन विकास सलाहकार	50	50	निरंक
हाईड्रो भू वैज्ञानिक	50	27	23 (46)

(स्रोत: सूचना मुख्य अभियंता द्वारा उपलब्ध कराई गयी)

अनुवीक्षण सह एम.आइ.एस. सलाहकार और हाइड्रो भू विज्ञानी के पद अभी भी रिक्त बने हुए हैं। अपर्याप्त मानव शक्ति जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन, योजनाओं के निर्माण, निगरानी, नियंत्रण और जागरूकता की सहायक गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में स्वीकार किया और कहा कि बचे हुए पद मानदंडों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पड़े हुए हैं जो कि शीघ्र ही भर दिये जाएंगे।

2.1.10.3 खण्डीय संसाधन केंद्रों में मानव शक्ति की कमी

भारत सरकार द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की एक विस्तारित वितरण शाखा के रूप में सेवा करने के लिये और ग्राम पंचायतें/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों/ग्राम समुदायों के साथ एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिये 31 मार्च 2011 से पहले खण्डीय संसाधन केंद्र स्थापित करने के निर्देश (अगस्त 2010) दिये गये। खण्डीय संसाधन केंद्र के पदाधिकारियों को अनुबंध के आधार पर विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिये गैर सरकारी संगठन या बाहरी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा काम पर रखा जा सकता है। मापदण्डों के अनुसार एक खण्डीय समन्वयक और एक से तीन³² क्लस्टर समन्वयक प्रत्येक ब्लॉक में जनसंख्या के हिसाब से प्रदान किया जाना था।

भारत सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति नहीं की गई

हमने देखा कि दिसम्बर 2013 की स्थिति में 313 खण्डीय संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई थी जिसके विरुद्ध 294 खण्डीय समन्वयक की पदस्थापना की गई। 807 क्लस्टर समन्वयक की माँग के विरुद्ध किसी भी पदास्थापना नहीं हुई थी। इसलिये जागरूकता, प्रेरणा, ग्राम समुदायों, ग्राम पंचायतों और ग्राम पेयजल सुरक्षा समितियों को प्रशिक्षण जैसी गतिविधियाँ नहीं की जा सकीं।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि क्लस्टर समन्वयक का कोई भी पद राज्य पेयजल मिशन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था एवं बचे हुए खण्ड समन्वयक के 19 पद शीघ्र भरे जायेंगे। हालांकि क्लस्टर समन्वयक के पद स्वीकृत न करने के लिये कोई कारण नहीं बताया गया।

तथ्य यह है कि खण्ड समन्वयक और क्लस्टर समन्वयक के अभाव में जिला स्तर और गाँव के स्तर के बीच संयोजन में अंतर अभी भी विद्यमान है।

2.1.11 अनुवीक्षण

2.1.11.1 राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति को सुनिश्चित करना चाहिए कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आच्छादित बसाहटों के लेखाकरण के लिए केंद्रीय आनलाइन एम.आई.एस. पर प्रविष्टि किया गया है। एक वर्ष में, समिति को कम से कम दो बार बैठकें करनी चाहिए, नई योजनाओं की स्वीकृति के अलावा, प्रगति, पूर्णता तथा पूर्व से स्वीकृत योजनाओं की स्थापना की समीक्षा करनी चाहिए।

यह पाया गया था कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की स्थापना जनवरी 2010 में हुई थी और वर्ष 2009 से 2013 के दौरान की जाने वाली आठ बैठकों के विरुद्ध केवल पांच बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों के कार्यवाही विवरण से यह पाया गया कि नल जल प्रदाय योजनाओं की समीक्षा नहीं की गई। जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों, सूखे स्रोतों/अत्यधिक दोहित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने, जल संरक्षण योजना, तथा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी परिषद से स्थान के चुनाव के मुद्दों पर चर्चा की गई। वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन, जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों, लागत वृद्धि के

³² 70000 या कम के लिए एक, 70000 से 1.5 लाख के लिए दो एवं 1.5 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए तीन

कारण योजनाओं की पुनरीक्षित स्वीकृति, स्थान के बदलाव आदि को भी प्रत्येक वर्ष इन बैठकों में अनुमोदित किया गया

निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा (दिसम्बर 2013) कहा गया कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 2013-14 में नियमित बैठकों की जावेगी।

2.1.11.2 शिखर समिति

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन प्रदाय करने के लिये शिखर समिति का (जून 2009) गठन किया गया था मुख्य सचिव जिसके प्रमुख थे और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा जनसंपर्क विभाग के सचिव सदस्य थे। सचिव (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) मिशन गतिविधियों के संचालन के लिये नोडल सचिव के रूप में उत्तरदायी रहेंगे।

यह पाया गया था कि दिशा-निर्देशों के अनुसार 2009-10 से 2012-13 के दौरान आठ बैठकों के विरुद्ध केवल दो बैठकें आयोजित की गईं, प्रथम दिसम्बर 2009 में तथा द्वितीय मार्च 2011 में।

निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा (दिसम्बर 2013) कहा गया कि शिखर समिति जब भी आवश्यकता हो नीतिगत मामलों में निर्णय लेती है।

शिखर समिति की केवल दो बैठकें हुईं, इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उचित मार्गदर्शन नहीं दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियों की पहले से ही चर्चा³³ की गई है।

2.1.11.3 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली

2.1.11.3(अ) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में 2011 की जनगणना के ग्रामों को सम्मिलित किया जाना

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की कंडिका 19.2 के अनुसार, भारत सरकार के पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली का संधारण किया गया है, जो कि कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिये महत्वपूर्ण तंत्र है। इसके लिये पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित किये अनुसार कर्मचारियों द्वारा आंकड़े आनलाइन प्रस्तुत किये जाते हैं। इसके लिये अधिकारिक आंकड़े आनलाइन प्राप्त करने के लिये, पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित किया। राज्य द्वारा आनलाइन प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर राज्य को निधियाँ जारी की जाती हैं।

आनलाइन आंकड़ों की जांच में पाया गया कि जनगणना 2011 के आधार पर बड़े हुये ग्रामों की सूचना एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रविष्टि हेतु विभाग द्वारा नहीं दी गई। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में ग्रामों की संख्या को जोड़ने तथा जनसंख्या 2011 की सूचना का अन्तर निम्नानुसार है:

जनगणना 2011 के कुल ग्राम	52093
एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के कुल ग्राम	51541
एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा जनगणना ग्रामों में अंतर	552

एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत 552 गाँव शामिल नहीं किए गए एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की सुविधाओं से वंचित रहे

³³ कंडिका 2.1.6.1, 2.1.6.3, 2.1.7.4, 2.1.7.8, 2.1.8.2, 2.1.8.7, 2.1.8.8 इत्यादि

आई.एम.आई.एस. में जनगणना 2011 के ग्रामों को जोड़े न जाने के कारण 552 ग्राम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे।

निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा (दिसम्बर 2013) तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा कहा गया कि आंकड़ों के अन्तर को सुधारने के प्रयास किये जा रहे थे।

2.1.11.3(ब) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में आंकड़ों की गलत प्रविष्टि

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रत्येक वर्ष पेयजल आपूर्ति विभाग की वेबसाइट (indiawater.gov.in) पर पूरी तरह आच्छादित बसाहटें, आंशिक आच्छादित बसाहटें, आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की प्रविष्टि करता है। राज्य द्वारा प्रविष्ट आंकड़ों में भारत सरकार आंकड़ों की प्रविष्टि के दोहराव को चिन्हित करती है तथा राज्य सरकार को इस संबंध में सचेत करती है।

दोहराव से बचने के लिए ऑनलाइन प्रविष्टित आंकड़े सक्षम प्राधिकारियों से प्रमाणीकृत होने चाहिए

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आनलाइन प्रविष्टि किये गये आंकड़ों की जांच में हमने पाया कि 1773 बसाहटें जो पूर्णतः आच्छादित थी पुनः आच्छादन के लिए तथा पहले से ही आच्छादित 2276 बसाहटें 2009-13 के दौरान फिर से आच्छादन के लिये लक्ष्य में शामिल की गई थीं। भारत सरकार द्वारा दोहराव को चिन्हित किया गया तथा वेबसाइट के सचेत कॉलम में दर्शाया गया।

इन ऑनलाइन आंकड़ों की प्रविष्टि के दोहराव के लिये न तो जिला स्तर और न ही राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कोई ध्यान दिया गया। राज्य तथा जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा आंकड़ों की आनलाइन प्रविष्टि को प्रमाणीकृत करना चाहिए था।

निर्गम सम्मेलन में विभाग द्वारा (दिसम्बर 2013) कहा गया कि आनलाइन आंकड़ों से संबंधित प्रविष्टि के लिये जिला अधिकारियों को सुधारात्मक उपाय करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा ऐसी गलतियों को टालने के लिये संबंधित आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उत्तर अपने आप में यह दर्शाता है कि समुचित स्तर पर अनुवीक्षण की कमी रही।

2.1.12 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की सफल कहानियों के कुछ उदाहरण

यद्यपि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के उज्ज्वल पक्ष भी हैं। हमने पाया कि फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में डिफ्लोराइडेशन संयंत्र स्थापित किये गये, रिचार्जिंग उद्देश्य के लिये बंध रोक तथा छत के ऊपर जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, विभाग द्वारा निर्माण की गई नल जल प्रदाय योजनाओं का पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है तथा बहुग्राम नल जल प्रदाय योजनाओं का विभाग द्वारा सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है जो कि नीचे दिये गये फोटोग्राफ्स में देखा जा सकता है:

	
<p>डिफ्लोराइडेशन संयंत्र धार जिले के तिरला विकास खंड के "आदवी" ग्राम में ₹ 4.45 लाख की लागत से अप्रैल 2012 में स्थापित किया गया, सफलतापूर्वक चालू है तथा स्थानीय निवासियों द्वारा संधारण किया जा रहा है। इस संयंत्र के द्वारा 452 ग्रामवासियों की जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।</p>	<p>बंधरोक धार जिले के नालछा विकास खण्ड के "पीपलीमाल" ग्राम में जनवरी 2012 में तैयार किया गया, बसाहट की 201 जनसंख्या को आच्छादित किया जाहं पुनर्भरण के लिए पानी का भंडार किया गया है।</p>
	
<p>धार जिले के "पीपलीमाल" तथा "लोभानपुरा" ग्रामों में खोदे गये कुएं। जुलाई 2011 से ग्रामों के स्थानीय निवासियों द्वारा पानी का उपयोग किया जा रहा है।</p>	
	
<p>ओवरहेड टैंक बड़वानी जिले के सेंधवा विकास खण्ड के मडगांव में ₹ 11.19 लाख से तैयार किया गया तथा नवंबर 2012 में पंचायत को हस्तांतरित किया गया।</p>	<p>स्टैण्ड पोस्ट बड़वानी जिले के सेंधवा विकास खण्ड के मडगांव में नवम्बर 2012 में तैयार किया गया जिसे ओवर हेड टैंक से जोड़ा गया।</p>



पंप हाउस के साथ इंटेक वैल तथा इंटेक वैल से जोड़ा गया पुल, बिछाई गई पाइप लाइन, एयर वाल्व, स्लुस वाल्व धार जिले के सरदारपुर के गाँव "वेलगीपाड़ा" में जिसके द्वारा धार जिले के बदनावर/सरदारपुर विकास खण्ड में 44 बसाहटों को आच्छादित किया, अशुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिये जल शोधन यंत्र मार्च 2013 में तैयार किया गया। पानी की जांच के पश्चात सितम्बर 2013 से जल प्रदाय किया जा रहा है।



छत के ऊपर जल संग्रहण तथा आर.सी.सी. सतह टैंक बैतूल जिले के बैतूल विकास खण्ड के "खेडी सावली गढ़" ग्राम के आदिवासी प्राथमिक बालक छात्रावास में पानी एकत्रित करने के लिये लागत ₹ 4.38 लाख से फरवरी 2012 में तैयार किया गया



रायसेन जिले के "स्तनपुर गिरधारी" ग्राम में ओवर हैड टैंक तथा बिछाई गई जी.आई.पाइप लाइन लागत ₹ 6.50 लाख जो कि अक्टूबर 2011 में तैयार किए गए, को देखा जा सकता है जिससे कनेक्शनों को घरों से जोड़ा गया है। नलजल प्रदाय योजना मेंढकी पंचायत को हस्तांतरित की गई जिससे 115 प्रत्येक घरों को कनेक्शन से जोड़ा गया।

2.1.13 निष्कर्ष

राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के समीक्षा में एक ओर हमने देखा कि राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की उचित प्रगति थी। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में डिफ्लोराइडेशन संयंत्रों की स्थापना की गई, बंध रोक तथा छत पर जल संग्रहण संरचनाओं को पुनर्भरण उद्देश्य से तैयार किया गया, विभाग द्वारा निर्मित नल जल प्रदाय

योजनाओं का पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। बहु ग्राम नल जल प्रदाय योजनाएं विभाग द्वारा सफलतापूर्वक निर्मित की गईं। तथापि दूसरी ओर हमने देखा कि वर्ष 2003 से घरेलू पेयजल आवश्यकताओं के अनुसार बसाहटों का विस्तृत सर्वे नहीं कराया गया। राज्य तथा जिला स्तर पर व्यापक जल सुरक्षा वार्षिक कार्य योजनाएं नीचे पहुंच को अंगीकृत किए बिना तैयार की गईं। योजनाएं तैयार करते समय प्रतिमान स्तर पर 80 प्रतिशत भू-जल आधारित प्रणालियों को 20 प्रतिशत तक स्थानांतरित करने पर ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष के अंत में अत्यधिक निधियाँ जारी की गईं जिसके परिणामस्वरूप वर्षवार लक्ष्य प्राप्ति में कमी रही। घटकवार आवंटन की पर्याप्तता एवं संसाधनों का व्यय सुनिश्चित नहीं किया गया। कम संख्या में बसाहटों को आच्छादन के लिए लक्षित किया गया, परिणामस्वरूप 34 प्रतिशत बसाहटें पूर्णतः आच्छादन के लिए शेष थीं। राज्य में उल्लेखनीय संख्या में ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का आच्छादन नहीं किया गया। अधिकतम पेयजल प्रदाय नलजल प्रदाय योजना के स्थान पर हैंडपंपों पर निर्भर था। चालू परियोजनाओं के पूरा करने को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। संवहनीयता घटक के अंतर्गत, भू-जल पुनर्भरण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था जिसके कारण स्रोतों के सूखने से पूर्णतः आच्छादित बसाहटें स्लिप बैंक बसाहटों में परिवर्तित हुईं। प्रयोगशालाओं का मानव संसाधन और अधोसंरचना के संदर्भ में सुदृढीकरण किया जाना शेष है। राज्य सरकार ने टेंडर प्रीमियम, सेण्टेज प्रभार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निधियों से किए गए और गैर अनुमत्य कार्यों पर किये गये व्यय के लिए अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई है।

2.1.14 अनुशंसाएं

- आयोजना प्रक्रिया में नीचे पहुंच के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जिसके तहत जमीनी स्तर पर ग्राम जल सुरक्षा योजना के आदान प्राप्त किए जाते हैं।
- जैसा कि दिशा-निर्देशों में उल्लिखित है कि ध्यान 80 प्रतिशत भू-जल से 20 प्रतिशत पर स्थानान्तरित होना चाहिए और शेष छत जल संग्रहण भू-जल पुनर्भरण और सतह जल संचयन के संयोजन और संयुक्त उपयोग से होना चाहिए।
- निर्धारित मानदण्डों के अनुसार धन का वितरण विशेष रूप से संवहनीयता और सहायक गतिविधियों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (चल रही योजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जा सकती है) और सभी ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जा सकता है।
- बसाहटों का आच्छादन करते समय बसाहटों के स्लिप बैंक की स्थिति को टालने के लिए संवहनीयता पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
- अधोसंरचना के साथ ही मानव शक्ति के संदर्भ में प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया जाना चाहिए ताकि जल के नमूने पर्याप्त मात्रा में जांचे जा सकें और जल की गुणवत्ता सभी बसाहटों के लिये सुनिश्चित की जा सके।

- फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में नलजल प्रदाय प्रणाली शीघ्र पूरी की जानी चाहिए एवं जहां भी आवश्यकता हो डिफ्लोराइडेशन संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
- प्रतिवेदित आंकड़ों के गलत मिलान से बचने के लिये एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली और पी.एच.इ.आइ.एम.एस. पर डाटा और सूचना के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की उपयुक्त ढंग से जांच और अनुवीक्षण होना चाहिए।

उच्च शिक्षा विभाग

2.2 उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा

कार्यपालन सारांश

उच्च शिक्षा विभाग शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, शोध संस्थानों, विशिष्ट उद्देश्यों के लिये स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं में शिक्षा के मानक में सुधार के लिये उत्तरदायी है। 2010-13 की अवधि के दौरान विभाग की कार्यविधि की लेखापरीक्षा समीक्षा विभाग द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभाग के निष्पादन के आंकलन करने के लिए भी गई थी।

- योजनाएं तैयार करने के लिये विभाग में समग्र डाटाबेस उपलब्ध नहीं था। पूर्व वर्षों के लक्ष्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि और राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा के आधार पर वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गई थी।
- विभाग में बजटीय एवं व्यय नियंत्रण अपर्याप्त था जो कि 2010-13 के दौरान आयोजना निधि के 24 प्रतिशत तक कम व्यय होने, बड़ी राशि (₹ 389.47 करोड़) के विलंब से समर्पण एवं व्यय आंकड़ों के मिलान न होने से ₹ 11.10 करोड़ का अन्तर, रोकड़ बही के संधारण में कमी एवं महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ₹ 16.80 करोड़ तीन वर्ष तक सिविल डिपोजिट में रखे जाने से परिलक्षित होता है।
- विभाग द्वारा महाविद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। महाविद्यालयों की संख्या एवं पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद अधोसंरचना एवं शैक्षणिक स्टाफ का अभाव था जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।
- हितग्राही मूलक योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं था। विभिन्न योजनाएं जैसे गाँव की बेटा योजना, प्रतिभा किरण योजना, निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना एवं बुक बैंक योजना इत्यादि में लक्षित हितग्राहियों ने पूर्ण रूप से लाभ अर्जित नहीं किया। हितग्राहियों को विलम्ब से सहायता भुगतान, एवं अधिक/अनियमित सहायता भुगतान के प्रकरण पाए गए।
- विभाग में मार्च 2013 को स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत रिक्त थे। 7280 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1900 शैक्षणिक स्टाफ कम था। स्टाफ के अनुचित नियोजन के कारण 31 नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में अधिक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ नियोजित था।
- स्टाफ की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा अपर्याप्त था एवं आवधिक निरीक्षण के अभाव में निगरानी तंत्र अप्रभावी था।

2.2.1 प्रस्तावना

उच्च शिक्षा विभाग (विभाग) शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों तथा विशिष्ट प्रयोजनों हेतु स्थापित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए उत्तरदायी है। आयुक्त, उच्च शिक्षा (आयुक्त) विभाग में मुख्य नियंत्रण अधिकारी है तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभाग की वार्षिक गतिविधियों के आयोजन करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग के मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना, भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों, स्वीकृत तथा रिक्त पदों को भरकर शिक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, शैक्षणिक तथा शोध कार्यों को बढ़ावा देना, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम का सृजन करना तथा विभाग के अन्दर सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों को विकसित करना है। विभाग द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियाँ शासकीय महाविद्यालयों का संचालन, निजी महाविद्यालयों के संचालन हेतु सहायता देना, नए संस्थानों/विषयों/पाठ्यक्रमों का खोला जाना तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान प्रदान करना है। विभाग एक केन्द्र प्रवर्तित योजना को सम्मिलित करते हुए 10³⁴ मुख्य योजनाएं/गतिविधियाँ कार्यान्वित करता है। शासकीय तथा निजी महाविद्यालयों के अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित सात विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित 16 विश्वविद्यालय तथा पाँच अन्य सहायता प्राप्त संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर विभाग के शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव हैं तथा वह शासन की नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। विभाग का समग्र वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त, उच्च शिक्षा में निहित है। आयुक्त की मुख्यालय पर अपर संचालकों, संयुक्त संचालकों तथा उप संचालकों द्वारा तथा संभागीय स्तर पर सात क्षेत्रीय अपर संचालकों द्वारा सहायता की जाती है। विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में एक अग्रणी महाविद्यालय के रूप में चिन्हित 50 शासकीय महाविद्यालय संबंधित जिले में अन्य महाविद्यालयों के समन्वय, जानकारियों के संकलन तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों के निष्पादन हेतु जिम्मेदार है। वे निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान के भुगतान के लिए तथा अनुदान के उपयोग के अनुवीक्षण के लिए भी जिम्मेदार है। 352 स्नातकोत्तर तथा स्नातक महाविद्यालय हैं, जिनके प्रमुख प्राचार्य हैं। विभाग विश्वविद्यालयों को भी नियंत्रित करता है।

मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्थान (अनुदान का प्रदाय) अधिनियम 1978 उच्च शिक्षा के लिए शासन द्वारा अनुदान प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों (77 संख्या) में शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को नियंत्रित करता है। विभाग द्वारा अपेक्षित

³⁴ (1) राष्ट्रीय सेवा योजना (केन्द्र प्रवर्तित), (2) प्रतिभा किरण योजना, (3) निर्धन वर्ग हेतु विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना, (4) स्वामी विवेकानन्द जीविका मार्गदर्शन योजना, (5) गांव की बेटा योजना, (6) युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना, (7) छात्राओं के लिये आवागमन सुविधा, (8) असहाय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, (9) पी.एच.डी. शोधार्थियों को सहायता तथा (10) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों/स्टेशनरी का प्रदाय।

मानदंडों/शर्तों की पूर्ति करने वाले पंजीकृत निजी निकाय/संस्थान विभाग से अनुमति प्राप्त करने तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के पश्चात नए महाविद्यालय खोलते हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- विभाग की योजना प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबंधन दक्ष, प्रभावी तथा मितव्ययी था;
- योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी था तथा गुणवत्ता प्रबंधन पर्याप्त था;
- बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन उपयुक्त था तथा
- अनुवीक्षण तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रभावी थे।

2.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न स्रोतों से लिए गए थे -

- परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक कार्य योजनाएं तथा राज्य योजना आयोग द्वारा जारी निर्देश।
- बजट नियमावली के प्रावधान, सामान्य वित्तीय नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता एवं मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता तथा मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम।
- राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के कार्यान्वयन के दिशा निर्देश।
- भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा विभाग के कार्यों से संबंधित जारी अधिनियम, नियम, अधिसूचनाएं तथा निर्देश।

2.2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

" उच्च शिक्षा विभाग की कार्यविधि " की समीक्षा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों को छोड़कर मात्र महाविद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र को सम्मिलित करता है। 360 इकाईयों में से 90 इकाईयों³⁵ (परिशिष्ट 2.11) के 2010-13 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2012 से सितम्बर 2013) लेखापरीक्षा में की गई। 12 मार्च 2013 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदण्ड तथा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई थी। जनवरी 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई तथा उनके विचारों को समीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

³⁵ संचालनालय की दो इकाईयाँ तथा 31 अग्रणी महाविद्यालयों को सम्मिलित करके 88 शासकीय महाविद्यालय।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 आयोजना

राज्य योजना आयोग राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजनाओं को तैयार करता है तथा प्रत्येक विभाग के लिए पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए योजना सीमा को निर्धारित करता है। तदनुसार, विभाग ने 2012-17 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की। वार्षिक योजनाएं भी तैयार की गई थी तथा प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। प्रेक्षण निम्नानुसार थे:

- परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजनाओं की तैयारी करने हेतु विभाग के पास महाविद्यालयों में भौतिक अधोसंरचना³⁶ तथा आधारभूत सुविधाओं के संबंध में डेटाबेस नहीं था। यद्यपि महाविद्यालयवार विद्यार्थियों तथा विषयवार शैक्षणिक स्टाफ की स्वीकृत संख्या तथा कार्यरत संख्या एवं लाभान्वित विद्यार्थियों का डेटाबेस तैयार किया गया था परन्तु इसका प्रयोग योजनाओं को तैयार करने में नहीं किया गया था।
- वार्षिक योजनाएं, राज्य योजना आयोग द्वारा विभाग हेतु निर्धारित वित्तीय सीमा के आधार पर तैयार की गई थी। आयुक्त ने बताया कि वार्षिक योजनाएं पूर्व वर्ष की उपलब्धियों तथा वर्तमान वर्ष की आवश्यकता के आधार पर तथा पूर्व वर्ष के लक्ष्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि कर तैयार की गई थी।
- पूर्ववर्ती वर्षों के लक्ष्यों की प्राप्तियों में कमी के कारणों को प्रदर्शित करने तथा उत्तरवर्ती वर्षों में ऐसी कमियों को दूर करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों का कोई विश्लेषण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

हमने 2010-12 की अवधि में विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों में 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के मध्य कमियाँ पाई (परिशिष्ट 2.12)। योजना में कमियों ने वार्षिक योजना में विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जैसा कि कंडिका 2.2.7.1 में चर्चा की गई है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा बिन्दुओं को भविष्य में पालन के लिए टीप किया गया।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 बजट प्रावधान और व्यय

राज्य बजट नियमावली के अनुसार बजट अनुमान जितना संभव हो सके उतने समीप तथा सटीक होना चाहिए। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार बजट अनुमान वित्त विभाग को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गई तिथि से पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

³⁶ महाविद्यालय भवन, स्टाफ कक्ष का निर्माण, पुस्तकालय विकास, प्रयोगशाला उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।

उपलब्ध संसाधनों के समग्र डेटाबेस के अभाव से वार्षिक योजनाओं में कमी थी जिसने विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया

बजट अनुमान 33 से 70 दिनों की देरी से प्रस्तुत किए गए

हमने पाया कि 2011-13 के दौरान विभाग ने वित्त विभाग को बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से 33 से 70 दिनों की देरी से भेजे।

2010-13 की अवधि के दौरान तीन अनुदानों³⁷ के अन्तर्गत बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण तालिका-1 में दर्शाए अनुसार थे :-

तालिका 1: बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मांग संख्या	बजट प्रावधान			व्यय			बचत (प्रतिशत)		
		आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग	आयोजना	आयोजनेत्तर	योग
2010-11	44	87.38	748.25	835.63	63.56	587.28	650.84	23.82	160.97	184.79
	41	12.50	-	12.50	10.86	-	10.86	1.64	-	1.64
	64	21.60	-	21.60	18.04	-	18.04	3.56	-	3.56
	योग	121.48	748.25	869.73	92.46	587.28	679.74	29.02	160.97	189.99 (22)
2011-12	44	51.53	847.08	898.61	47.61	687.57	735.18	3.92	159.51	163.43
	41	12.35	-	12.35	10.56	-	10.56	1.79	-	1.79
	64	8.65	-	8.65	5.92	-	5.92	2.73	-	2.73
	योग	72.53	847.08	919.61	64.09	687.57	751.66	8.44	159.51	167.95 (18)
2012-13	44	86.15	925.06	1011.21	67.43	819.94	887.37	18.72	105.12	123.84
	41	15.19	-	15.19	12.74	-	12.74	2.45	-	2.45
	64	10.20	-	10.20	8.15	-	8.15	2.05	-	2.05
	योग	111.54	925.06	1036.60	88.32	819.94	908.26	23.22	105.12	128.34(12)
महायोग		305.55	2520.39	2825.94	244.87	2094.79	2339.66	60.68	425.60	486.28

(स्रोत-विस्तृत विनियोग लेखे तथा मासिक विनियोग लेखे)

विभिन्न योजनाओं के लिये ₹ 4.77 करोड़ का मूल बजट प्रावधान बिना उपयोगिता के व्यपगत हो गया जिसने उन गतिविधियों के लिए लक्ष्यों की पूर्ति को प्रभावित किया

हमने देखा कि समग्र बचतें 12 से 22 प्रतिशत थीं। 2010-13 के दौरान योजना शीर्ष के अन्तर्गत बचतें 12 से 24 प्रतिशत थीं।

हमने पाया कि विभाग ने बजट प्रावधान तैयार करने के लिए अधीनस्थ कार्यान्वयन इकाईयों से आदानों को प्राप्त नहीं किया। यह पाया गया कि 2010-13 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अन्तर्गत ₹ 4.77 करोड़³⁸ का सम्पूर्ण मूल बजट प्रावधान व्यपगत हो गया (परिशिष्ट 2.13)। इस तरह विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों में वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना प्रावधान किए गए। वार्षिक योजना में योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किए गए थे जैसा कि कण्डिका 2.2.6 में चर्चा की गई है। निधियों का उपयोग न होना, आयुक्त द्वारा पर्याप्त अनुवीक्षण तथा बजटीय एवं व्यय नियंत्रण की कमी को दर्शाता था। यह भी पाया गया कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में भारी राशि विमुक्त की गई जिससे प्रत्येक वर्ष बचतें हुईं। यह देखा गया कि 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 2825.94 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध आयुक्त द्वारा ₹ 2350.76 करोड़ का व्यय बताया गया। हालांकि विनियोग लेखों के अनुसार कुल व्यय ₹ 2339.66 करोड़ था। अंतर (₹ 11.10 करोड़) तीनों वर्षों के दौरान विभाग द्वारा व्यय आंकड़ों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों से नहीं किए जाने के कारण था।

³⁷ मांग संख्या 44-उच्च शिक्षा, 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता तथा 64-अनुसूचित जाति उपयोगिता।

³⁸ 2010-11 - ₹ 1.83 करोड़, 2011-12 - ₹ 0.59 करोड़ तथा 2012-13 - ₹ 2.35 करोड़।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बिन्दुओं को भविष्य में अनुपालन के लिए टीप किया तथा बताया कि बजट अनुमानों की समय से तैयारी सुनिश्चित की जाएगी।

2.2.7.2 राशियों का विलम्ब से समर्पण

₹ 389.47 करोड़ की बचतों को वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया गया तथा ₹ 84.72 करोड़ समर्पित नहीं किए गए

बजट नियमावली की कंडिका 131 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी को सभी प्रत्याशित बचतों को जैसे ही वे परिलक्षित हो वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना शासन को समर्पित कर देना चाहिए। किसी भी बचत को संभावित भविष्य के व्यय के लिए आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभाग ने ₹ 486.28 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 389.47 करोड़³⁹ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित किए जिससे राशि को अन्य विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु कम अवसर शेष रहे। इसके अतिरिक्त, ₹ 84.72 करोड़ की बचतें आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संबंधित वित्तीय वर्षों के अंत में समर्पित नहीं की गईं जिसके परिणामस्वरूप राशि व्यपगत हो गई। इसने बजटीय तथा व्यय नियंत्रण की कमी को दर्शाया। निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि बजट का समर्पण समय से किया जाएगा तथा व्यपगतों से बचा जाएगा।

2.2.7.3 बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशि को सिविल जमा में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता, खण्ड-1 का नियम-284 राशि की तत्काल वितरण की आवश्यकता के अभाव में कोषालय से आहरण को प्रतिबंधित करता है।

बिना आवश्यकता के ₹ 17.60 करोड़ सिविल जमा में अवरुद्ध रखे गए और ₹ 0.80 करोड़ व्यपगत हो गए

हमने पाया कि 2009-10 के दौरान आयुक्त ने भवन निर्माण के लिए (₹ 16.80 करोड़) तथा नवीन महाराजा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए (₹ 0.80 करोड़) कुल ₹ 17.60 करोड़ कोषालय से आहरित किए (मार्च 2010) तथा वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने (मार्च 2010) के पश्चात सिविल जमा में रखा। 2012-13 में अर्थात् तीन वर्ष पश्चात निर्माण उद्देश्य के ₹ 16.80 करोड़ तीन महाविद्यालयों⁴⁰ को विमुक्त किए गए तथा राशि ₹ 0.80 करोड़ जमा के तीन वर्ष के भीतर उपयोग न किए जाने से राज्य के राजस्व में व्यपगत होने दिए गए। सिविल जमा में निधियों को अवरुद्ध रखा जाना अनियमित था जिसके कारण व्यय को अधिक/कम करके बताया गया। ₹ 16.80 करोड़ में से दो महाविद्यालयों के लिए ₹ 4.85 करोड़ निर्माण एजेन्सी को अंतरित किए गए तथा दिसंबर 2013 को ₹ 11.95 करोड़ महाविद्यालयों के पास उपलब्ध थे।

आयुक्त ने बताया (अगस्त 2013) कि राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटित नहीं किए जाने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका जो कि प्रक्रियाधीन था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राशि का आहरण भवन निर्माण हेतु भूमि के आवंटन के पूर्व नहीं किया जाना चाहिए था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

³⁹ 2010-11- ₹ 136.51 करोड़, 2011-12- ₹ 136.13 करोड़ तथा 2012-13 में ₹ 116.83 करोड़।

⁴⁰ शासकीय महाविद्यालय, डोबी सिहोर (₹ 2.43 करोड़), शासकीय महाविद्यालय बकतारा, सिहोर (₹ 2.42 करोड़), शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शीवा (₹ 11.95 करोड़)

2.2.7.4 वापस नहीं की गई अवधान राशि शासकीय खाते में जमा नहीं की गई

प्राचार्य मार्गदर्शिका⁴¹ की कण्डिका-66 में निहित प्रावधान के अनुसार, विद्यार्थियों से प्राप्त अवधान राशि जमा जो कि उन्हें महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात वापस नहीं की गई, कोषालय में व्यपगत जमाओं के रूप में प्रेषित की जानी चाहिए।

विद्यार्थियों को वापस नहीं की गई अवधान राशि ₹ 1.68 करोड़ को शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया

हमने पाया कि 88 में से 64 महाविद्यालयों में 1983-84 से 2008-09 की अवधि से संबंधित 2.12 लाख विद्यार्थियों की ₹ 1.68 करोड़ की अवधान राशि जमा व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा रखी गई थी। राशियाँ न तो विद्यार्थियों को वापस की गईं न ही कोषालय में जमा की गईं। प्राचार्यों ने बताया (मई से सितम्बर 2013) कि अवधान राशि शासकीय खाते में जमा की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा (जनवरी 2014) कि वापस नहीं की गई अवधान राशि पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु महाविद्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.7.5 रोकड़ प्रबंधन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम-53 में उल्लिखित है कि रोकड़ बही के प्रभारी को प्रत्येक माह के अंत में नगद शेष को भौतिक रूप से सत्यापित करना चाहिए। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से किए गए आहरणों का पाक्षिक सत्यापन किया जाना चाहिए।

नमूना जांच किए गए 88 महाविद्यालयों तथा संचालनालय की दो इकाईयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आहरण संवितरण अधिकारियों ने 2010-13 की अवधि के दौरान रोकड़ प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों की अवहेलना की जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

रोकड़ बहियों तथा सहायक अभिलेखों के संभारण से संबंधित संहितीय प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

- 52 महाविद्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अंत में नियमित रूप से रोकड़ बही के रोकड़ शेष को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया।
- 72 महाविद्यालयों में आहरणों का पाक्षिक सत्यापन कोषालय अभिलेखों से नहीं किया गया।
- 70 महाविद्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का पास बुकों के शेषों से मिलान नहीं किया गया। इससे मार्च 2013 की स्थिति में रोकड़ बहियों तथा पास बुकों में प्रदर्शित आंकड़ों में ₹ 19.19 करोड़ की विसंगति पाई गई। 54 महाविद्यालयों में रोकड़ बही के अनुसार तथा कोषालय अभिलेखों के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप खाते के शेष आंकड़ों में भी ₹ 9.11 करोड़ का अंतर था।
- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम-197 तथा 276 के प्रावधानों के अंतर्गत क्रमशः देयक पंजी की मासिक समीक्षा तथा देयक पारगमन पंजी की द्वि-सप्ताहिक समीक्षा किया जाना आवश्यक है। 2010-13 की अवधि के दौरान 77 महाविद्यालयों द्वारा देयक पंजी की समीक्षा नहीं की गई थी तथा 73 महाविद्यालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा देयक पारगमन पंजी की समीक्षा नहीं की गई थी।

⁴¹ एक अभिलेख जो प्राचार्यों को महाविद्यालयों के संचालन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है।

- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 282 के प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त किए जाने योग्य सुरक्षा निधि 44 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा रोकड़/भण्डार/प्रयोगशाला इत्यादि की देखभाल करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की गई थी।

रोकड़ प्रबंधन के प्रावधानों का उल्लंघन शासकीय धन के दुर्विनियोजन/गबन के जोखिम से भरा है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि संहितागत प्रावधानों को सुनिश्चित करने हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.7.6 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

राशि ₹ 3.25 करोड़ के अस्थायी अग्रिम सितम्बर 2013 की स्थिति में समायोजित नहीं किए गए थे

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खण्ड-1 के नियम-53(4) तथा वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों (अक्टूबर 2001) के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन तीन माह के भीतर या वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जो भी पहले हो, किया जाना चाहिए। नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अवधि 1994-2013 के दौरान 46 महाविद्यालयों में महाविद्यालय स्टाफ को विभिन्न उद्देश्यों जैसे- परीक्षा, प्रशिक्षण तथा खेल गतिविधियाँ इत्यादि के लिए दिए गए राशि ₹ 3.25 करोड़ के अस्थायी अग्रिम सितम्बर 2013 तक असमायोजित थे। (परिशिष्ट 2.14)

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अस्थायी अग्रिमों का समायोजन सुनिश्चित करने हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।


2.2.8 कार्यक्रम प्रबंधन

2010-13 के दौरान विभाग द्वारा प्रतिवेदन ₹ 2350.76 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 2095.75 करोड़ (89 प्रतिशत) वेतन, मजदूरी तथा अन्य प्रशासनिक व्यय पर खर्च किए गए थे। कार्यक्रम कार्यान्वयन पर व्यय ₹ 245.40 करोड़ (10 प्रतिशत) तथा अन्य गतिविधियों जैसे स्टेशनरी, आकस्मिक व्यय (दूरभाष, बिजली, वर्दी आदि) पर ₹ 9.61 करोड़ (0.40 प्रतिशत) था।

2.2.8.1 पंजीयन की स्थिति

गैर तकनीकी तथा गैर चिकित्सा उच्च शिक्षा में सकल पंजीयन अनुपात बढ़ाने हेतु 2010-13 के दौरान 43 नए महाविद्यालय खोले गए थे तथा 173 महाविद्यालयों में नए स्ववित्तीय पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। 2010-12 के दौरान विभाग द्वारा मौजूदा तथा नए खोले गए महाविद्यालयों में 55 नए विषयों को भी शुरू किया गया था।

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान शासकीय महाविद्यालयों तथा विद्यार्थियों के पंजीयन की स्थिति नीचे चार्ट में दी गई है :-



यह देखा गया कि यद्यपि महाविद्यालयों की संख्या 2009-10 में 310 से 2011-12 में 334 तक बढ़ी, इसी अवधि के दौरान विद्यार्थियों की संख्या 58,000 घटी। जबकि 2012-13 के दौरान महाविद्यालयों की संख्या तथा विद्यार्थियों के पंजीयन में वृद्धि हुई, अधोसंरचना तथा शैक्षणिक स्टाफ की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया।

2.2.8.2 नए महाविद्यालयों का खोला जाना

2010-11 के पूर्व विभाग के नियंत्रण में 310 शासकीय महाविद्यालय, 77 निजी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय तथा 510 बिना अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय कार्य कर रहे थे। 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभाग ने राज्य में 43 नए शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को स्वीकृत किया।

43 नये खोले गये महाविद्यालयों में अपर्याप्त मानव शक्ति तथा भौतिक अधोसंरचना पाई गई। 18 महाविद्यालयों में कोई शैक्षणिक स्टाफ पदस्थ नहीं था

43 नए शासकीय महाविद्यालयों हेतु विभाग ने शैक्षणिक स्टाफ के 399 पद तथा अशैक्षणिक स्टाफ के 539 पद स्वीकृत किए। हमने देखा कि शैक्षणिक स्टाफ के नए स्वीकृत 399 पदों में से दिसम्बर 2012⁴² तक 292 पद (73 प्रतिशत) नहीं भरे गए थे। हमने पाया कि 18 नए महाविद्यालयों (2010-11: 3 महाविद्यालय, 2011-12: 8 महाविद्यालय तथा 2012-13: 7 महाविद्यालय) में 138 स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई शैक्षणिक स्टाफ पदस्थ नहीं था हालांकि इन महाविद्यालयों में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 1720 थी। 2253 विद्यार्थियों वाले 13 महाविद्यालयों में 113 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 22 शैक्षणिक स्टाफ था अर्थात प्रत्येक महाविद्यालय के लिए एक से तीन शिक्षक। इस तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातक स्तर पर कला संकाय हेतु निर्धारित 1:30 मानदण्ड के विरुद्ध शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:102 था। महाविद्यालयों के संचालन हेतु भवनों, अशैक्षणिक स्टाफ की पदस्थापना तथा नए महाविद्यालयों के संचालन हेतु अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण मांगे जाने पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। छात्रों की स्वीकृत क्षमता भी संचालनालय के पास उपलब्ध नहीं थी। आयुक्त ने विभिन्न महाविद्यालयों में परिवर्तनीय शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया तथा बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए अतिथि विद्वानों की नियुक्ति कर वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी।

⁴² मार्च 2013 की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

विदिशा में खोले गए एक नए महाविद्यालय (2010-2011) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि:

- जुलाई 2010 में एक पुराने अस्पताल भवन में शुरू किया गया शासकीय नवीन महाविद्यालय, विदिशा, विदिशा शहर से 5 किमी दूर स्थित था। प्रारंभ में महाविद्यालय में मात्र कला संकाय तीन विषयों के साथ शुरू किया गया था। 2011-12 में दो और संकाय वाणिज्य और विज्ञान शुरू किए गए। महाविद्यालय में प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जून 2013 की स्थिति में मात्र दो सहायक प्राध्यापक एक रसायन शास्त्र तथा एक वनस्पति शास्त्र विषय में कार्य कर रहे थे तथा अन्य पद (भौतिक शास्त्र, प्राणीशास्त्र तथा गणित) रिक्त थे। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि विद्यार्थियों ने अन्य विषयों की कक्षाएं कन्या महाविद्यालय, विदिशा में लीं। 2010-13 के दौरान महाविद्यालय में शिक्षक तथा विद्यार्थी की स्थिति तालिका-2 में दी गई है :-

तालिका-2: शासकीय महाविद्यालय, विदिशा में पंजीकृत विद्यार्थियों एवं शैक्षणिक स्टाफ की स्थिति

वर्ष	विज्ञान			कला			वाणिज्य		
	पंजीकृत विद्यार्थी	शिक्षक		पंजीकृत विद्यार्थी	शिक्षक		पंजीकृत विद्यार्थी	शिक्षक	
		स्वीकृत	कार्यरत		स्वीकृत	कार्यरत		स्वीकृत	कार्यरत
2010-11	-	-	-	13	5	4	-	-	-
2011-12	4	5	1	24	5	5	6	3	1
2012-13	31	5	2	120	5	5	18	3	1

यह देखा गया कि विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी। महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संकाय वार क्षमता लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई। शैक्षणिक सुविधाओं की अनुपलब्धता, अध्ययन हेतु अनुकूल वातावरण न होने को इंगित करता है जो कि शिक्षा तथा पंजीयन के गुणवत्ता तथा स्तर को बाधित कर सकता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि खोले गए नए महाविद्यालयों में मानव शक्ति तथा आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने हेतु सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे।

2.2.8.3 पुस्तकालय विकास तथा ऑटोमेशन

प्रत्येक महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों (मई 1987) के अनुसार महाविद्यालय में एक ग्रंथपाल तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए अलग अध्ययन कक्ष होना चाहिए। पुस्तकालय ऑटोमेशन प्रणाली शासन द्वारा 2003-04 में शुरू की गई थी। हमने देखा कि आयुक्त के पास महाविद्यालयों की संख्या जहाँ ऑटोमेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जहाँ जारी है की जानकारी नहीं थी। 88 महाविद्यालयों के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित पाया गया:

- 23 महाविद्यालयों में ग्रंथपाल का पद रिक्त था तथा 14 महाविद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं था।
- 56 महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए पृथक अध्ययन कक्ष उपलब्ध नहीं था।

- 13 महाविद्यालयों में पुस्तकालय स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।
- 88 महाविद्यालयों में से 40 में पुस्तकालय ऑटोमेशन संचालित था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि पुस्तकालय विकास तथा ऑटोमेशन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

2.2.8.4 निजी महाविद्यालयों का प्रबंधन

विभाग निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन निजी निकायों/संस्थानों द्वारा नवीन महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुमति देता है। तत्पश्चात संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय संहिता के अन्तर्गत आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता तथा सनदी लेखापाल द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के पश्चात महाविद्यालयों को सम्बद्धता जारी करता है। नए संकाय तथा नए विषय खोलने हेतु इसी तरह की प्रक्रिया निर्धारित है।

2010-13 की अवधि के दौरान विभाग ने 177 नए निजी महाविद्यालयों की स्थापना हेतु "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किए जिसमें से 97 महाविद्यालयों में कला संकाय, 141 महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा 100 महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय था। परन्तु माँगे जाने पर विभाग स्थापित किए गए तथा वास्तविक रूप से संचालित महाविद्यालयों की संख्या तथा पाठ्यक्रमों एवं विषयों के संबंध में उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं कर सका। यह बिना अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालयों को विनियमित करने के अनुवीक्षण तंत्र की कमी को दर्शाता है। हालांकि विभाग ने राज्य में चल रहे निजी महाविद्यालयों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी एकत्रित करने हेतु अग्रणी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी (जुलाई 2013) किए थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य में संचालित निजी महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत संकायों तथा पाठ्यक्रमों/विषयों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

i) अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को दिए गए ब्लॉक ग्रांट की उपयोगिता का अनुवीक्षण

अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्थान (अनुदान का प्रदाय) अधिनियम 1978 तथा शासन द्वारा जारी (जुलाई 2000) निर्देशों द्वारा विनियमित होते हैं। अधिनियम की धारा-5 अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा पृथक निधि जिसे संस्थागत निधि कहा जाता है, के गठन का प्रावधान करता है, जिसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोला जाना था। संस्थागत निधि में विभाग द्वारा प्रदान किए गए ब्लॉक ग्रांट (वेतन एवं भत्तों का 50 प्रतिशत) तथा विद्यार्थियों से एकत्रित किए गए शुल्क को जमा किया जाना था। आयुक्त द्वारा विमुक्त किए गए अनुदानों के बजट आवंटन आदेशों में यह निर्देशित किया गया था कि अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य संस्थानों द्वारा इस निधि में शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त द्वारा अगले वर्ष के अनुदानों को विमुक्त करने से पहले विमुक्त किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया जाना था। महाविद्यालयों के लेखों को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा लेखापरीक्षित किया जाना है। संबंधित अधिनियम यह भी प्रावधानित करता है कि अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य किसी

निजी अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के संचालन पर अनुवीक्षण में कमी थी

भी समय वेतन के भुगतान तथा अनुषंगी मामलों के संबंध में ऐसी किसी संस्था का निरीक्षण कर सकते हैं।

आयुक्त के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित पाया गया:-

- 2010-13 अवधि के दौरान विभाग द्वारा राज्य में संचालित 77 निजी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के ब्लॉक ग्रांट पर ₹ 118.39 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 86.88 करोड़ का व्यय किया गया। हालांकि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित महाविद्यालयों की संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।
- आयुक्त कार्यालय द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। नमूना जाँच किए गए 14 अग्रणी महाविद्यालयों के अंतर्गत 64 अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में से मात्र 11 अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों का निरीक्षण पाँच अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के द्वारा किया गया था। इस तरह वे महाविद्यालयों के संचालन का अनुवीक्षण करने की स्थिति में नहीं थे।

निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा के अभाव में वास्तविक कार्यरत स्थिति तथा उन्हें वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु अनुदान की वास्तविक आवश्यकता को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था। यह अनुदान की उपयोगिता के अनुवीक्षण की कमी को दर्शाता है।

14 अग्रणी महाविद्यालयों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि 2010-13 के दौरान अग्रणी महाविद्यालयों के माध्यम से विमुक्त किए गए राशि ₹ 77.25 करोड़ का अनुदान 64 अनुदान प्राप्त संस्थाओं को भुगतान किया गया था। परन्तु अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने संस्थानों द्वारा उनके संस्थागत निधि में शुल्क का जमा किया जाना सुनिश्चित नहीं किया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण के लिए तथा संचालक स्थानीय निधि द्वारा लेखापरीक्षा करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे। निजी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा 50 प्रतिशत अंशदान जमा किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा तथा विमुक्त एवं उपयोग किए गए अनुदान राशि का समुचित अभिलेख संधारण किया जाएगा।

2.2.8.5 विभागीय नियमावली तैयार नहीं की गई

प्रत्येक विभाग के लिए अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित बनाने के लिए अपनी नियमावली का होना आवश्यक है। आयुक्त ने महाविद्यालयीन प्रशासन के उचित संचालन तथा प्रबंधन के लिए "प्राचार्य मार्गदर्शिका" के प्रावधानों के पालन की अनुशंसा की थी। विभाग ने अपने संचालन के लिए कार्यालय प्रक्रिया तथा विभागीय नियमावली तैयार नहीं की थी। विभाग के प्रभावी संचालन के लिए विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियम, निर्देश तथा परिपत्र संकलित प्रारूप में नहीं थे। विभाग ने बताया (जनवरी 2014) कि विभागीय नियमावली तैयार करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

विभागीय नियमावली तैयार नहीं की गई थी

2.2.9 योजनाओं का कार्यान्वयन

प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई तथा विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.2.9.1 गाँव की बेटी योजना

ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं में उच्च शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए 2005-06 के दौरान योजना प्रारंभ की गई थी। गाँव की पाठशाला से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण लड़कियाँ और जो गाँव की निवासी हो इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होता है। विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक सत्र में 10 महीनों के लिए ₹ 500 प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना के तहत अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सहायता राशि प्रदान करने हेतु प्राधिकृत हैं। अनुदान प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को योजना में लाभान्वित किया जावेगा बशर्ते उनकी फीस संरचना शासकीय महाविद्यालय के समान हो लेकिन गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के मामले में उनको 5 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर शासकीय/अनुदानप्राप्त संस्थाओं को संचालित न होने संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2012-13 से गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों को अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 2010-11 में 32,226, वर्ष 2011-12 में 33,532 एवं 2012-13 में 34,206 थी।

हमने निम्नलिखित देखा:

2010-11 में निधियों के कम प्रावधान के कारण, बकाया राशि के भुगतान के लिये ₹ 4.41 करोड़ 2011-12 में विमुक्त किए गए

- महाविद्यालयों द्वारा मुद्रा सॉफ्टवेयर⁴³ में बजट अनुमान भेजा जाता है, जिसके आधार पर आयुक्त बजट तैयार करता है। वर्ष 2010-11 में ₹ 16.00 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से ₹ 0.75 करोड़ समर्पण किया गया। तथापि अगले वर्ष 2011-12 में योजना के अंतर्गत ₹ 4.41 करोड़, वर्ष 2010-11 की बकाया राशि के भुगतान करने हेतु जारी किए गए थे। इस प्रकार न तो बजट अनुमान वास्तविक थे और न ही राशि का समर्पण न्यायसंगत था। योजना के लिए कोई आवधिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित नहीं था। अतः आयुक्त व्यय की प्रगति, राशि उपलब्धता एवं आधिक्य/बचत का अनुवीक्षण नहीं कर सके।
- हितग्राहियों को समय पर सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य जिम्मेदार थे। लेकिन यह पाया गया कि 88 महाविद्यालयों में से 12 में वर्ष 2010-13 के लिए 145 प्रकरणों में सहायता राशि ₹ 7.78 लाख की अनुपलब्धता के कारण सितंबर 2013 तक भुगतान नहीं किया गया था।
- नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालयों में 2223 विद्यार्थियों को वर्ष 2010-11 के लिए सहायता राशि ₹ 73.61 लाख का भुगतान अगले वर्ष 2011-12 में किया गया। बजट की अनुपलब्धता एवं आवेदन विलंब से प्राप्त होने

₹ 77.21 लाख की सहायता राशि 2295 विद्यार्थियों को विलंब से वितरित की गई तथा ₹ 7.78 लाख 145 विद्यार्थियों को भुगतान नहीं किए गए

⁴³ वित्त विभाग द्वारा बजट की तैयारी हेतु विकसित किया गया सॉफ्टवेयर।

से वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्त राशि में से तीन महाविद्यालयों के 2011-12 के 28 विद्यार्थियों को राशि ₹ 1.40 लाख एवं वर्ष 2013-14 में दो महाविद्यालयों के 2012-13 के 44 विद्यार्थियों को ₹ 2.20 लाख का भुगतान किया गया था। प्राचार्यों द्वारा आयुक्त को अतिरिक्त बजट की मांग नहीं भेजी गई तथा विद्यार्थी समय से लाभ पाने से वंचित रहे।

₹ 1.09 करोड़ की सहायता का भुगतान निजी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को निर्धारित शर्तों के पालन के बिना किया गया

- अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य अनुदान प्राप्त तथा बिना अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सहायता राशि वितरण हेतु जिम्मेदार थे। अशासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र सहायता स्वीकृति हेतु अग्रणी महाविद्यालयों को भेजे गए थे। तथापि वर्ष 2010-13 में सात अग्रणी महाविद्यालयों द्वारा 79 अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के 1842 विद्यार्थियों को सहायता राशि ₹ 96.87 लाख इन महाविद्यालयों की फीस संरचना अभिनिश्चित किए बिना भुगतान किए गए थे। इसी प्रकार वर्ष 2010-12 के दौरान चार अग्रणी महाविद्यालयों द्वारा 37 बिना अनुदान प्राप्त संस्थाओं के 233 विद्यार्थियों को सहायता राशि ₹ 12.58 लाख पाँच किलोमीटर परिधि में शासकीय/अनुदान प्राप्त संस्थाओं के संचालित न होने के प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर भुगतान किया गया था।
- उच्च अधिकारियों को महाविद्यालयों/अग्रणी महाविद्यालयों द्वारा नियमित/आवधिक रिपोर्टिंग का कोई प्रावधान नहीं था। आवधिक रिपोर्टिंग और योजनाओं के अनुवीक्षण के अभाव में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा सका और सहायता के विलम्ब से भुगतान अथवा सहायता के भुगतान न होने के मामले विभाग द्वारा नहीं पकड़े जा सके।

आयुक्त ने बताया (अगस्त 2013) कि वर्ष 2010-12 में कम प्रावधान होने से कुछ महाविद्यालयों की मांग के अनुसार राशि जारी नहीं की गई थी, जिसे अगले वर्षों में किया गया था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि योजना मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन किया जाएगा और योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु महाविद्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.9.2 प्रतिभा किरण योजना

योजना मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुसार शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाएँ जिन्होंने 12वीं कक्षा शहरी क्षेत्र की पाठशाला से पूर्ण की हो एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र थे। योजना स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए लागू है। शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की बालिकाओं को शिक्षण सत्र में ₹ 500 प्रतिमाह की सहायता 10 माह के लिए प्रदान की जानी है। योजना का लाभ 2012-13 से गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को भी दिया गया था। विद्यार्थियों के आवेदन पत्र महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित प्रतिभा किरण समिति द्वारा जाँचे जाते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भुगतान करने हेतु अग्रणी महाविद्यालय जिम्मेदार थे। इस योजना के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 2010-11 में 2278, 2011-12 में 2594 एवं 2012-13 में 2733 थी।

राशियों का कम प्रावधान था। आर्थिक सहायता की बकाया राशि अगले वर्ष में भुगतान की गई

- योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्रावधानित बजट क्रमशः ₹ 98.07 लाख एवं ₹ 1.50 करोड़ के विरुद्ध ₹ 92.50 लाख तथा ₹ 1.33 करोड़ व्यय किए गए थे। हमने देखा कि वर्ष 2011-12 में 37 महाविद्यालयों को ₹ 30.74 लाख वर्ष 2010-11 के लंबित मामलों को पूरा करने के लिए जारी किए गए थे। वर्ष 2011-12 में पर्याप्त राशि जारी न होने से दो महाविद्यालयों को वर्ष 2012-13 में ₹ 1.05 लाख वर्ष 2011-12 के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु जारी किए गए थे जबकि 2011-12 के दौरान पूरी राशि का उपयोग नहीं हुआ था। यह दर्शाता है कि अग्रणी महाविद्यालयों/संबंधित महाविद्यालयों द्वारा आवधिक प्रगति प्रतिवेदन के प्रस्तुत न किए जाने के कारण आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व सभी पात्र विद्यार्थियों को सहायता भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया।

नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

योजना के अनुचित कार्यान्वयन से विद्यार्थियों को सहायता का विलंब से भुगतान हुआ/भुगतान नहीं हुआ

- विद्यार्थियों को समय पर सहायता का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालयों के प्राचार्य जिम्मेदार थे। हमने देखा कि विद्यार्थियों को समय पर सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया था। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में आठ महाविद्यालयों के 169 विद्यार्थियों को देय सहायता राशि ₹ 7.68 लाख का वास्तव में भुगतान अगले वर्षों 2011-12 एवं 2012-13 में किया गया था।
- 2010-13 के दौरान पाँच महाविद्यालयों द्वारा 67 विद्यार्थियों को ₹ 1.79 लाख के भुगतान निधियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने बताया कि योजना के दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा एवं योजना के समुचित कार्यान्वयन हेतु महाविद्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.9.3 निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना का उद्देश्य सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी विद्यार्थियों, जिन्होंने 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, को निःशुल्क शिक्षा (शिक्षण शुल्क से छूट) प्रदाय करना है। विद्यार्थी जो राज्य के निवासी हों एवं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ₹ 42,000 से कम हो (जनवरी 2012 से ₹ 54,000 पुनरीक्षित) योजना में लाभ पाने के लिए पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत शासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों द्वारा जमा किए गए शिक्षण शुल्क की विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी। 2012-13 से विभाग द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त किए गए कुल शुल्क अधिकतम ₹ 2500 प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया।

योजना के अभिलेखों की जाँच में निम्न प्रकट हुआ:-

- महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति समय पर की जाना सुनिश्चित नहीं किया गया। सात महाविद्यालयों में वर्ष 2011-12 के ₹ 5.63 लाख का भुगतान 117 विद्यार्थियों को उत्तरवर्ती वर्ष 2012-13 में किया गया था। 2010-13 के दौरान सात महाविद्यालयों में 134 विद्यार्थियों को ₹ 1.58 लाख भुगतान नहीं किया गया। इस ओर इंगित किए जाने पर प्राचार्यों ने बताया कि

नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में 2010-12 के दौरान 395 विद्यार्थियों को ₹ 20.77 लाख का अधिक भुगतान किया गया तथा 2010-13 के दौरान 275 बालिकाओं को अनियमित रूप से ₹ 10.70 लाख का भुगतान किया गया

विलम्ब/भुगतान न होने का कारण निधियों की अनुपलब्धता एवं विद्यार्थियों द्वारा बैंक खाता नंबर प्रस्तुत न करना था।

- हमने देखा कि 2010-12 के दौरान 14 महाविद्यालयों के 395 विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क ₹ 2.11 लाख की प्रतिपूर्ति के स्थान पर सभी शुल्क जैसे विकास शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क इत्यादि राशि ₹ 22.88 लाख का भुगतान किया गया जिसके परिणाम स्वरूप रु. 20.77 लाख का अधिक भुगतान हुआ।
- योजना के अंतर्गत बालिकाएं किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए हकदार नहीं हैं। तथापि यह पाया गया कि 2010-13 के दौरान 21 महाविद्यालयों में 275 बालिकाओं को ₹ 10.70 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालयों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.9.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक योजना

बुक बैंक योजना के अंतर्गत स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष क्रमशः ₹ 600 एवं ₹ 800 की निशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती थीं जिन्हें सत्र समाप्ति के बाद वापस किया जाना होता था। प्रत्येक विद्यार्थी को ₹ 50 की निःशुल्क लेखन सामग्री का भी वितरण किया जाना था। वर्ष 2012-13 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को ₹ 1500 की निःशुल्क पुस्तकें एवं ₹ 500 की लेखन सामग्री वितरित की जानी थी एवं वितरित पुस्तकें उनके द्वारा वापस नहीं की जानी थीं। इस योजना में संदर्भ पुस्तकों के क्रय पर कुल आवंटित बजट का 50 प्रतिशत व्यय किया जाना था।

विद्यार्थियों की संख्या, आवश्यक निधि, बजट प्रावधान, आवंटित एवं व्यय किए गए राशि के वर्षवार विवरण तालिका - 3 में नीचे दिए गए हैं-

तालिका - 3 विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आवश्यक निधि, बजट प्रावधान

(₹ लाख में)

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	आवश्यक निधि	बजट प्रावधान (प्रतिशत)	आवंटन	व्यय
2010-11	93158	605.52 ⁴⁴	429.00 (71)	390.55	296.73
2011-12	82433	555.65	550.00 (99)	441.00	315.34
2012-13	107393	2147.86	525.00 (24)	525.00	456.22

(स्रोत- विस्तृत विनियोग लेखा एवं विद्यार्थियों की संख्या एवं आवंटित राशि के लिए विभागीय आंकड़े)

2010-13 के दौरान विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे

तालिका से यह स्पष्ट है कि बजट प्रावधान अपर्याप्त थे और आवंटित राशि बजट प्रावधान की तुलना में कम थी। तथापि आवंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया।

⁴⁴ 2010-11 के लिये आवश्यक राशि न्यूनतम दर ₹ 650 से गणना की गयी है।

नमूना जाँच किए गए 88 महाविद्यालयों में योजना के अभिलखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-13 के दौरान 1.27 लाख अनु.जा./अनु.ज.जा. विद्यार्थियों में से 78,436 (62 प्रतिशत) विद्यार्थियों को पुस्तकें और 75,063 (59 प्रतिशत) विद्यार्थियों को लेखन सामग्री प्रदाय की गई थी। 83 महाविद्यालयों में कोई संदर्भ पुस्तक क्रय नहीं की गई थी।

प्राचार्यों ने बताया कि विद्यार्थी लेखन सामग्री एवं पुस्तकें प्राप्त करने हेतु नहीं आये। आयुक्त ने बताया (अगस्त 2013) कि योजना सीमा में वृद्धि न होने से 2012-13 में अतिरिक्त बजट प्रावधान नहीं किया गया था। विद्यार्थियों द्वारा वापस की गई पुस्तकें पुस्तकालय में रखी गई थीं और उनका उपयोग किया गया और शेष पुस्तकें आवश्यक होने पर विद्यार्थी संख्या अनुसार क्रय की गईं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महाविद्यालयों को आवश्यक राशि जारी नहीं की गई तथा विद्यार्थी इस योजना के लाभ से वंचित रहे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि सुधारात्मक उपाय उठाये जायेंगे और योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए महाविद्यालयों को निर्देश जारी किए जायेंगे।

2.2.9.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पी.एच.डी. विद्यार्थियों को सहायता

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए पृथक से निर्धारित संकायवार कोटा के आधार पर प्रत्येक वर्ष अधिकतम 100 विद्यार्थियों (44 अनुसूचित जाति एवं 56 अनुसूचित जनजाति) को सहायता प्रदान करने के लिए "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पी.एच.डी. विद्यार्थियों को सहायता" योजना 2003-04 से प्रारंभ की गई थी। विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर पंजीकरण तारीख से तीन वर्ष तक या पी.एच.डी. पूरा होने तक जो भी पहले हो, प्रतिमाह ₹ 8000 (नवम्बर 2012 से ₹ 16,000 प्रतिमाह संशोधित) की सहायता प्रदान करने के लिए किया जाना था।

शासन के आदेश (जून 2003) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संकायवार कोटा जैसे कला (18), विज्ञान (19), वाणिज्य (19) निर्धारित किया जाना था। तथापि आयुक्त ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुये संकाय के अधीन कुछ विषयों के लिए कोटा तय किया। फलस्वरूप विद्यार्थी जिस विषय के लिए कोटा तय किया गया था उन विषयों के लिए ही आवेदन कर सके और अन्य विषयों के मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ पाने से वंचित रहे। परिणामस्वरूप वर्ष 2010-13 के लिए निर्धारित कोटा 168 के विरुद्ध सिर्फ 40 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे और उनमें से 28 विद्यार्थी योजना से लाभान्वित हुये।

आयुक्त ने बताया (अगस्त 2013) कि वर्ष 2013-14 से किसी भी संकाय के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर अन्य संकाय के रिक्त स्थान पर लाभान्वित किए जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार के संकायवार कोटा निर्धारित करने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि योजना की संपूर्ण समीक्षा की जाकर सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

2.2.9.6 स्वामी विवेकानन्द जीविका मार्गदर्शन योजना

वर्ष 2005-06 में "स्वामी विवेकानन्द जीविका मार्गदर्शन योजना" का प्रारंभ जीविका मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं रोजगार मेले/जीविका शिविरों के आयोजनों के माध्यम से भावी

संकायवार कोटा के स्थान पर विषयवार कोटा निर्धारित किए जाने के कारण निर्धारित 168 विद्यार्थियों के विरुद्ध केवल 28 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का चयन हुआ था

जीविका तथा जीविका उन्मुख जानकारी हेतु जीविका लायब्रेरी की स्थापना के माध्यम से सतत जीविका विकसित करने हेतु विद्यार्थियों को मार्गदर्शन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था एवं प्रत्येक प्रकोष्ठ में इंटरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर होना चाहिए। राज्य स्तरीय समन्वयक (संचालक) इन्दौर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत क्रियाकलापों एवं रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना था।

योजना संबंधी अभिलेखों की जाँच की अवधि एवं राज्य स्तरीय समन्वयक द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी से प्रकट हुआ कि 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 1.47 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध महाविद्यालयों द्वारा ₹ 1.33 करोड़ व्यय किए गए थे एवं 11.79 लाख विद्यार्थी योजना से लाभान्वित हुये थे। 2011-13 के दौरान रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम 350 में से 335 महाविद्यालयों में आयोजित किए गए थे तथा 31,403 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया था। 2011-13 के दौरान 60 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ था जिनमें 6095 विद्यार्थियों का नियोजन हुआ था। 2010-11 से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

हमने पाया कि रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण नमूना जाँच किए गए 62 महाविद्यालयों में आयोजित किए गए थे और 29,824 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें से 35 लेखापरीक्षित महाविद्यालयों में रोजगार मेले आयोजित किए गए थे।

2.2.10 गुणवत्ता प्रबंधन

2.2.10.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कोचिंग

राशि के उपयोग न होने के कारण विद्यार्थी उपचारात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रहे

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के उन विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए जिन्हें कुशलता से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तर तक आने के लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण की जरूरत है और महाविद्यालय छोड़ने की दर एवं उनकी असफलता को कम करने के लिए यू.जी.सी. ने 11 वीं योजना में नियमित समय सारणी के बाहर विशेष कक्षाएँ आयोजित करने के लिए महाविद्यालयों को सीधे धन राशि प्रदाय की थी। नमूना जाँच किए गए 88 महाविद्यालयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 52 महाविद्यालयों में प्रदाय राशि ₹ 2.88 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.84 करोड़ उपयोग किए गए थे। इन महाविद्यालयों में 36,756 पात्र विद्यार्थियों में से 27,163 विद्यार्थी लाभान्वित हुये थे। चार⁴⁵ महाविद्यालयों ने पूर्ण प्रावधान राशि ₹ 13.64 लाख का उपयोग नहीं किया। शेष महाविद्यालयों में कोई धन राशि प्राप्त नहीं हुई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि महाविद्यालयों को कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे।

2.2.10.2 शिक्षा सैटेलाइट कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से सभी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में एडुसेट के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यापक पहुँच के समर्थन के लिए उपग्रह संचार नेटवर्क को सक्षम करने के

⁴⁵ शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा (₹ 6.00 लाख) एवं पन्ना (₹ 3.20 लाख), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना (₹ 2.83 लाख) एवं छिंदवाड़ा (₹ 1.61 लाख)

विभाग राज्य में एडुसेट कार्यक्रम कार्यान्वित करने में विफल रहा तथा महाविद्यालयों द्वारा एकत्रित की गई ₹ 1.36 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं हुआ

लिए एक परियोजना का आरंभ (सितम्बर 2004) किया था। इसरो द्वारा प्रत्येक राज्य को दस सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल प्रदाय किए जाने थे एवं अतिरिक्त सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल राज्य सरकार द्वारा खरीदे जाने थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल में महाविद्यालयों से निधि एकत्रित करने के लिए एक पूल फंड बनाने का निर्णय (मई 2005) किया गया था। हमने पाया कि 2005-08 के दौरान एकत्रित राशि ₹ 1.36 करोड़ विश्वविद्यालय समन्वयक प्रकोष्ठ खाते में अनुवीक्षण कमेटी की बैठक के निर्णय (मई 2008) के अनुसार हस्तांतरित (मई 2008) की गई थी। राशि सितम्बर 2013 तक प्रकोष्ठ के खाते में पड़ी थी। विभाग ने पुस्तकालय ऑटोमेशन विकास हेतु राशि का उपयोग करने का निर्णय (जून 2008, सितम्बर 2011) लिया था क्योंकि इसरो द्वारा मांगे गए उपकरणों की लागत बहुत अधिक थी और इसरो द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली तकनीक भी पुरानी थी। चूंकि विभाग कार्यक्रम लागू करने में विफल रहा, योजना का लाभ विद्यार्थियों द्वारा अर्जित नहीं किया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और बताया कि बैंक खाते में जमा निधि के उपयोग के लिए कार्यवाही की जाएगी।

2.2.11 मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.11.1 स्वीकृत संख्या और कार्यरत स्थिति

आयुक्त ने बताया कि नए महाविद्यालय खोलने के समय प्रत्येक विषय में एक शिक्षक के पद का सृजन किया जाता है। परन्तु विभाग द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों में पदों की संख्या सृजन हेतु कोई मानदण्ड नहीं बनाया गया था। छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता का आकलन किए जाने के संबंध में अभिलेखों में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। हमने देखा कि महाविद्यालयों में आवश्यक गैर शैक्षणिक स्टाफ के पदों को विभाग द्वारा निर्धारित (मई 1987) मानदण्ड⁴⁶ के अनुसार स्वीकृत नहीं किया गया था। 352 महाविद्यालयों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक गैर शैक्षणिक पदों की कमी का विवरण तालिका-4 में दिया गया है।

तालिका-4: आवश्यक और स्वीकृत पदों की स्थिति

पद का नाम	आवश्यक पद	स्वीकृत पद	कार्यरत स्थिति	आवश्यकता के विरुद्ध स्वीकृत पदों में कमी	कमी अपेक्षित	
					आवश्यक	स्वीकृत संख्या
रजिस्ट्रार	123	31	14	92	109	17
मुख्य लिपिक	352	323	153	29	199	170
लेखापाल	352	289	67	63	285	222
ग्रंथपाल	352	341	179	11	173	162
खेल अधिकारी	352	298	119	54	233	179
कुल	1531	1282	532	249	999	750

(स्रोत:- विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि पदों की स्वीकृति एवं रिक्त पदों को भरने में कमी थी।

⁴⁶ रजिस्ट्रार-1पद (1000 विद्यार्थियों से अधिक), लेखापाल-1 पद (1000 विद्यार्थियों तक), ग्रंथपाल- 1 पद, क्रीड़ा अधिकारी- 1 पद।

विभाग द्वारा मानव शक्ति की श्रेणीवार आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया। 31 मार्च 2013 को राज्य में श्रेणीवार स्टाफ की स्थिति तालिका-5 के अनुसार थी:

तालिका-5: श्रेणीवार स्वीकृत पद एवं कार्यरत स्थिति को दर्शाने वाली स्थिति

स. क्र.	श्रेणी	स्वीकृत पद		कार्यरत स्थिति		कमी (प्रतिशत)	
		कुल स्टाफ	शैक्षणिक स्टाफ	कुल स्टाफ	शैक्षणिक स्टाफ	कुल स्टाफ	शैक्षणिक स्टाफ
1	प्रथम श्रेणी ⁴⁷	1065	675	450	241	615 (58)	434(64)
2	द्वितीय श्रेणी ⁴⁸	7289	6605	5460	5139	1829(25)	1466(22)
3	तृतीय श्रेणी ⁴⁹	3102	निरंक	2288	निरंक	814(26)	निरंक
4	चतुर्थ श्रेणी ⁵⁰	3174	निरंक	2766	निरंक	408(13)	निरंक
	कुल	14630	7280	10964	5380	3666(25)	1900 (26)

(स्रोत-विभागीय आंकड़े)

कुल 14,630 स्वीकृत पदों में से प्राध्यापकों तथा सहायक प्राध्यापकों को सम्मिलित कर 3,666 पद रिक्त थे

- कुल स्वीकृत 14,630 पद में से कार्यरत स्थिति 10,964 (75प्रतिशत) थी एवं 3666 (25 प्रतिशत) पद रिक्त थे।
- विभिन्न विषयों में 7,280 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1900 (26 प्रतिशत) शैक्षणिक स्टाफ की कमी थी। सहायक प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के क्रमशः 22 प्रतिशत तथा 64 प्रतिशत पद रिक्त थे।
- दिसम्बर 2012 तक 21 विषयों⁵¹ में 45 स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई शैक्षणिक स्टाफ पदस्थ नहीं था।

नमूना जाँच किए गए 88 महाविद्यालयों में, 7,187 स्वीकृत पदों में से कार्यरत संख्या 5,693 थी। 87 महाविद्यालयों में 3,823 स्वीकृत शैक्षणिक स्टाफ के विरुद्ध 881 पद रिक्त थे और एक महाविद्यालय ने जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। रजिस्ट्रार के 23 पद लेखापाल के 48 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन के 96 पद एवं प्रयोगशाला परिचारक के 171 पद रिक्त थे। हमने देखा कि 40 महाविद्यालयों में कार्यरत स्टाफ (70 प्रतिशत तक) एवं शैक्षणिक स्टाफ (79 प्रतिशत तक) की अत्यधिक कमी थी। जैसे कि परिशिष्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

नमूना जाँच किये गये 31 महाविद्यालयों में 486 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 164 शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टाफ अधिक पाया गया

- उपरोक्त चर्चा अनुसार जबकि 40 महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी थी, हमने देखा कि 31 नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में 486 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 650 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ कार्यरत था। इस 164 आधिक्य स्टाफ⁵² में से 121 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन एवं भत्ते हेतु ₹ 14.72 करोड़ शासन द्वारा जारी (2010-13) पदस्थापना आदेश के आधार पर प्राचार्यों द्वारा आहरण कर भुगतान किए गए थे। इसके अतिरिक्त 13 महाविद्यालयों में कार्यरत 39 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन एवं भत्ते अन्य महाविद्यालयों के रिक्त पदों के विरुद्ध आहरित किए गए। अतिरिक्त शैक्षणिक स्टाफ को अन्य

⁴⁷ अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक, प्राचार्य (स्नातक एवं स्नातकोत्तर), प्राध्यापक इत्यादि।

⁴⁸ सहायक संचालक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, खेल अधिकारी इत्यादि

⁴⁹ अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखापाल, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, प्रयोगशाला तकनीशियन इत्यादि

⁵⁰ प्रयोगशाला परिचारक, दफ्तरी, भृत्य, स्वीपर इत्यादि।

⁵¹ विज्ञान: 6 विषय (20 पद), कला: 7 विषय(12 पद) ; संस्कृत: 7 विषय (12 पद); विधि: 1 विषय (1 पद)

⁵² विभिन्न विषयों में 141 शैक्षणिक स्टाफ तथा 23 गैर शैक्षणिक स्टाफ।

जरूरतमंद महाविद्यालयों के संबंधित विषयों में रिक्त पदों के विरुद्ध तैनात किया जा सकता था।

आयुक्त ने बताया कि शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए अतिथि विद्वानों का प्रावधान किया गया था। लेकिन विभिन्न महाविद्यालयों में तैनात अतिथि विद्वानों के विवरण और उनके तैनाती की समयावधि तथा उनके द्वारा ली गई कक्षाओं की संख्या आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी, जो कि मानव शक्ति प्रबंधन को ठीक ढंग से न किया जाना दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने स्टाफ की कमी को स्वीकार किया और बताया (जनवरी 2014) कि स्टाफ की नवीन भर्ती और समुचित तैनाती के लिए कार्रवाई की जावेगी।

2.2.12 क्षमता निर्माण

2.2.12.1 अपर्याप्त भौतिक अधोसंरचना और बुनियादी संरचनाएं

नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में अपर्याप्त अधोसंरचना सुविधाएं तथा आधारभूत सुविधायें पाई गई

शासकीय महाविद्यालयों के लिए आवश्यक मूलभूत अधोसंरचना सुविधाएं एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए थे। आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 352 शासकीय महाविद्यालयों में से 115 महाविद्यालयों का स्वयं का भवन नहीं था और महाविद्यालय अन्य भवन/किराये के भवनों में संचालित हो रहे थे।

नमूना जाँच किए गए 88 महाविद्यालयों में मूलभूत अधोसंरचना सुविधाओं एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तालिका-6 में दी गई है।

तालिका-6: महाविद्यालयों की संख्या जहां भौतिक अधोसंरचना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं (सितम्बर 2013 की स्थिति में)

महाविद्यालयों की संख्या	स्वयं का भवन	छात्रावास	ऑडिटोरियम	संगोष्ठी हॉल	अध्ययन कक्ष	स्टाफ कक्ष	महिला स्टाफ कॉमन कक्ष	बालिकाओं के पृथक से कॉमन कक्ष
88	81	28	32	43	52	73	50	59

महिला परामर्श कक्ष	स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा	बालकों के लिए पृथक से प्रसाधन सुविधा	बालिकाओं के लिए पृथक से प्रसाधन सुविधा	पुस्तकालय सुविधा	खेल मैदान	वाहन स्टेण्ड	पेयजल सुविधा
33	22	66	80	82	69	71	80

- शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर जुलाई 1989 से होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर के परिसर में संचालित हो रहा था। हमने देखा कि यद्यपि 11.68 एकड़ जमीन जिलाधिकारी द्वारा निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय को आवंटित (दिसम्बर 2005) की गई थी, अतिक्रमण होने से कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था। अक्टूबर 2007 में शासन के आदेशानुसार प्राचार्य होल्कर

विज्ञान महाविद्यालय द्वारा स्वयं की निधि में से ₹ 1.00 करोड़ निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय को निर्माण करने हेतु प्रदान किए। परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा उस जमीन में भवन निर्माण संबंधी स्थगन आदेश जारी (अक्टूबर 2008) किए जाने के कारण छः वर्ष व्यतीत होने के बाद भी महाविद्यालय द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। तथापि महाविद्यालय द्वारा होल्कर विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में रिक्त जमीन पर भवन निर्माण हेतु उपलब्ध राशि का उपयोग करने के लिए ₹ 90 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा (जून 2013) गया था। सितम्बर 2013 तक स्वीकृति अपेक्षित थी। प्राचार्य ने बताया कि स्वीकृत सीटों का 50 प्रतिशत से कम पंजीयन था जो कि मुख्यतः अधोसंरचना सुविधाओं की कमी के कारण था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

2.2.12.2 निर्माण कार्य

- आयुक्त उच्च शिक्षा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2011-13 की अवधि के दौरान ₹ 148.74 करोड़ की अनुमानित लागत के 231 विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे। इसके विरुद्ध ₹ 85.77 करोड़ जारी किए गए थे और सिर्फ 21 कार्य पूर्ण हुए थे, शेष अधूरे थे। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- हमने नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में देखा कि 69 महाविद्यालयों में ₹ 85.86 करोड़ अनुमानित लागत के 345 निर्माण/मरम्मत कार्य जिसके लिए ₹ 65.84 करोड़ विभिन्न एजेन्सियों को भुगतान किए गए थे सितम्बर 2013 की स्थिति में अधूरे थे। कार्य पूरा होने की अवधि न तो तय की गई थी और न ही एजेन्सियों को सूचित किया गया था।

69 महाविद्यालयों में 345 निर्माण/मरम्मत कार्य अपूर्ण पाये गये तथा ₹ 65.84 करोड़ निर्माण एजेन्सियों के पास पड़ा था

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

2.2.12.3 नेशनल प्रीमियर संस्थान के समकक्ष महाविद्यालयों की उन्नयन लागत में वृद्धि

मध्य प्रदेश शासन ने 2008-09 में मध्य प्रदेश के तीन महाविद्यालयों⁵³ को नेशनल प्रीमियर संस्थान के बराबर उन्नयन करने का निर्णय लिया था, जिसके लिए प्रति संस्थान ₹ 5.00 करोड़ कुल ₹ 15 करोड़ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त हुई थी। महाविद्यालयों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार इन महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, पुस्तकालय निर्माण, छात्रावास और ऑडिटोरियम इत्यादि निर्माण कार्य किया जाना था। 2008-09 के दौरान ₹ 15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था और भारत सरकार से निधि विलंब से जारी होने से राशि आहरण (मार्च 2009) कर सिविल डिपॉजिट में जमा की गई। मध्य प्रदेश शासन ने ₹ 15 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जनवरी 2010 में दी और राशि फरवरी एवं मार्च 2012 के दौरान जारी

राशि ₹ 18.20 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद नेशनल प्रीमियर संस्थान के समकक्ष महाविद्यालयों का उन्नयन हासिल नहीं हुआ

⁵³ शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर ; शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल; शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, ग्वालियर।

की गई। इसके अतिरिक्त 2009-12 के दौरान ₹ 3.20 करोड़ राज्य बजट से आहरण किया गया था। प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि जारी होने में अत्यधिक विलंब से दो महाविद्यालयों (भोपाल एवं ग्वालियर) की उन्नयन लागत ₹ 10 करोड़ से ₹ 12.39 करोड़ पुनरीक्षित (नवम्बर 2011 एवं अगस्त 2012) हो गई थी। इस प्रकार, ₹ 2.39 करोड़ लागत की वृद्धि हुई थी।

हमने यह भी देखा कि इन महाविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई राशि ₹ 18.20 करोड़ में से ₹ 11.77 करोड़⁵⁴ निर्माण एजेन्सियों को प्रदान किए गए थे और ₹ 6.43 करोड़ दो महाविद्यालयों (इन्दौर ₹ 5.00 करोड़ एवं ग्वालियर ₹ 1.43 करोड़) के बैंक खातों में पड़े थे। सितम्बर 2013 तक इन्दौर एवं ग्वालियर के कार्य प्रारंभ नहीं हुये थे जबकि भोपाल महाविद्यालय का कार्य फरवरी 2011 में प्रारंभ हुआ था। कार्य प्रगति पर था और इच्छित उन्नयन अभी तक हासिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्राप्त केन्द्रीय निधियों का पाँच वर्ष समाप्ति के बाद भी उपयोग नहीं हो सका।

आयुक्त ने कहा कि महाविद्यालयों से कार्यों की प्रगति प्राप्त की जा कर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.2.12.4 उत्कृष्ट महाविद्यालय

आयुक्त उच्च शिक्षा ने मध्य प्रदेश के तीन महाविद्यालयों⁵⁵ को उत्कृष्ट महाविद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए ₹ 30 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (फरवरी 2009) दी थी। विभाग ने 2008-12 के दौरान ₹ 19.06 करोड़⁵⁶ इन महाविद्यालयों को अधोसंरचना विकास, ग्रंथालय एवं छात्रावास इत्यादि हेतु जारी किए थे।

दो महाविद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि कालीदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन के लिए आवश्यक जमीन प्राचार्य को जुलाई 1989 में सौंप दी गई थी। लेकिन प्राचार्य ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना ₹ 6.14 करोड़ निर्माण एजेन्सी (मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल) को 2008-12 के दौरान भुगतान किए थे, जिसके परिणामस्वरूप निधियां निर्माण एजेन्सी के पास रहीं थी। स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ ने ₹ 6.04 करोड़ आहरित कर निर्माण एजेन्सी मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल को भुगतान (2009-12) किया था। कार्य प्रगति पर था।

आयुक्त ने कहा (अगस्त 2013) कि जानकारी के संकलन के बाद कार्यों की प्रगति सूचित की जाएगी। यह आयुक्त की ओर से निगरानी की कमी दर्शाता है। निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (जनवरी 2014) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

तीन महाविद्यालय पाँच वर्ष के व्यतीत होने के पश्चात भी उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित नहीं किये गये

⁵⁴ ₹ 1.21 करोड़ इन्दौर को, ₹ 6.08 करोड़ भोपाल को तथा ₹ 4.48 करोड़ ग्वालियर को।

⁵⁵ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया (₹ 10 करोड़), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ (₹ 10 करोड़), शासकीय कालीदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (₹ 10 करोड़)

⁵⁶ दतिया महाविद्यालय को ₹ 6.37 करोड़, टीकमगढ़ को ₹ 6.35 करोड़ तथा उज्जैन को ₹ 6.34 करोड़।

2.2.12.5 स्टाफ का प्रशिक्षण

शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव आयुक्त द्वारा तैयार किए जाते हैं और प्रशासनिक अकादमी, भोपाल को भेजे जाते हैं। अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालक नामित व्यक्तियों की सूची प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र को भेजते हैं। आयुक्त को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या (सामान्य प्रशिक्षण: 30 प्रशिक्षुओं और कम्प्युटर प्रशिक्षण: 24 प्रशिक्षुओं) के लिए प्रशासनिक अकादमी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्कों का भुगतान करना होता है।

प्रशासनिक अकादमी को प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान के बावजूद 972 प्रशिक्षुओं में से 317 प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके

2010-2013 की अवधि के दौरान प्रशासनिक अकादमी द्वारा 972 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए 35 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनके लिए प्रशिक्षण शुल्क (₹ 28.63 लाख) अकादमी में जमा किया गया था। तथापि 2010-11 में मात्र 464, 2011-12 में 62 एवं 2012-13 में 129 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया था। इस प्रकार 317 (33 प्रतिशत) व्यक्ति अकादमी में प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो सके जबकि उनके लिए प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया गया था।

आयुक्त द्वारा अधिकारियों की अनुपस्थिति का कारण स्थानीय समस्याएं, विश्वविद्यालय परीक्षा और राज्य विधानसभा सत्र को ठहराया गया। तथ्य है कि भुगतान होने के बावजूद अपेक्षित संख्या में व्यक्ति प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुये।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार के लिए सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे।

2.2.13 विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

विभाग का सूचना प्रौद्योगिकी प्रयास प्रशंसनीय था

राज्य सरकार के निर्देशों के तहत विभागीय वेबसाइट (www.mp.gov.in.highereducationmp) को बनाया गया था और इसका विभागीय आदेशों, परिपत्रों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। विभाग ने योजनाओं जैसे गांव की बेंटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, अतिथि विद्वान इत्यादि के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बजट निगरानी प्रणाली, व्यक्तिगत सूचना प्रणाली, पे-रोल प्रणाली तथा ग्रेडेशन लिस्ट संबंधी सॉफ्टवेयर विकसित किए। विभाग ने पदस्थापना, वेतन निर्धारण, स्वीकृत एवं कार्यरत पद संबंधी ऑनलाइन मोड्यूल विकसित किया और एन.आई.सी. की मदद से 250 शासकीय महाविद्यालयों की वेबसाइटों को एन.आई.सी. सर्वर में मुफ्त अपलोडिंग किया। प्रत्येक महाविद्यालय की अपनी वेबसाइट और ई-मेल पहचान है। महाविद्यालयों की वेबसाइट में विद्यार्थी एवं स्टाफ से संबंधित जानकारी जैसे समय सारणी, पाठ्यक्रम विवरण, पंजीकरण, परीक्षा परिणाम, रिक्त पद, स्टाफ के विवरण, अधोसंरचना सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध हैं। विभाग ने 2012-13 से केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश शुरू कर दिया था। तथापि महाविद्यालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। 2010 एवं 2011 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य में विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सबसे अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से सम्मानित किया गया था।

आयुक्त ने कहा कि ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु कोई विशिष्ट कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी परन्तु आवश्यकता अनुसार कदम उठाये गए थे।

2.2.14 अनुवीक्षण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.14.1 विभागीय निरीक्षण

विभाग ने विभागीय निरीक्षण के लिये कोई तंत्र/प्रणाली विकसित नहीं की थी

प्रबंधन के पास विभाग द्वारा ठीक ढंग से कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण और प्रभावी उपकरण है। विभाग द्वारा शैक्षिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शासकीय महाविद्यालयों के निरीक्षण करने हेतु कोई भी तंत्र/प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खण्ड-1 के नियम 291 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अपने कार्यालय के लेखों का मासिक निरीक्षण करना चाहिए और उठाए गए सुधारात्मक कदम तिमाही प्रतिवेदन में दर्शाते हुए उच्च अधिकारियों को भेजे जाने चाहिए। नमूना जाँच किए गए 88 महाविद्यालयों में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2010-13 के दौरान 56 महाविद्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया। आयुक्त ने कहा कि महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए मानदण्ड और प्रक्रिया तैयार किए जा रहे हैं।

2.2.14.2 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली में कमजोरी

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग में कमी थी

वरिष्ठ स्तरों पर प्रबंधन को विभाग में आंतरिक नियंत्रण ढांचों की पर्याप्तता एवं उसके कार्यान्वयन के स्वतंत्र आश्वासन प्रदाय करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियमों और प्रक्रिया एवं वैधानिक प्रावधान के अनुपालन की जाँच एवं मूल्यांकन करता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पर्यवेक्षण में 47 वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखापरीक्षकों के साथ एक पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग का गठन किया गया था। आयुक्त ने बताया कि केवल दो लेखापाल आंतरिक लेखापरीक्षा विंग में कार्य कर रहे थे। 2010-11 एवं 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तावित 70 महाविद्यालयों में से 19 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु किसी भी इकाई का चयन नहीं किया गया था। आयुक्त ने लेखापरीक्षा में कमी के लिए स्टाफ की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयुक्त ने बताया कि 28 वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखापरीक्षक संचालनालय में अन्य कार्यों में लगे हुए थे। निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहा।

2.2.14.3 विभागीय जाँच एवं कानूनी प्रकरण

संचालनालय स्तर पर एक विभागीय विधि प्रकोष्ठ संचालित था। हमने पाया कि मार्च 2013 की स्थिति में 615 न्यायालयीन प्रकरण लंबित थे। 288 प्रकरणों में विभाग द्वारा प्रथम जवाब प्रस्तुत किया जाना था। प्रथम जवाब प्रस्तुत न करने का कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। सितम्बर 2013 की स्थिति में 13 में से 12 विभागीय जाँच प्रकरण और चार परिवार पेंशन प्रकरण संचालनालय स्तर पर लंबित थे। निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु कार्रवाई की जाएगी।

लंबित लेखापरीक्षा
कण्डिकाओं के
निराकरण हेतु अपर्याप्त
प्रतिक्रिया

2.2.14.4 लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालयों का सांविधिक लेखापरीक्षा आयोजित करता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कमियों को सामने लाया जाता है। अगस्त 2013 की स्थिति में मार्च 2013 तक विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों को जारी किए गए 416 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1055 कण्डिकाएं समायोजन हेतु लंबित थीं इसमें से 353 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 786 कण्डिकायें पाँच वर्षों से अधिक (2000-01 से 2007-08 तक) से बकाया थीं। यह लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर करीब से निगरानी और समय पर कार्रवाई के लिए निर्धारित नियंत्रण तंत्र के जवाब में कमी को दर्शाता है। निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा।

2.2.15 निष्कर्ष

विभाग ने विद्यार्थियों को रोजगार नियोजन उपलब्ध कराने, पंजीकरण में वृद्धि और सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग के उद्देश्य प्राप्त किए हैं तथापि विभाग के कामकाज में कमी रही थी। योजना तैयार करने हेतु विभाग के पास डाटाबेस उपलब्ध नहीं था। पूर्ववर्ती वर्षों के लक्ष्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि तथा राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना तैयार की गई थी। बजटीय और व्यय नियंत्रण में कमी थी, जो कि आयोजना निधि के कम उपयोग, अन्तिम दिन बचतों का समर्पण, सिविल डिपोजिट में धन रखने से परिलक्षित हुआ। बचतों का आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ बही के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाते के शेषों एवं कोषालय के अभिलेखों का मिलान नहीं किया गया था। अशासकीय महाविद्यालयों के क्रियाकलापों का विनियमन एवं निगरानी पर्याप्त नहीं थी। हितग्राही उन्मुख योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं हुआ जिससे लक्षित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता का विलंब से भुगतान/भुगतान नहीं हुआ। महाविद्यालयों की संख्या एवं विद्यार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि के बावजूद अपर्याप्त अधोसंरचना सुविधाएं पाई गईं। मानव शक्ति की आवश्यकता का वैज्ञानिक आकलन नहीं किया गया और विभाग में स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत रिक्त थे। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण नियोजन से नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में स्टाफ का अधिक/कम नियोजन पाया गया। स्टाफ की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा अपर्याप्त थी। अनुवीक्षण संतोषजनक नहीं था क्योंकि विभागीय निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित नहीं थे और संचालनालय द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

2.2.16 अनुशंसाएं

- विभाग को अधोसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता/कमी का डाटा बेस वार्षिक योजना तैयार करने हेतु बनाना चाहिए।
- आयोजना निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बजटीय एवं व्यय नियंत्रण को सुधारना चाहिए। व्यय आंकड़ों में अंतर को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के खाते से मिलान करना चाहिए।

- विभाग को विद्यार्थियों को समय पर सहायता का भुगतान एवं योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुचित रिपोर्टिंग प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षा में उच्च मानक प्राप्ति हेतु शासकीय महाविद्यालयों में पर्याप्त अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना चाहिए।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्य पदों की रिक्तियों को जैसे प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, रजिस्ट्रार इत्यादि को भरा जाना चाहिए।
- विभाग के बेहतर प्रदर्शन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा सहित निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.3 इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाय)

कार्यपालन सारांश

समाज में आवास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार ने (जनवरी 1996) ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए आवास निर्माण करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए इन्दिरा आवास योजना प्रारंभ की। 2008-13 के दौरान राज्य में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- नमूना जाँच किए गए किसी भी जिले द्वारा वार्षिक योजना नहीं बनाई गई। मार्गदर्शिका अनुसार मकानों के आवंटन के लक्ष्य को आवास की कमी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को बिना वरीयता दिये आवासों का आवंटन किया गया।
- वर्ष 2008-13 के दौरान नवीन आवास हेतु कुल लक्ष्य 2.40 लाख का 19 प्रतिशत और आवासों के उन्नयन किये जाने के कुल लक्ष्य 0.26 लाख का 17 प्रतिशत मार्च 2013 की स्थिति में अपूर्ण रहे।
- इन्दिरा आवासों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई। निर्माण के दौरान पात्र हितग्राहियों को आवास तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण नहीं दिया गया था।
- चूंकि समग्र स्वच्छता अभियान का इन्दिरा आवास योजना के साथ अभिसरण सुनिश्चित नहीं किया गया था, इन्दिरा आवास के हितग्राही वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक उक्त योजना से स्वच्छ शौचालय के लाभ से वंचित रहे।
- जिला पंचायत द्वारा धीमी गति से व्यय किये जाने के कारण भारत सरकार ने 2008-13 की अवधि के दौरान राशि ₹ 61.78 करोड़ कम जारी किए।
- विभेदक ब्याज दर ऋण योजना के माध्यम से इन्दिरा आवास योजना हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा नहीं करायी गई थी।
- जिले तथा ब्लॉक स्तर पर इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों की सूची तैयार नहीं की गई थी।
- जिले तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं किया गया जिससे निगरानी की कमी दर्शित हुई।

2.3.1 प्रस्तावना

समाज में आवास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना इन्दिरा आवास योजना प्रारंभ (जनवरी 1996) की गई, इस योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच लागत को क्रमशः 75:25 के अनुपात में वहन करके वित्तपोषित किया गया है। केन्द्रांश जिला पंचायत को सीधे दो किशतों में जारी किया गया था। योजनांतर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में ग्राम पंचायत के माध्यम से सहायता राशि हितग्राहियों के खातों में हस्तांतरित की गयी थी। तदुपरान्त सहायता राशि जिला पंचायत के द्वारा हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई। हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता राशि को कार्य की भौतिक प्रगति से जोड़ा जाना था। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) सभी वर्गों के ग्रामीण परिवारों को नवीन आवास निर्माण के लिए ₹ 35,000 (वर्ष 2010-11 से ₹ 45,000) एवं कच्चे आवास के उन्नयन के लिए ₹ 15,000 की वित्तीय सहायता की पात्रता थी। इसके अतिरिक्त हितग्राही नवीन आवास निर्माण हेतु विभेदक ब्याज दर योजना के तहत प्रतिवर्ष चार प्रतिशत दर पर ₹ 20,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकता था। योजना के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के मध्य 60:40 के अनुपात में किया जाना था। तथापि तीन प्रतिशत आवासों का आवंटन शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को किया जाना था। इन्दिरा आवास योजना के आवासों को समग्र स्वच्छता अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के साथ में स्वच्छ शौचालय, विद्युत संयोजन एवं पेयजल प्रदाय करने के लिये अभिसरित किया जाना था। होमस्टेड योजना को इन्दिरा आवास योजना के एक भाग के रूप में अगस्त 2009 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन ग्रामीण परिवारों के लिए प्रारंभ किया गया था जिनके पास न तो कृषि योग्य भूमि थी और न ही आवास हेतु स्थल था।

2.3.2 संगठनात्मक संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल विभाग है। प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य में विकास आयुक्त की सहायता से योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) जिला पंचायत द्वारा परियोजना अधिकारियों की सहायता से किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर योजना का कार्यान्वयन सी.ई.ओ. जनपद पंचायत/सहायक विस्तार विकास अधिकारी द्वारा मैदानी स्तर पर ग्राम पंचायत की सहायता से किया जाता है।

2.3.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि:

- इन्दिरा आवास योजनांतर्गत आवासों के निर्माण एवं उन्नयन की संख्या के मान से भौतिक निष्पादन की योजना एवं लक्ष्य बनाये गये थे तथा निर्माण कार्य, योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित गुणवत्ता एवं वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया था।
- आवासीय इकाइयों के आवंटन, निर्माण और उन्नयन हेतु लक्षित समूहों के चिन्हांकन एवं चयन की प्रक्रिया व प्रणाली पर्याप्त थी और योजना के प्रावधानों के अनुरूप थी।
- दिशा निर्देशानुसार अन्य कार्यक्रमों का इन्दिरा आवास योजना की गतिविधियों के साथ अभिसरण प्रभावी ढंग से प्राप्त किया गया और पूर्ण कार्यात्मक आवासीय इकाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया था।
- इन्दिरा आवास योजनांतर्गत आवंटित राशि का वितरण उचित तरीके एवं समय से किया गया तथा राशि का उपयोग मितव्ययिता पूर्ण एवं प्रभावी ढंग से योजना के प्रावधानों के अनुरूप किया गया।
- योजना के परिणामों की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिये पर्याप्त एवं प्रभावी तंत्र था।

2.3.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न स्रोतों से लिये गये थे:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये गये इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देश।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न।
- भारत सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश।

2.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

कार्यालय विकास आयुक्त और 20 जिलों की अन्य एजेन्सियों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई से सितम्बर 2013) द्वारा 2008-13 की अवधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। राज्य के 50 जिलों में से 13 जिलों⁵⁷ (25 प्रतिशत) का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त सात जिलों⁵⁸ का चयन उनके द्वारा किये गये व्यय के आधार पर किया गया। चयनित 20 जिलों के 40 ब्लॉक यादृच्छिक रीति से चयन किए गए तथा प्रत्येक ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों का (कुल 400 ग्राम पंचायत) चयन किया गया। (परिशिष्ट-2.16)

⁵⁷ बालाघाट, बड़वानी, धार, डिण्डीरी, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मण्डला, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर तथा उज्जैन

⁵⁸ बैतूल, दमोह, खरगोन, रतलाम, शहडोल, टीकमगढ़ तथा उमरिया

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन 29 अप्रैल 2013 को आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और पद्धति पर चर्चा हुई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित इकाईयों द्वारा संधारित नस्तियों एवं अभिलेखों की नमूना जाँच, लेखापरीक्षा एवं हितग्राही प्रश्नावली से एकत्रित आंकड़े तथा 389 ग्राम पंचायतों के ग्रामों में 3956 इन्दिरा आवासीय इकाईयों (प्रत्येक जिले में 200) का संयुक्त भौतिक सत्यापन की पद्धति अपनायी गयी। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ 5 दिसम्बर 2013 को निर्गम सम्मेलन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। विभाग के उत्तर यथा स्थान सम्मिलित कर लिए गए हैं।

2.3.6 योजना तथा हितग्राही का चयन

2.3.6.1 वार्षिक योजना का तैयार न किया जाना

योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 4.2 के अनुसार, प्रत्येक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा वार्षिक योजना तैयार कर जिला परिषद या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की अधिशासी निकाय द्वारा, जैसा भी मामला हो अनुमोदित कराया जाना था तथा वार्षिक योजना को द्वितीय किश्त जारी करने के अनुरोध के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।

हमने पाया कि नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों द्वारा न तो वार्षिक योजना तैयार की गयी और न ही विकास आयुक्त द्वारा वार्षिक योजना तैयार करने हेतु जिलों को कोई निर्देश जारी किये गए थे।

शासन ने (दिसम्बर 2013) तथ्यों को स्वीकार किया तथा उत्तर में बताया कि जिले के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। इसलिये जिला स्तर पर वार्षिक योजना का तैयार किया जाना संभव नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिलों को योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवासों का आवंटन हुआ है, यह सुनिश्चित करने के लिये वार्षिक योजना का बनाया जाना आवश्यक था।

2.3.6.2 आवासों का आवंटन

इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 4.1 के अनुसार इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित की जाएगी जिसमें जनगणना डाटा के अनुसार ग्रामीण आवासीय कमी को 75 प्रतिशत महत्व (Weightage) तथा गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत महत्व दिया जायेगा। इसी प्रकार, आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्व तथा सम्बंधित जिलों की ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को 25 प्रतिशत महत्व देकर राज्य/संघ राज्य

नमूना जांच किए गए किसी भी जिले द्वारा वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई

क्षेत्रों में जिलेवार आवंटन किया जाएगा। इन्हीं सिद्धांतों पर एक जिले में ब्लॉकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने थे। योजना के दिशा निर्देशों के कंडिका 2.1 के अनुसार जहां तक हो सके राज्य बेहतर पर्यवेक्षण, योजनाओं के अभिसरण तथा खरीद में मितव्ययता के लिये समूहगत नीति का पालन करें। इस प्रयोजन के लिए जिले/ब्लॉक में सभी गाँवों को तीन समूहों में बांटा जाना चाहिये तथा गाँव के प्रत्येक समूह को प्रतिवर्ष निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2.3.6.2(अ) जिलों/ब्लॉक को लक्ष्य का आवंटन

आवासों का अविवेकपूर्ण वितरण होने से जिले में अपेक्षित बी.पी.एल परिवार लाभान्वित नहीं हुए

(i) मध्य प्रदेश शासन (बी.पी.एल सर्वेक्षण 2002) के अनुसार आवासों की कमी 37.15 लाख थी तथा जनगणना डाटा (2001) के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2.14 करोड़ थी। भारत सरकार ने वर्ष 2008-13 तक 5.71 लाख आवास⁵⁹ राज्यों को आवंटित किये। जिलेवार लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आवंटित किये गये थे। हमने देखा कि जिलों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित आवासों की कमी के आंकड़े एवं जनगणना डाटा अनुसार जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर आवंटित किये गये आवासों की संख्या, भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से आवंटित किये जाने वाले आवासों की संख्या से भिन्न थी। हमने देखा कि छः जिलों⁶⁰ में 62,206 आवासों की आवश्यकता के विरुद्ध 1,22,901 आवास आवंटित किए गए। दूसरी तरफ 12 जिलों⁶¹ में 1,73,321 आवासों की आवश्यकता के विरुद्ध 1,11,743 आवास आवंटित किये गये। इस प्रकार आवासों का आवंटन जिलों में आनुपातिक रूप से नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट-2.17 में दिया गया है।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि भारत सरकार द्वारा जिलों को लक्ष्य सीधे आवंटित किये गये थे।

आवासों की कमी एवं अ.जा./अ.ज.जा. आबादी को महत्व न देते हुए जनपद/ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटित किए गए

(ii) हमने पाया कि लेखापरीक्षा हेतु 20 चयनित जिलों में से केवल राजगढ़ जिले में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद/ग्राम पंचायतों को आवासों की कमी तथा संबंधित जनपद/ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को महत्व देते हुये लक्ष्य आवंटित किये गये। तथापि जिले में समूहगत नीति का पालन नहीं किया गया। 17 जिलों⁶² के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा लक्ष्य/निधियों का आवंटन संबंधित ब्लॉक/ग्राम पंचायत की कुल ग्रामीण जनसंख्या (गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की जनसंख्या भी शामिल) के आधार पर हितग्राहियों के चयन हेतु किया गया। इसके अतिरिक्त समूहगत नीति अर्थात् गांवों को तीन समूहों में बाँटकर प्रत्येक समूह को प्रत्येक वर्ष निधि जारी किए जाने का अनुसरण भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

⁵⁹ होमस्टेड अंतर्गत 1.05 लाख सम्मिलित है

⁶⁰ डिण्डोरी, खण्डवा, राजगढ़, रतलाम, टीकमगढ़ तथा उमरिया

⁶¹ बालाघाट, बड़वानी, दमोह, धार, जबलपुर, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, रायसेन, शहडोल, शाजापुर तथा उज्जैन

⁶² बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, दमोह, धार, डिण्डोरी, जबलपुर, खण्डवा, मण्डला, नरसिंहपुर, रायसेन, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, टीकमगढ़, उज्जैन तथा उमरिया

कटनी जिले में लक्ष्य ग्रामवार आवंटित किये गये, जबकि खरगोन जिले में लक्ष्य ग्राम पंचायत वार आवंटित किये गये हैं। दोनों जिलों में लक्ष्य आवंटन में संबंधित गाँवों/ग्राम पंचायतों में केवल आवास की कमी को महत्व दिया गया तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को महत्व देने हेतु अनदेखा किया गया। इस प्रकार इन जिलों में लक्ष्य के आवंटन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

शासन ने तथ्य स्वीकार करते हुये कहा (दिसम्बर 2013) कि जिला पंचायतों को अपर्याप्त लक्ष्य आवंटित होने के कारण ब्लॉक/ग्राम पंचायतों को लक्ष्यों का आवंटन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं हुआ है।

तथ्य यह है कि लक्ष्यों का आवंटन दिशा निर्देशों के मानदण्ड के अनुरूप नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक या कम आवासों का आवंटन हो सकता है।

2.3.6.3 हितग्राहियों का चयन

79 ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों का चयन वरिष्ठता के आधार पर नहीं किया गया। 18 ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची उपलब्ध नहीं थी

योजना के दिशा निर्देशों के कंडिका 2.1 के अनुसार हितग्राहियों का चयन इन्दिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठता क्रम के आधार पर किया जाना था। इन्दिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची को ग्राम पंचायत कार्यालय में अथवा गाँव में किसी उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये था।

हमने देखा कि सभी चयनित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के मध्य लक्ष्य 60:40 के अनुपात में बाँटकर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत को आवंटित किये गये। इसके अलावा मानदण्डों के अनुरूप शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लक्ष्य आवंटित किये गये।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान हमने देखा कि:

- 389 चयनित ग्राम पंचायतों में से 18 ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची उपलब्ध नहीं थी तथा हितग्राहियों का चयन बी पी एल सूची से किया गया था।
- 79 ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों का चयन उनकी प्रतीक्षा सूची में से वरिष्ठता के अनुसार न किया जाकर तदर्थ आधार पर किया गया।
- 53 ग्राम पंचायतों में इन्दिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित नहीं की गयी थी।

2.3.6.4 लक्ष्य एवं उपलब्धि

योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास स्वीकृति के दो वर्ष के भीतर स्वयं आवासों का निर्माण करना था। लेखा परीक्षा हेतु चयनित 20 जिलों में ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा वर्ष 2008-13 के मध्य आवंटित किये गये नवीन तथा उन्नयन आवास का लक्ष्य, पूर्ण एवं अपूर्ण आवास का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका-1(अ): नये आवास

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में अपूर्ण आवास	वर्ष के दौरान स्वीकृत किये गये आवास	निर्माण हेतु कुल स्वीकृत आवास	वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये आवास	वर्ष के अंत में अपूर्ण आवास
2008-09	9,935	48,982	58,917	36,903	22,014
2009-10	22,014	51,807	73,821	41,657	32,164
2010-11	32,164	41,326	73,490	39,361	34,129
2011-12	34,129	42,146	76,275	38,670	37,605
2012-13	37,605	46,335	83,940	38,758	45,182
योग	--	प्रा.शेष +2,30,596	--	1,95,349	--

तालिका-1(ब): आवासों का उन्नयन

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में अपूर्ण आवास	वर्ष के दौरान स्वीकृत किये गये आवास	उन्नयन हेतु कुल स्वीकृत आवास	वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये आवास	वर्ष के अंत में अपूर्ण आवास
2008-09	2,158	11,623	13,781	8,995	4,786
2009-10	4,786	12,310	17,096	8,829	8,267
2010-11	8,267	निरंक	8,267	3,827	4,440
2011-12	4,440	निरंक	4,440	119	4,321
2012-13	4,321	निरंक	4,321	निरंक	4,321
योग	--	प्रा. शेष +23,933	--	21,770	--

(स्रोत: लेखापरीक्षा हेतु चयनित 20 जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा तैयार मासिक प्रगति प्रतिवेदन)

- उपरोक्तानुसार देखा जा सकता है कि 2008-13 की अवधि के दौरान मार्च 2013 को नवीन आवास लक्ष्य 2,40,531 के विरुद्ध 45,182 आवास (19 प्रतिशत) तथा उन्नयन आवास लक्ष्य 26,091 के विरुद्ध 4,321 आवास (17 प्रतिशत) अपूर्ण रहे।
- नमूना जाँच किये गये जिला पंचायतों में यह देखा गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान पूर्णता के लिये लंबित नवीन तथा उन्नयन आवास की जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसी प्रकार पूर्णता हेतु लंबित आवास की वर्षवार स्थिति न तो मासिक प्रगति प्रतिवेदन में न ही अन्य किसी अभिलेख में अंकित की गयी थी।
- वर्ष 2010-13 के दौरान नवीन आवास हेतु आवंटित लक्ष्य में 51,807 से 41,326 की गिरावट के बावजूद वर्ष के अंत में अपूर्ण आवासों की संख्या में 22,014 से 45,182 की वृद्धि हुई जो कि योजना के धीमे कार्यान्वयन होने का द्योतक है।
- वर्ष 2009-10 के पश्चात उन्नयन आवासों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये जबकि वर्ष 2009-10 तक स्वीकृत 4321 उन्नयन आवास मार्च 2013 तक पूर्ण नहीं हुये। ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह पता लगाया जा सके कि जिला पंचायतों द्वारा इन उन्नयन आवास इकाईयों की पूर्णता हेतु निगरानी की गई। इस प्रकार 4321 उन्नयन आवास निरंतर अपूर्ण दर्शाये गये, जिस पर वित्तीय सहायता राशि ₹ 6.48 करोड़ (₹ 15000 x 4321) अलाभकारी रही। इसके अतिरिक्त प्रदाय की गई वित्तीय सहायता के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान 4321 उन्नयन के लिये स्वीकृत किये गये आवास मार्च 2013 की स्थिति में अपूर्ण रहे तथा ₹ 6.48 करोड़ सहायता राशि निष्फल रही

20169 इन्दिरा आवासों की भौतिक स्थिति को प्रतिवेदित नहीं किया गया

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के मार्च माह की मासिक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा में देखा गया कि 16 जिलों⁶³ के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक वर्ष के अंत में तथा अगले वर्ष के प्रारंभ में दिखाये गये अपूर्ण आवासों की संख्या में अंतर था। जिसके परिणामस्वरूप इन जिला पंचायतों ने मार्च 2013 के अंत तक 45,182⁶⁴ वास्तव में अपूर्ण रहे आवासों के विरुद्ध केवल 25,013 अपूर्ण आवास राज्य सरकार को प्रतिवेदित किए। इस प्रकार 20,169 अपूर्ण आवासों की भौतिक स्थिति को प्रतिवेदित नहीं किया गया। वर्ष वार अंतर का विवरण **परिशिष्ट-2.18** में दर्शाया गया है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन तथा 389 ग्राम पंचायतों में 3956 हितग्राहियों से प्रश्नावली के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण में पाया गया कि 546 आवास अपूर्ण रहे तथा 71 प्रकरणों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। 71 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में सहायता राशि की दोनों किशतों की राशि ₹ 7.47 लाख जारी की गई थी, 34 प्रकरणों में राशि ₹ 7.08 लाख की प्रथम किशत हितग्राहियों को जारी की गई थी एवं बचे हुए 19 प्रकरणों में हितग्राहियों ने बताया कि उनके द्वारा कोई भी राशि प्राप्त नहीं की गई थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.19** में दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवासों की भौतिक प्रगति को सुनिश्चित किये बिना हितग्राहियों को द्वितीय किशत जारी कर दी गई थी तथा जिला पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) को गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये गये। अपूर्ण आवासों के उदाहरणों की फोटो नीचे दी गई है-

	
<p>जिला पंचायत उज्जैन द्वारा पूर्ण सहायता राशि ₹ 0.45 लाख जारी किये जाने के बावजूद ग्राम पंचायत काजीखेड़ी (उज्जैन) में अपूर्ण इन्दिरा आवास</p>	<p>ग्राम पंचायत कालदा (बड़वानी) में पूर्ण सहायता राशि ₹ 0.45 लाख जिला पंचायत बड़वानी द्वारा जारी किये जाने के बावजूद कच्चा इन्दिरा आवास</p>

राज्य शासन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि प्रकरणों की जाँच की जायेगी।

⁶³ बालाघाट, बड़वानी, डिण्डीरी, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मण्डला, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, टीकमगढ़, उज्जैन तथा उमरिया

⁶⁴ लेखापरीक्षा द्वारा 31 मार्च 2013 की एम.पी.आर में वास्तव में अपूर्ण रहे आवासों की संख्या 45,182 की गणना की गई थी। अन्तिम शेष त्रुटिपूर्ण होने के कारण 31 मार्च 2013 को अपूर्ण आवासों की संख्या 25,013 दर्शायी गई थी।

2.3.6.5 इन्दिरा आवास योजना के साथ अन्य योजनाओं/विभागों का अभिसरण

योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 3.2 तथा 5.11 के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा प्रत्येक इन्दिरा आवास में स्वच्छ शौचालय, धुंआ रहित चूल्हा तथा पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सभी आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए थे तथा जिसे अन्य सरकारी योजनाओं जैसे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त विद्युत प्रावधान के साथ परस्परानुबंधन करना चाहिये था। ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम/योजनाओं के अभिसरण की प्रभावी निगरानी के लिये एक मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम पी आर-3) बनाया गया था। जिला पंचायतों को जिले में उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली सभी नोडल एजेन्सियों के साथ संपर्क करना आवश्यक था। जमीनी स्तर पर इन कार्यक्रमों के वास्तविक अभिसरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आंकड़े एकत्रित कर निर्धारित प्रपत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) को प्रत्येक माह ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।

2.3.6.5(अ) अभिसरण गतिविधियां

अन्य योजनाओं का अभिसरण इन्दिरा आवास योजना के साथ नहीं किया गया

- हमने देखा कि विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायत को अन्य योजनाओं/विभागों का अभिसरण इन्दिरा आवास योजना के साथ सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जनवरी 2010 में जारी किये थे। 17 जिलों⁶⁵ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायत ने लेखापरीक्षा जांच में बताया कि समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इन्दिरा आवासों में स्वच्छ शौचालय स्वीकृत नहीं किये गये। जबकि मण्डला जिले में 8,328 इन्दिरा आवासों में से समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 1,185 आवासों में स्वच्छ शौचालय स्वीकृत (2011-12) किये गये। बैतूल तथा दमोह जिले में 28,162 (बैतूल 13,866 तथा दमोह 14,296) इन्दिरा आवासों में से 3,941 (बैतूल 782 तथा दमोह 3169) आवासों में समग्र स्वच्छता अभियान से स्वच्छ शौचालय 2011-13 के दौरान स्वीकृत किये गये थे।

3956 इन्दिरा आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण तथा हितग्राही सर्वे (मई से सितम्बर 2013) से परिलक्षित हुआ कि 239 इन्दिरा आवास योजना हितग्राहियों ने शौचालयों का निर्माण समग्र स्वच्छता अभियान से प्राप्त राशि से किया तथा शेष 3717 हितग्राहियों में से 1053 हितग्राहियों द्वारा शौचालय का निर्माण स्वयं के स्रोत से किया गया।

- नमूना जांच किये गये किसी भी जिला पंचायत में इन्दिरा आवास योजना के साथ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अभिसरण सुनिश्चित नहीं किया गया और न ही किसी भी जिला पंचायत में अभिसरण का अभिलेख संधारित किया गया था। 3956 आवास के संयुक्त भौतिक सत्यापन में 2947 आवास में विद्युत संयोजन उपलब्ध था तथापि 1830 आवास में विद्युत संयोजन

⁶⁵ बालाघाट, बड़वानी, धार, डिण्डीरी, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगोन, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, टीकमगढ़, उज्जैन तथा उमरिया

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से किया जाना हितग्राहियों द्वारा बताया गया था।

- किसी भी नमूना जाँच किये गये जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) की गतिविधियों का अभिसरण इन्दिरा आवास योजना के साथ सुनिश्चित नहीं किया गया और न ही जिला पंचायत में इन्दिरा आवास योजना के साथ एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अभिसरण का अभिलेख संघारित किया जाना पाया गया। 3956 इन्दिरा आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में 291 इन्दिरा आवास के हितग्राहियों ने पानी की उपलब्धता राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से होना बताया।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण की निगरानी के लिए एम.पी.आर-3 प्रत्येक माह ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) को भेजा जाना चाहिये था। एम.पी.आर.-3 को ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) को प्रस्तुत करने के संबंध में पूछे जाने पर नमूना जांच किये गये 20 जिलों में से 16 जिलों⁶⁶ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि उनके द्वारा एम.पी.आर.-3 भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था। जबकि चार जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जिला पंचायतों ने बताया था कि प्रतिवेदन भेजे गए थे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि इन्दिरा आवास योजना के अधिकांश हितग्राही स्वच्छ शौचालय, विद्युत कनेक्शन एवं पीने के पानी की उपलब्धता हेतु चिन्हित योजनाओं के लाभ से वंचित रहे।

विकास आयुक्त ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर दिया (सितम्बर-2013) कि जिलों द्वारा अन्य योजना के अभिसरण का प्रयास इन्दिरा आवास योजना के साथ नहीं किया गया जिसके कारण एम पी आर -3 ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) को नहीं भेजी गई। तथापि अन्य योजनाओं का अभिसरण इन्दिरा आवास योजना के साथ न किये जाने का कारण नहीं बताया गया।

राज्य शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (दिसम्बर 2013) कि जिलों को अभिसरण हेतु (जून 2013) निर्देश जारी किए जा चुके थे।

2.3.6.5 (ब) धुँआ रहित चूल्हों का संस्थापन

इन्दिरा आवासों में धुँआ रहित चूल्हों की स्थापना के संबंध में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग की गई

योजना के दिशा निर्देशों के कंडिका 5.4 के अनुसार, प्रत्येक इन्दिरा आवास को एक धुँआ रहित चूल्हा, जो कि ईंधन बचाने वाला, धुँआ रहित तथा साफ पर्यावरण के लिए उपयोगी, उचित एवं अधिक सुविधाजनक हो उपलब्ध कराया जाता है।

⁶⁶ बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, दमोह, धार, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, टीकमगढ़, उज्जैन तथा उमरिया

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि से इन्दिरा आवास में धुँआ रहित चूल्हा संस्थापित किया जाना था। प्रत्येक इन्दिरा आवास में धुँआ रहित चूल्हा संस्थापित होने की सूचना नमूना जांच हेतु चयनित समस्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायतों द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति प्रतिवेदन में भेजी गई थी। जबकि 3956 इन्दिरा आवास के भौतिक सत्यापन में 3860 (98 प्रतिशत) हितग्राहियों ने बताया कि उनके आवास में धुँआ रहित चूल्हा संस्थापित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार को धुँआ रहित चूल्हा की संस्थापना के संबंध में त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई थी।

राज्य शासन ने बताया (दिसंबर 2013) कि इस संबंध में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2.3.6.6 इन्दिरा आवास हेतु निर्धारित क्षेत्रफल से कम में आवास का निर्माण होना

इन्दिरा आवासों के लिये निर्धारित न्यूनतम नींव का क्षेत्र सुनिश्चित नहीं किया गया

योजना के दिशा निर्देशों के कंडिका क्रमांक 5.3 के अनुसार राज्य सरकार को इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु कुर्सी क्षेत्रफल कम से कम 20 वर्ग मीटर निर्धारित कर टाईप डिजाइन को अंतिम रूप देना था।

लेखापरीक्षा जांच में राज्य सरकार तथा चयनित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जिला पंचायत ने बताया कि इन्दिरा आवास के लिए कोई टाईप डिजाइन को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। सरकार ने यह भी कहा कि इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण कम से कम 20 वर्ग मीटर में हो यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा में सम्मिलित 3956 आवासों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान में 273 इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों ने बताया कि उनके आवास का निर्माण 20 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में हुआ था।

राज्य शासन ने बताया (दिसंबर 2013) कि इन्दिरा आवास योजनाओं के आवासों के लिये कोई टाईप डिजाइन निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी। जबकि इन्दिरा आवास योजना के आवासों का निर्माण 20 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में न हो यह अनिवार्य था।

राज्य सरकार का उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि जनपद पंचायत स्तर पर सहायक विस्तार विकास अधिकारी द्वारा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।

2.3.7 वित्तीय प्रबंधन

इन्दिरा आवास योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकार के साथ 75:25 अनुपात में लागत को वहन करके वित्त पोषित किया गया है। केन्द्रांश जिला पंचायतों को सीधे दो किस्तों में जारी किया गया था। प्रथम किस्त की राशि कुल आवंटन के 50 प्रतिशत तक उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाती है। द्वितीय किस्त, निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर जैसे कुल उपलब्ध निधि का 60 प्रतिशत राशि के उपयोग किए जाने पर सनदी लेखाकार द्वारा पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत करने पर, पिछले वर्ष जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा गबन एवं

अन्यत्र उपयोग न किये जाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से अनुरोध प्राप्त होने पर जारी की जाती है। जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया का पालन किया जाना था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की साधारण सभा द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा रिपोर्ट 30 सितंबर या इससे पहले राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी। इन्दिरा आवास योजना की राशि वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में ग्राम पंचायत के माध्यम से हितग्राही के खाते में हस्तांतरित की गयी। मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश (जनवरी 2010) के अनुसार वर्ष 2010-11 से योजना की राशि जिला पंचायत द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में चरणबद्ध आधार पर हस्तांतरित किया जाना था। सहायता राशि को कार्य की प्रगति से जोड़कर दो किस्तों में जारी किया जाना था, प्रथम किस्त आवास स्वीकृत के साथ तथा द्वितीय किस्त निर्माण कार्य लिटल स्तर तक पहुंच जाने पर।

योजना निधि में तीन घटक केन्द्रांश, राज्यांश एवं अन्य प्राप्तियां (योजना राशि पर ब्याज) सम्मिलित थे।

वर्ष 2008-13 के दौरान कुल उपलब्ध निधि राशि ₹ 2310.45 करोड़ (होमस्टेड सहित) के विरुद्ध विभाग द्वारा ₹ 1984.14 करोड़ (86 प्रतिशत) व्यय किये गये। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2 : राज्य स्तर पर इन्दिरा आवास योजना निधि का आवंटन, वितरण तथा व्यय

(₹ करोड़)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य प्राप्तियाँ (योजना निधि पर ब्याज)	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अवशेष (कुल उपलब्ध राशि पर प्रतिशत)
2008-09	4.54	234.36	75.01	0.30	314.21	289.00	25.21(8.02)
2009-10	25.21	240.86	84.72	0.80	351.59	321.06	30.53(8.68)
2010-11	30.53	440.36	152.80	2.74	626.43	331.70	294.73(47.04)
2011-12	294.73	404.29	128.63	5.62	833.27	624.89	208.38(25.00)
2012-13	208.38	382.47	145.40	7.55	743.80	417.49	326.31(43.87)
योग	-	1702.34	586.56	17.01	2310.45⁶⁷	1984.14	-

(स्रोत: विकास आयुक्त के स्वीकृति आदेश तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि आवंटित निधि तथा व्यय में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक वृद्धि हुई। यह वृद्धि होमस्टेड के अंतर्गत निधि आवंटन के फलस्वरूप हुई है। हमने देखा कि यद्यपि निधि आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, कुल उपलब्ध निधि का एक बड़ा हिस्सा अनुपयोगी रहा।

यह भी पाया गया कि वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य में कुल उपलब्ध निधि वर्ष 2008-09 की प्रारंभिक शेष राशि ₹ 4.54 करोड़ सहित राशि ₹ 2310.45 करोड़ विकास आयुक्त द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से भारत

⁶⁷ कुल उपलब्ध राशि ₹ 2310.45 करोड़= प्रारंभिक शेष ₹ 4.54 करोड़ + केन्द्रांश ₹ 1702.34 करोड़ + राज्यांश ₹ 586.56 करोड़+ अन्य प्राप्तियाँ ₹ 17.01 करोड़

सरकार को बताया गया। जबकि चयनित 20 जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 2008-09 में प्रारंभिक शेष ₹10.30 करोड़ पाया गया है। इस प्रकार 2008-09 के प्रारंभिक शेष एवं वर्ष 2008-13 तक कुल उपलब्ध निधि को कम से कम ₹ 5.76 करोड़ से कम बताया गया था। शेष 30 जिलों से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा में नहीं देखी गयी थी।

विकास आयुक्त के अभिलेखों की जांच में निम्नानुसार पाया गया:

2.3.7.1 केन्द्रांश कम जारी किया जाना

जिलों द्वारा धीरे-धीरे व्यय करने के कारण राज्य को केन्द्र की राशि ₹ 61.78 करोड़ कम जारी की गई थी

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत (होमस्टेड योजना सहित) राज्य को स्वीकृत की गई राशि ₹ 1764.12 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1702.34 करोड़ जारी किये गये थे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जिलों के पास अंतिम शेष, निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से अधिक रहने के कारण राज्य को ₹ 61.78 करोड़ केन्द्रांश कम जारी किये गये (परिशिष्ट-2.20)।

निर्गम सम्मेलन के दौरान राज्य शासन ने तथ्य स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2013) कि केन्द्रांश वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी होने के कारण जिलों द्वारा उस वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। इसलिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संपूर्ण राशि जारी नहीं की गई थी।

यद्यपि, तथ्य यह है कि अप्रयुक्त शेष राशि निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रांश में कटौती हुई थी।

2.3.7.2 नमूना जांच किए गए जिलों में निधि की उपलब्धता एवं किया गया व्यय

वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चयनित जिले में उपलब्ध राशि, प्रारंभिक शेष, प्राप्त केन्द्रांश व राज्यांश एवं अन्य प्राप्ति तथा व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	राशियों का आवंटन			अन्य प्राप्ति ⁶⁸	वर्ष के दौरान उपलब्ध राशि	व्यय (प्रतिशत)	अप्रत्याशित शेष (प्रतिशत)
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग				
2008-09	10.30	125.15	41.43	166.58	0.63	177.51	147.99 (83)	29.52(17)
2009-10	29.52	130.42	45.02	175.44	0.89	205.85	165.55 (80)	40.30(20)
2010-11	40.30	147.70	48.14	195.84	2.53	238.67	201.37 (84)	37.30(16)
2011-12	37.30	136.54	31.81	168.35	5.39	211.04	176.01(83)	35.03(17)
2012-13	35.03	143.78	56.48	200.26	4.50	239.79	200.27(84)	39.52(16)
योग		683.59	222.88	906.47	13.94	930.71 ⁶⁹	891.23	

(स्रोत-भारत सरकार को प्रस्तुत जिला पंचायतों की उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा एम.पी.आर)

⁶⁸ अन्य प्राप्ति में सम्मिलित ब्याज इत्यादि

⁶⁹ उपलब्ध राशि ₹ 930.71 = प्रारंभिक शेष ₹ 10.30 + केन्द्रांश एवं राज्यांश ₹ 906.47 + अन्य प्राप्ति ₹ 13.94

चार जिलों में जारी की गई द्वितीय किश्त से केन्द्रांश की राशि ₹ 6.77 करोड़ काटी गयी

उपरोक्तानुसार यह देखा जा सकता है कि चयनित जिलों में अप्रयुक्त शेष राशि निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से अधिक थी जो 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के मध्य थी। जिसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) ने चार जिलों⁷⁰ की द्वितीय किश्त से ₹ 6.77 करोड़ की कटौती की।

राज्य शासन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि भारत सरकार द्वारा जिलों को वित्तीय वर्ष के अंत में चार से छः माह विलंब से द्वितीय किश्त जारी की गयी थी, जिसके कारण जिलों द्वारा संपूर्ण राशि का उपयोग उस वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप अव्ययित शेष राशि निर्धारित सीमा से अधिक समय पड़ी रही।

इसके अतिरिक्त चयनित जिलों के सनदी लेखाकारों की रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र, मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रोकड़बही, बैंक विवरण पत्रक और खाता बही आदि की समीक्षा से पता चला कि:

इन्दिरा आवास योजना राशि ₹ 5 लाख की पी.एम.जी. एस.वाई में उपयोग किया गया

➤ वर्ष 2008-09 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दमोह द्वारा इन्दिरा आवास योजना की राशि ₹ 5 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उपयोग की गई थी। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से राशि की वापसी इन्दिरा आवास योजना में होना अभिनिश्चित नहीं किया जा सका। शेष चयनित जिलों में इन्दिरा आवास योजना राशि का अन्यत्र उपयोग किया जाना नहीं पाया गया।

➤ डिण्डोरी जिले की जनपद पंचायत मेहदवानी तथा डिण्डोरी द्वारा योजना की राशि ₹ 18 लाख⁷¹ बिना किसी अभिलेखित कारण से जनपद के अन्य बैंक खाते में जमा की गयी तथा मार्च 2013 तक योजना के कार्यान्वयन पर उपयोग नहीं की गयी थी।

भारत सरकार को 13 जिलों द्वारा ₹ 13.64 करोड़ का अधिक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया

➤ वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान नमूना जाँच किये गये जिला पंचायत⁷² में देखा गया कि सनदी लेखाकार की विभिन्न वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में दर्शायी गई व्यय की राशि ₹ 191.66 करोड़ थी जबकि इन जिलों द्वारा ₹ 205.29 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे गये थे। इस प्रकार उपयोगिता प्रमाण पत्र में ₹ 13.64 करोड़ अधिक व्यय किया जाना बताया गया है (परिशिष्ट- 2.21)। तथापि, शेष सात जिलों में कोई अन्तर नहीं था।

➤ नमूना जाँच किये गये जिलों द्वारा वर्ष 2008-12 की अवधि में मासिक प्रगति प्रतिवेदन में ₹ 709.41 करोड़ व्यय होना बताया गया जबकि इन जिलों द्वारा ₹ 690.93 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र सितम्बर 2013 की स्थिति में

⁷⁰ दमोह (₹ 3.37 करोड़), डिण्डोरी (₹ 0.26 करोड़), कटनी (₹ 2.27 करोड़) तथा उज्जैन (₹ 0.87 करोड़)

⁷¹ डिण्डोरी - ₹ 13 लाख (₹ 8 लाख मार्च 2011 में एवं ₹ 5 लाख मार्च 2012), मेहदवानी - ₹ 5 लाख (मई 2012)

⁷² बालाघाट, बैतूल, दमोह, डिण्डोरी, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मण्डला, रायसेन, राजगढ़, शहडोल, टीकमगढ़ तथा उमरिया

प्रस्तुत किये गये थे। इस प्रकार मासिक प्रगति प्रतिवेदन और उपयोगिता प्रमाण पत्र के आंकड़ों में ₹ 18.49 करोड़ का अन्तर था (परिशिष्ट- 2.22)।

राज्य शासन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि उपरोक्त के संबंध में जिला पंचायतों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई की जायेगी।

जिला पंचायतों के
वार्षिक लेखे जिला
ग्रामीण विकास
अभिकरण की सामान्य
सभा द्वारा अनुमोदित
नहीं कराये गये

➤ नमूना जाँच किये गये सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि उन्होंने वार्षिक लेखे सनदी लेखाकार द्वारा तैयार कराए थे परंतु वर्ष 2008-13 के दौरान उन्हें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित नहीं कराया गया।

राज्य शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि इस संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

वर्ष 2008-10 के दौरान ग्राम पंचायत के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में सहायता राशि हस्तांतरित की गई थी। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जनवरी 2010 में जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2010-11 से सहायता राशि को जिला पंचायत द्वारा हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाना था।

योजना की राशि
₹ 52.73 लाख ग्राम
पंचायत/जनपद
पंचायत के बैंक खातों
में अवरुद्ध रही।

नमूना जाँच किये गये 389 ग्राम पंचायतों में से 112 ग्राम पंचायतों के बैंक खाते में इन्दिरा आवास योजना की वर्ष 2008-10 की राशि ₹ 40 लाख हितग्राही को पूर्ण सहायता राशि जारी न किये जाने तथा लक्ष्य से कम हितग्राही का चयन होने के कारण अनुपयोगी पड़ी थी (मार्च 2013)। विवरण **परिशिष्ट-2.23** में दर्शाया गया।

हमने इन्दिरा आवास योजना की रोकड़ बही से यह देखा कि वर्ष 2007-08 की राशि ₹ 12.73 लाख जनपद पंचायत कसरावद के पृथक बैंक खाते में जमा थी एवं मार्च 2013 तक अनुपयोगी रही।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (जनवरी 2010) का उल्लंघन करते हुए तीन जिला पंचायतों⁷³ में जनपद पंचायत के माध्यम से इन्दिरा आवास योजना की राशि ₹ 30.94 करोड़ हितग्राहियों के खाते में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में हस्तांतरित की गई, जो कि समय से सहायता राशि वितरण को प्रभावित कर सकती है। अन्य चयनित जिलों में सहायता राशि सीधे ही हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित की गई थी।

योजना के दिशा निर्देशों के प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर ने (वर्ष 2010-12) संपूर्ण सहायता राशि ₹ 2.45 करोड़ 545 हितग्राहियों को दो किशतों के बजाय एक किशत में जारी कर दी थी।

उपरोक्त टिप्पणी लेखा परीक्षा में इंगित करने पर शासन ने बताया (दिसम्बर 2013) कि जिले से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

⁷³ डिण्डीरी (₹ 11.74 करोड़), रायसेन (₹ 7.70 करोड़) तथा उमारिया (₹ 11.50 करोड़)

2.3.7.3 विभेदक ब्याज दर के तहत ऋण स्वीकृत न किया जाना

इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण उपलब्ध नहीं करवाया गया

इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 3.1.2 के अनुसार जिला पंचायतों को इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदान करनी थी। इन्दिरा आवास योजना आवास की मंजूरी के समय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को हितग्राहियों से ऋण आवेदन प्राप्त करके बैंक को प्रस्तुत करना चाहिये था। 20 नमूना जाँच किये गये जिलों में से 17 जिले⁷⁴ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायत ने बताया कि इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किये गये। जबकि दो जिला पंचायत (खण्डवा तथा मण्डला) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, द्वारा बताया गया कि विभेदक ब्याज दर योजना जिले की जनपद पंचायत/ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रचारित की गई थी तथा जिला पंचायत डिन्डौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत स्तर पर इस संबंध में प्रयास किये गये थे। तथापि इन जिलों द्वारा सत्यापन हेतु संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि राज्य द्वारा प्रवर्तित आवास योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा दी गई थी। जबकि इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन से भी पता चला कि 3956 चयनित हितग्राहियों में से किसी भी हितग्राही ने विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण के लिये आवेदन नहीं किया।

2.3.8 कार्यक्रम प्रबन्धन

2.3.8.1 सामग्री की गुणवत्ता एवं लागत की किफायत का सुनिश्चित न किया जाना

योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 5.2 में वर्णित प्रावधानों के तहत स्थानीय सामग्री तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित की गई किफायती, आपदारोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिये। जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को टिकाऊ, किफायती एवं आपदारोधी आवासों के निर्माण/उन्नयन में हितग्राहियों की मदद करने के लिये अभिनव प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, प्रारूपों तथा पद्धतियों के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न संगठनों/संस्थाओं से संपर्क करना चाहिये। राज्य सरकारें भी जिला/ब्लॉक स्तर पर किफायती और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, प्रारूपों आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती हैं।

इन्दिरा आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी

विकास आयुक्त ने बताया कि राज्य स्तर पर इन्दिरा आवास योजना के आवासों में निर्माण की गुणवत्ता एवं लागत की मितव्ययता में मितव्ययी एवं गुणवत्ता पूर्ण सामग्री के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई और न ही राज्य शासन द्वारा स्थानीय सामग्रियाँ प्रदान करने, किफायती, आपदारोधी एवं पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की कोई पहल की गयी।

⁷⁴ बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, दमोह, धार, जबलपुर, कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, टीकमगढ़, उज्जैन तथा उमरिया

नमूना जाँच किये गये समस्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हितग्राहियों को आवास निर्माण करने के लिए कोई तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं दिया गया और न ही हितग्राहियों को आपदासोधी तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करने हेतु कोई प्रयास किया गया था।

राज्य/जिले स्तर पर आवास निर्माण हेतु गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कोई पद्धति नहीं थी।

राज्य शासन द्वारा बताया (दिसम्बर 2013) गया कि शौचालय सहित पक्का इन्दिरा आवास निर्माण करने हेतु जिलों को निर्देशित किया गया था।

विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के उत्तर से पुष्टि होती है कि इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2.3.8.2 इन्दिरा आवास योजना के आवासों का गुणवत्ता निरीक्षण

इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 5.7.1 के अनुसार इन्दिरा आवास के निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिये। नींव डालना तथा कुर्सी स्तर महत्वपूर्ण चरण है। अतः आवास की गुणवत्ता संधारित करने हेतु कम से कम दो चरणों में तकनीकी पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

इन्दिरा आवासों के निर्माण के दौरान हितग्राही को तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान नहीं किया गया

नमूना जाँच किये गये 20 जिलों में से 14 जिलों⁷⁵ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया गया कि नींव एवं कुर्सी स्तर पर आवास निर्माण के दौरान हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण नहीं दिया गया था तथापि, छः जिलों⁷⁶ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि विभाग में कार्यरत तकनीकी स्टाँफ द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण दिया गया है।

राज्य शासन ने उत्तर दिया कि (दिसम्बर 2013) मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इन्दिरा आवास योजना के आवासों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा किया जाना था, इसलिये आवासों के गुणवत्ता निरीक्षण की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि मध्य प्रदेश शासन ने इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिये कोई पद्धति विकसित नहीं की थी।

2.3.8.3 आवासों की सूची का तैयार न किया जाना

आवासों की सूची संधारण नहीं करने के फलस्वरूप भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रदर्शित आंकड़ों की सत्यता सत्यापित न होना

इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 5.9 के अनुसार इन्दिरा आवास योजना कार्यान्वयन एजेन्सियों को निर्मित एवं उन्नयन आवास की एक पूर्ण सूची तैयार करना चाहिये थी जिसमें आवासों का निर्माण प्रारंभ तथा पूर्ण होने की तिथि, गाँव का

⁷⁵ बालाघाट, बड़वानी, दमोह, धार, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगोन, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शहडोल तथा शाजापुर,

⁷⁶ बैतूल, डिण्डोरी, मण्डला, टीकमगढ़, उज्जैन तथा उमरिया

नाम जहाँ आवास स्थित था, हितग्राहियों का नाम, पता, व्यवसाय एवं श्रेणी का ब्यौरा दिया गया हो।

दिशा निर्देशों के अनुसार आवासों की सूची तैयार करने के संबंध में जानकारी लेने पर सभी नमूना जाँच किये गये जिलों/जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया कि आवासों की सूची तैयार नहीं की गयी थी, अभिलेखों के अभाव में इन्दिरा आवास योजना के आवासों की भौतिक प्रगति के संबंध में बताए गए आंकड़ों की सत्यता अभिनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

राज्य शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि जिलों को आवासों की सूची तैयार करने के लिये निर्देशित किया जायेगा।

2.3.8.4 इन्दिरा आवास योजना से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान न किया जाना

प्रशिक्षण, आपदा रोधी तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हितग्राहियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये निधि आवंटित नहीं की गयी

योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 5.7 के अनुसार राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इन्दिरा आवास योजना से संबंधित अधिकारियों को आवासों में अपनाई जाने वाली विभिन्न आपदा रोधी विशेषताओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये और उन्हें क्षेत्रीय दौरों के दौरान इसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कम लागत वाली प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी, गोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से हितग्राहियों में आपदा रोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिये।

हमने देखा कि पर्यावरण के अनुकूल एवं आपदा रोधी आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को जागरूक करने एवं प्रशिक्षण देने हेतु न तो कोई कार्य योजना तैयार की गई एवं न ही निधियाँ प्रदान की गईं। इन्दिरा आवास योजना से संबंधित अधिकारियों को आपदा रोधी तकनीकी से संबंधित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। हितग्राहियों को किफायती तकनीक के बारे में जागरूक करने के लिए कोई कार्यशाला एवं प्रदर्शनी भी आयोजित नहीं की गयी थी।

राज्य शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि इस संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

2.3.9 होमस्टेड योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन ग्रामीण परिवारों, जिसके पास न तो रहने के लिए स्थान था और न ही कृषि योग्य भूमि थी, को रहने के लिए स्थान देने के लिये होमस्टेड योजना इन्दिरा आवास योजना के एक भाग के रूप में 24 अगस्त 2009 से प्रारंभ की गई थी। रहने के लिए स्थान के आवंटन के लिए, हितग्राहियों का चयन इन्दिरा आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची से किया जाना था। प्रथम दृष्टांत में राज्य शासन को विद्यमान अधिनियम एवं नियमों के तहत हितग्राहियों द्वारा अधिगृहित भूमि को नियमित करना था। यदि ऐसा न हो तो राज्य शासन उपर्युक्त शासकीय भूमि रहने के स्थान के लिये उपलब्ध कराएगी। यदि शासकीय भूमि उपलब्ध न हो तो इस

उद्देश्य के लिए निजी भूमि क्रय या अधिग्रहित की जायेगी। 100 से 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के होमस्टेड स्थल के क्रय/अधिग्रहण के लिए प्रति हितग्राही को ₹ 10,000 वित्तीय सहायता या वास्तविक, जो भी कम हो, उपलब्ध करवाई जानी थी। होमस्टेड योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु हितग्राही को सहायता राशि ₹ 45,000 उपलब्ध कराई जानी थी।

राज्य शासन द्वारा होमस्टेड योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य में अभिज्ञापित कुल 1.39 लाख हितग्राहियों में से 1.05 लाख हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए। इस हेतु केंद्रीय निधि ₹ 362.29 करोड़ दिसम्बर 2012 तक राज्य सरकार को जारी की गई थी। कुल उपलब्ध निधि ₹ 471.62 करोड़ (राज्यांश ₹ 109.33 करोड़ सहित) में से ₹ 378.61 करोड़ होमस्टेड के हितग्राहियों को जारी किए गए थे एवं राशि ₹ 93.01 करोड़ दिसम्बर 2012 की स्थिति में जिलों के पास शेष थी। हमने देखा कि नमूना जाँच किये गये जिलों में हितग्राही को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिये निजी भूमि क्रय/अधिग्रहीत नहीं की गयी। परिणामस्वरूप भूमि के क्रय पर कोई व्यय नहीं हुआ था।

होमस्टेड योजना के हितग्राहियों के लिये अपेक्षित भूमि का नियमितीकरण नहीं किया गया एवं सामान्य हितग्राहियों को होमस्टेड योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया

विकास आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2013) कि रहने के लिए स्थान का नियमन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत हितग्राहियों को शासकीय भूमि के मामलों में तहसीलदार द्वारा एवं पंचायत की भूमि के मामलों में संबंधित सरपंच द्वारा "भू-अधिकार प्रमाण पत्र" जारी किया जाना था।

नमूना जाँच किये गये 20 जिलों में होमस्टेड योजनान्तर्गत भूमि के नियमन से संबंधित जाँच में नौ जिला पंचायतों⁷⁷ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि हितग्राहियों द्वारा अधिग्रहीत भूमि के नियमन के लिए "भू अधिकार प्रमाण पत्र" जारी किया गया था, तदनुसार 21,300 हितग्राहियों को होमस्टेड योजनान्तर्गत सहायता राशि जारी की गयी थी। अन्य नौ जिलों⁷⁸ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि हितग्राहियों द्वारा अधिग्रहीत भूमि का नियमितीकरण संबंधित जनपद/ग्राम पंचायतों की अनुशंसा के आधार पर किया गया तदनुसार 21,600 हितग्राहियों को सहायता राशि जारी की गयी थी। दो जिलों (जबलपुर एवं नरसिंहपुर) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अधिग्रहीत भूमि का नियमितीकरण जिला पंचायत द्वारा जनपद स्तर पर गठित समिति के सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था एवं तदनुसार 4500 हितग्राहियों (जबलपुर-2400 एवं नरसिंहपुर-2100) को सहायता राशि जारी की गयी थी परंतु सर्वे से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा को सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।

नमूना जाँच किये गये 389 ग्राम पंचायतों के गाँवों में संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं हितग्राही के माध्यम से सर्वेक्षण (मई से सितम्बर 2013) में 493 होमस्टेड हितग्राहियों में से 291 हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें "भू अधिकार प्रमाण पत्र" तहसीलदार/सरपंच

⁷⁷ बैतूल(2700), धार(3200), कटनी(1800), खरगोन(3000), मण्डला(2800), रतलाम(2900), शहडोल(1800), टीकमगढ़(1500) तथा उज्जैन(1600)

⁷⁸ बालाघाट(3500), बड़वानी(1800), दमोह(2500), डिण्डोरी(2700), खण्डवा(3000) रायसेन(2600), राजगढ़(2800), शाजापुर(1200) तथा उमारिया(1500)।

द्वारा जारी नहीं किया गया था एवं 42 हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें पूर्ण सहायता राशि जारी करने के बाद भी उनके आवासों का निर्माण नहीं हुआ। शेष 160 हितग्राहियों ने बताया कि आवास का निर्माण " भू अधिकार प्रमाण पत्र " जारी होने के उपरान्त किया गया था।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक ने मध्य प्रदेश के चार जिलों का भ्रमण (2010-11) किया, जिसमें नमूना जाँच किया गया जिला धार भी शामिल था। राष्ट्रीय स्तर पर्यवेक्षक ने अपने प्रतिवेदन में इंगित किया कि सामान्य इन्दिरा आवास योजना के हितग्राही एवं होमस्टेड योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों में कोई भिन्नता नहीं थी क्योंकि सामान्य इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को होमस्टेड योजना में लाभान्वित किया गया था।

राज्य शासन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) की प्रकरण की जाँच कर कार्रवाई की जावेगी।

2.3.10 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका क्रमांक 6.1 के अनुसार राज्य मुख्यालय में इन्दिरा आवास योजना का कार्य देख रहे अधिकारियों को नियमित रूप से जिलों का दौरा यह अभिनिश्चित करने के लिए करना चाहिये था कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषप्रद था एवं आवासों का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप था। इसी तरह से जिला और ब्लॉक स्तरों के अधिकारियों को कार्यस्थलों का दौरा कर इन्दिरा आवास योजना के समस्त पहलुओं की निगरानी करनी चाहिए थी। एक निरीक्षण सूची, जिसमें राज्य स्तर से ब्लॉक स्तर तक के प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तरीय अधिकारियों के लिये फील्ड दौरों की न्यूनतम संख्या दी गई हो तैयार कर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये था।

इन्दिरा आवास योजना के आवासों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने (जनवरी 2010) मासिक निरीक्षण अनुसूची जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा आवास का निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित की थी। निरीक्षण अनुसूची अनुसार जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रत्येक माह में 5 आवासों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद पंचायत को 10 आवासों, खण्ड विकास अधिकारी को 15 आवासों तथा सहायक विस्तार एवं विकास अधिकारी को शत प्रतिशत आवासों का निरीक्षण करना था। इन निरीक्षणों के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन जिला प्राधिकारी द्वारा विभाग मुख्यालय को अगले माह की 5 तारीख तक भेजा जाना था।

निर्धारित सूची
अनुसार इन्दिरा
आवास का निरीक्षण
नहीं किया गया

राज्य स्तर पर योजना के संबंध में पूछे जाने पर विकास आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2013) की स्टाफ की कमी के कारण योजना की निगरानी हेतु कोई राज्य स्तरीय अधिकारी को नामित नहीं किया गया है।

नमूना जांच हेतु चयनित समस्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि निगरानी के संबंध में कोई अभिलेख जैसे कि निरीक्षण पंजी/निरीक्षण

योजना की निगरानी हेतु कोई अभिलेख संघारित नहीं किया गया

प्रतिवेदन संघारित नहीं किया गया है। जबकि चार जिलों⁷⁹ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि इन्दिरा आवास योजना के आवासों का निरीक्षण अन्य ग्रामीण योजनाओं के साथ किया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं हितग्राही प्रश्नावली के माध्यम से किये गये सर्वेक्षण में 3956 हितग्राहियों में से, 2154 हितग्राहियों (54 प्रतिशत) ने बताया कि उनके आवासों का निरीक्षण सहायक विस्तार विकास अधिकारी द्वारा किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2013) में राज्य सरकार ने बताया कि जिला प्राधिकारियों को निरीक्षण अनुसूची का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया था। राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन भी किया जायेगा।

2.3.10.1 सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर इन्दिरा आवास योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समिति का है। सतर्कता एवं निगरानी समिति को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी में अहम भूमिका निभाना थी। दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित की जानी थी।

- विकास आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2008-13 के दौरान कुल अपेक्षित 20 राज्य स्तरीय बैठकों के विरुद्ध सतर्कता एवं निगरानी समिति की केवल चार बैठक आयोजित हुई थीं।
- नमूना जाँच हेतु चयनित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर देखा गया कि वर्ष 2008-13 के मध्य अपेक्षित कुल 400⁸⁰ जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों के विरुद्ध केवल 164 बैठकें आयोजित हुई थी एवं उक्त आयोजित बैठकों में से 34 बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति उपस्थित नहीं थे।
- हमने आगे देखा कि नमूना जाँच हेतु चयनित छः जिलों⁸¹ में पिछले एक से तीन वर्षों के दौरान सतर्कता एवं निगरानी समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2013) बताया कि सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित बैठकें कराने के लिये निर्देश जारी किये जायेंगे तथा इन्दिरा आवास योजना की उचित रूप से समीक्षा की जाएगी।

निगरानी एवं सतर्कता समिति की राज्य एवं जिले स्तर पर बैठकों में कमी थी छः जिले में पिछले एक से तीन वर्षों में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई

⁷⁹ कटनी, खण्डवा, मण्डला तथा शाजापुर,

⁸⁰ 4 बैठक X 5 वर्ष X 20 जिले

⁸¹ स्तलाम-3(2009-10, 2011-12 एवं 2012-13), मण्डला-3(2008-09, 2009-10 एवं 2012-13), डिण्डोरी-2(2008-09, एवं 2012-13), खण्डवा-1(2009-10), जबलपुर-1(2009-10) तथा खरगोन-2 (2008-09 एवं 2009-10)

2.3.10.2 पारदर्शिता एवं जवाबदेही

इन्दिरा आवास योजना की निगरानी के लिए एक वेब आधारित एम.आई.एस कार्यक्रम आवास साफ्ट हितग्राही-वार आंकड़ों को रखने के लिये जुलाई 2010 में प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से प्रबंधन, समस्त प्रतिवेदनों को तैयार करना, वित्त प्रवाह, आवास निर्माण की प्रगति एवं समस्त लाभों के अभिसरण को देखा जाना है। राज्यों को आवास सोफ्ट पर शतप्रतिशत डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया था क्योंकि द्वितीय किश्त के जारी करने को साफ्टवेयर से तैयार व्यय से जोड़ा गया था।

- प्रश्नावली के माध्यम से आवास साफ्ट पर हितग्राही वार आँकड़े के रखे जाने के बारे में पूछे जाने पर पाँच जिलों⁸² के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने (मई से सितम्बर 2013) बताया कि हितग्राहियों के डाटाबेस आवास साफ्ट में अपलोड किये गये थे। आठ जिलों⁸³ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि हितग्राहियों का डाटा बेस तैयार नहीं किया गया था और छः जिलों⁸⁴ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि हितग्राहियों का डाटाबेस अपलोड किया जा रहा था।
- नमूना जांच हेतु चयनित समस्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि वेब साईट में अपलोड आंकड़ों की शुद्धता की जाँच के लिये कोई तन्त्र विकसित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि इन्दिरा आवास योजना के लिये पृथक से कोई शिकायत प्रकोष्ठ नहीं था और इन्दिरा आवास योजना से संबंधित शिकायतों का अन्य शिकायतों के साथ समाधान किया जा रहा था।
- 20 जिलों में से 11 जिलों⁸⁵ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि चयनित हितग्राही ने इन्दिरा आवास योजना या अन्य किसी ग्रामीण आवास योजना में पूर्व में भी लाभ नहीं उठाया है, यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रणाली नहीं है, तथापि आठ जिलों⁸⁶ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि जनपद/ग्राम पंचायत स्तर के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि कार्रवाई की जाएगी।

2.3.10.3 सामाजिक लेखापरीक्षा

योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 6.3.5 के अनुसार योजना में सामाजिक लेखापरीक्षा की पद्धति का अनुसरण किया जाना था। लेखा परीक्षा में योजना की

⁸² दमोह, धार, खण्डवा, मण्डला तथा टीकमगढ़

⁸³ बालाघाट, बड़वानी, कटनी, रतलाम, शहडोल, शाजापुर, उज्जैन तथा उमरिया

⁸⁴ बैतूल, डिण्डौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन तथा राजगढ़

⁸⁵ बालाघाट, धार, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शहडोल, शाजापुर तथा उज्जैन

⁸⁶ बड़वानी, बैतूल, दमोह, डिण्डौरी, खण्डवा, मण्डला, टीकमगढ़ तथा उमरिया

सामाजिक लेखापरीक्षा के बारे में पूछे जाने पर नौ जिलों⁸⁷ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं कराई गई थी। तीन जिलों⁸⁸ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया कि ग्राम सभा में अन्य योजना के साथ इन्दिरा आवास योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी। तीन जिलों⁸⁹ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कराया गया एवं प्रतिवेदन वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे तथा चार जिलों⁹⁰ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि वर्ष 2012-13 में योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था।

2.3.10.4 मूल्यांकन अध्ययन

योजना के दिशा निर्देशों की कंडिका 6.2 के अनुसार राज्य सरकार राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव के संबंध में मूल्यांकन अध्ययन कराते हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर विकास आयुक्त ने बताया कि योजना में प्रशासनिक मद के अंतर्गत व्यय का प्रावधान न होने के कारण योजना का मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2013) लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

2.3.11 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नमूना जांच की गई जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। विकास आयुक्त द्वारा जिला पंचायतों के लिए इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गए थे। आवासों के लक्ष्य का आवंटन किसी भी स्तर पर निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं था। इन्दिरा आवास योजना में हितग्राहियों का चयन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं था। निधियों की उपलब्धता के बावजूद तीन वर्ष तक 4321 आवासों का उन्नयन नहीं किया गया था। इन्दिरा आवास योजना के आवासों में पानी, बिजली एवं शौचालय की उपलब्धता हेतु अन्य योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित नहीं किया गया था। इन्दिरा आवास योजना में उपलब्ध निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था। चूंकि जिलों में अव्ययित शेष निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से अधिक थे, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-13 के दौरान ₹ 61.78 करोड़ कम जारी किए गए। जिला पंचायतों में योजना के वार्षिक लेखे सनदी लेखाकार द्वारा तैयार कराए गए थे परंतु किसी भी जिले ने वार्षिक लेखे जिला पंचायत की सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित नहीं कराए थे। इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को विभेदक ब्याज दर ऋण के माध्यम से सहायता उपलब्ध करावाने की व्यवस्था नहीं की गई। सामग्री की गुणवत्ता एवं किफायत को सुनिश्चित करने का किसी भी स्तर पर प्रयास नहीं किया गया। जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर आवासों की सूची तैयार नहीं की गई। होमस्टेड योजना के अंतर्गत " भू अधिकार प्रमाण पत्र " अनियमित रूप से उन हितग्राहियों को जिनके पास

⁸⁷ बालाघाट, बड़वानी, दमोह, डिण्डोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, शहडोल तथा उमरिया

⁸⁸ कटनी, रतलाम तथा शाजापुर

⁸⁹ धार, टीकमगढ़ तथा उज्जैन

⁹⁰ बैतूल, खण्डवा, मण्डला तथा राजगढ़

रहने के लिए स्थान एवं कृषि योग्य भूमि थी, जारी किए जाने के उदाहरण देखे गए। प्रत्येक स्तर पर निगरानी का अभाव था। राज्य, जिला एवं ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा इन्दिरा आवास योजना की आवासीय इकाईयों का निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं किया गया था।

2.3.12 लेखा परीक्षा अनुशंसाएं

- आवासों के लिए लक्ष्यों का आवंटन प्रत्येक स्तर पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अन्य योजनाओं का अभिसरण इन्दिरा आवास योजना के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- योजनान्तर्गत निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को विभेदक ब्याज दर योजनान्तर्गत ऋण लेने हेतु शिक्षित किए जाना चाहिये।
- इन्दिरा आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत निर्मित आवासों की सूची तैयार की जानी चाहिये।
- प्रभावी निगरानी हेतु निर्धारित निरीक्षण का किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.4 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एम.एम.जी.एस.वाय.) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण

कार्यपालन सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में वृद्धि करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एम.एम.जी.एस.वाय.) शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.) के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए ग्रामों अर्थात् 500 से कम आबादी वाले सामान्य श्रेणी के गांव एवं 250 से कम आबादी वाले आदिवासी बाहुल्य गांवों को वर्ष 2013 के अंत तक एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ा जाना था। योजना के लेखा परीक्षण विश्लेषण में निम्नलिखित बिन्दु प्रकट हुए:

- मार्च 2013 की स्थिति में 2765 बसाहटों को सम्मिलित करते हुए 5176 किलोमीटर सड़क निर्मित की गई थी। निर्धारित लक्ष्य 6726 के विपरीत मात्र 2300 ग्रेवल सड़कें (34 प्रतिशत) पूर्ण की गई थीं। 56 प्रतिशत सड़क कार्य सबग्रेड स्तर तक किए गए थे।
- मार्च 2013 के अंत में अव्ययित शेष ₹ 826.28 करोड़ सिविल जमा खातों में रहे। आवश्यकता से अधिक निधियों का आहरण एवं निधियों का सिविल जमा में जमा करना अनियमित था एवं वित्तीय उपलब्धियाँ अनुचित प्रतिवेदित की गईं।
- नमूना जांच किए गए जिलों में 3952 ग्रामीण सड़कों में से 128 सड़कें विवादित स्थानों पर होने से ₹ 5.60 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद भी अधूरी थीं। इसी तरह वन विभाग से मंजूरी न मिलने से राज्य में 623 सड़क निर्माण कार्य तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी प्रारंभ नहीं हो सके।
- यद्यपि 350 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तकनीकी रूप से सही नहीं थे, अविवेकपूर्ण भुगतान अनुसूची के कारण लागत का 25 प्रतिशत ₹ 85.81 लाख का भुगतान हुआ, परिणामस्वरूप व्यय व्यर्थ रहा। नमूना जांच किए गए संभागों में 20 सलाहकार, निविदाएं आमंत्रित करने हेतु नोटिस की शर्तों को पूरा करने एवं प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड पर विफल रहे। वर्ष 2010-13 के दौरान कार्यपालन यंत्रियों द्वारा उनको ₹ 5.30 करोड़ का भुगतान किया गया।
- मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित एवं बहिष्कृत सलाहकार फर्म को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा छह संभागों के लिए ₹ 7.07 करोड़ के कार्य सौंपे गए।
- ठेकेदारों के चल खाता देयकों से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई थी।
- राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण अपर्याप्त था।

2.4.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश में 73.54 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में वृद्धि करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री मंत्री ग्राम सड़क योजना 500 एवं 500 से अधिक जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गांव एवं 250 से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी बहुल गांवों को 2013 के अंत तक बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ने हेतु लागू की गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामों को जो प्रधानमंत्री मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, को तीन चरणों⁹¹ में वर्ष 2013 के अंत तक बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ा जाना था।

एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत 9109 ग्रामों⁹² की ग्रेवल सड़क की कुल 19,386 किलोमीटर लम्बाई वर्ष 2010-13 के दौरान निर्माण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया था (अनुमानित लागत ₹ 3296 करोड़, पुनरीक्षित ₹ 3634 करोड़ वर्ष 2012-13 में)। सड़कों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के साथ अभिसरण कर निर्माण किया जाना था। मार्च 2013 तक 2765 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 5176.33 किलोमीटर सड़क निर्मित की गई थी।

एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं⁹³ के माध्यम से किया जाना था। योजना के अनुसार मिट्टी के कार्य श्रमिकों के माध्यम से कराये जाने थे जिसकी लागत मनरेगा से वहन की जानी थी। एम.एम.जी.एस.वाय. के कार्यान्वयन के दौरान मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की उपलब्धता के अभाव के कारण शासन द्वारा निम्नालिखित फैसले/संशोधन किए गए।

- वर्ष 2011-12 में एम.एम.जी.एस.वाय. के सड़क निर्माण कार्य 13 संभागों⁹⁴ में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सौंपे गए।
- वर्ष 2012-13 में 14 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जिलों⁹⁵ में द्वितीय एवं तृतीय चरण के समस्त कार्य (भूमि कार्य, ग्रेवल आदि) एवं पुलिया राज्य मद एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से कार्यान्वित होंगे एवं अन्य 18 गैर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जिलों⁹⁶ में समस्त कार्य बिना मनरेगा निधि पर आश्रित हुए राज्य निधि से कार्यान्वित किए जाएंगे।

⁹¹ प्रथम चरण-2010-11(30 प्रतिशत : 5816 किलोमीटर) द्वितीय चरण- 2011-12(40 प्रतिशत : 7754 किलोमीटर) एवं तृतीय चरण 2012-13 (30 प्रतिशत: 5816 किलोमीटर)

⁹² पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी योजना परिपत्र न.1 दिनांक 27 मार्च 2010

⁹³ विभाग के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें (आरईएस) एजेन्सी कार्य कर रही थी जो बारहमासी सड़क निर्माण के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।

⁹⁴ द्वितीय एवं तृतीय चरण जिले: भिण्ड, हरदा, होशंगाबाद, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, रायसेन, रीवा, सीहोर, उज्जैन, एवं विदिशा तृतीय चरण जिले: बालाघाट एवं सागर

⁹⁵ अशोकनगर, बालाघाट, छतरपुर, धार, दमोह, गुना, खण्डवा, पन्ना, रीवा, राजगढ़, सतना, सिवनी, शिवपुरी एवं उमरिया

⁹⁶ भिण्ड, छिंदवाडा, देवास, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, मंदसौर, नीमच, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन एवं विदिशा

2.4.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एम.एम.जी.एस.वाय. के कार्यान्वयन एवं आयोजना के लिए उत्तरदायी है। उन्हें प्रमुख अभियंता, राज्य स्तर पर अधीक्षक यंत्री एवं मैदानी स्तर पर कार्यपालन यंत्री/परियोजना प्रबंधक, सहायक यंत्री सहायता प्रदान करते हैं। विभाग के अधीन काम कर रही एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सड़कों के निर्माण के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है। सड़कों के निष्पादन में शामिल ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की संरचना परिशिष्ट 2.24 में दी गई है। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सौंपी गई सड़कों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।

2.4.3 क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन का लेखापरीक्षण, 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि को समाहित करते हुए, फरवरी से अगस्त 2013 के बीच आयोजित किया गया था। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 50 संभागों/जिलों में से 22 संभागों/जिलों⁹⁷ एवं प्रमुख अभियंता के कार्यालय में संधारित अभिलेखों का लेखापरीक्षण किया गया। जबकि लेखापरीक्षा में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की गई सड़कों को सम्मिलित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में विभाग से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी का एकत्रीकरण, अभिलेखों की जांच, लेखापरीक्षा ज्ञापनों को जारी कर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सम्प्रेषण एवं उनसे प्राप्त उत्तर शामिल थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त के साथ निर्गम सम्मेलन दिसम्बर 2013 में आयोजित हुआ एवं शासन/विभाग के उत्तरों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया था।

2.4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त एवं कुशल था;
- सड़कों के चयन के लिए उचित सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे एवं ग्रामीण बस्तियों को जोड़े जाने हेतु आयोजना पर्याप्त थी;
- एम.एम.जी.एस.वाय. के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य का निष्पादन कुशल था;
- अनुबंध प्रबंधन कुशल एवं प्रभावी था एवं
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त एवं कुशल थी।

⁹⁷ अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सीहोर, शाजापुर, उमरिया, उज्जैन एवं विदिशा (प्रत्येक जिले के एक आरईएस संभाग)

2.4.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्न स्त्रोतों से लिए गए थे:-

- एम.एम.जी.एस.वाय. के निष्पादन से संबंधित परिपत्र/निर्देश/आदेश;
- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता एवं मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता;
- ग्रामीण सड़क आयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राक्कलन, स्वीकृत एवं अनुमोदित विशिष्टताएं एवं
- कार्यों के अनुबंध दस्तावेज एवं सलाहकार सेवाएं।

2.4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.6.1 वित्तीय प्रबंधन

2.4.6.1 (अ) योजना के लिए धनप्रवाह

एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत निधियाँ नीचे दर्शाए अनुसार प्रदाय की जानी थी:

मनरेगा के माध्यम से: मनरेगा के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए मजदूरी का हिस्सा जॉब कार्डधारियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था। मनरेगा नियमों के अनुसार मजदूरी पर व्यय एवं मिट्टी की ढुलाई, पानी एवं सड़क निर्माण के लिए रोलिंग के अंतर्गत सामग्री पर व्यय 60:40 के अनुपात में बांटा जाना था। सलाहकार को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, पर्यवेक्षण एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु भुगतान मनरेगा योजना के प्रशासनिक मद से किया जाना था।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से: 29 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जिलों⁹⁸ में अनुबंध के आधार पर पुलियों का निर्माण किया जाना था एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के द्वारा वित्तपोषित किया जाना था।

राज्य (एम.एम.जी.एस.वाय.) निधि

- (i) बेसकोर्स, सतह कोर्स एवं ग्रेवल के निर्माण पर व्यय राज्य मद से किया जाना था (मनरेगा से मिट्टी की खुदाई एवं तैयारी के बाद)।
- (ii) निर्धारित अनुपात 60:40 से अधिक सामग्री पर किए गए अतिरिक्त व्यय के मामले में अधिक लागत राज्य मद पर भारित की जानी थी।

⁹⁸ अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर, बैतूल, बड़वानी, बुरहानपुर, बालाघाट, छतरपुर, धार, डिंडोरी, दमोह, गुना, झाबुआ, कटनी, खरगौन, खण्डवा, मंडला, पन्ना, रीवा, राजगढ़, शहडोल, सीधी, श्योपुर, सिंगरौली, सतना, सिवनी, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं उमरिया

- (iii) 21 जिलों⁹⁹ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में शामिल किए गए जिलों के अलावा) में ठेकेदारों के माध्यम से पुलियों के निर्माण किया जाना था एवं इस होने वाले व्यय का भुगतान राज्य मद से किया जाना था।
- (iv) समस्त जिलों में 6 मीटर से अधिक 10 मीटर तक की पुलियों पर होने वाले व्यय राज्य मद से किया जाना था। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा निधियाँ मंडी निधि¹⁰⁰ से उधार ली गई थी।

हमने पाया कि योजनांतर्गत सड़क एवं पुलियों की अनुमानित लागत ₹ 3296 करोड़ (2010-11) में ₹ 2050 करोड़ मनरेगा के सम्मिलित थे। वर्ष 2012-13 में अनुमान संशोधित कर ₹ 3634 करोड़¹⁰¹ कर दिए गए थे। मिट्टी कार्य के लिए श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण मनरेगा राशि ₹ 2050 करोड़ से ₹ 495 करोड़ अर्थात् ₹1555 करोड़ कम कर दी गई थी। ₹ 1893 करोड़ का (₹ 1555 करोड़ + ₹ 338 करोड़) राज्य मद से अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुमानित व्यय प्रावधान करने से पूर्व मनरेगा कोष के उपयोग के लिए समुचित अध्ययन नहीं किया गया एवं राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला गया।

2.4.6.1(ब) निधियों का आवंटन एवं उपयोग

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान अंतिम रूप से निधियों का आवंटन एवं उपयोग तालिका-1 में दर्शाया गया है;

तालिका- 1: निधियों का आवंटन एवं उपयोग की स्थिति

₹ करोड़ में

वर्ष	आवंटन/प्राप्त राशि				उपयोग की गई राशि			
	मनरेगा	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	राज्य निधि	कुल	मनरेगा	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	राज्य निधि	कुल (प्रतिशत)
2010-11	153.68	69.57	192.56	415.81	44.70	5.18	7.44	57.32 (14)
2011-12	74.31	15.63	176.40	266.34	151.04	31.60	69.40	252.04 (95)
2012-13	160.72	78.78	815.67	1055.17	187.67	50.20	363.81	601.68 (57)
योग	388.71	163.98	1184.63	1737.32	383.41	86.98	440.65	911.04 (52)

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

वर्ष 2010-13 के दौरान शासन द्वारा संशोधित अनुमानित लागत ₹ 3634 करोड़ की तुलना में मात्र ₹ 1737.32 करोड़ (48 प्रतिशत) उपलब्ध कराए गए थे। इसमें से ₹ 911.04 करोड़ (52 प्रतिशत) का उपयोग कार्यान्वयन संभागों द्वारा किया जा सका।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मनरेगा के अंतर्गत ₹ 383.41 करोड़ (आवंटन का 99 प्रतिशत) का उपयोग हुआ जबकि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के

⁹⁹ भोपाल, भिण्ड, छिंदवाड़ा, देवास, दतिया, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, मंदसौर, नीमच, नरसिंहपुर, रतलाम, रायसेन, सागर, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन एवं विदिशा

¹⁰⁰ ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए किसान मंडी सड़क निधि बनाई गई।

¹⁰¹ एमएमजीएसवाय के अंतर्गत छ: मीटर से अधिक पुलिया को शामिल करने पर ₹ 338 करोड़ की वृद्धि हुई।

अंतर्गत व्यय मात्र ₹ 86.98 करोड़ (आवंटन का 53 प्रतिशत) किया गया। राज्य मद से व्यय मात्र ₹ 440.65 करोड़ था जो आवंटन का 37 प्रतिशत था।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि निधियाँ श्रमिकों की अनुमानित उपलब्धता के अनुसार प्रदान की गई थी एवं केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा (सीपीडब्ल्यूए) कोड की धारा 16.2.1 के अनुसार जमा निर्माण के लिए अन्य संबंधित पार्टी को सकल अनुमानित व्यय अग्रिम देना चाहिए। जो कि संभागीय अधिकारी को एक-मुश्त भुगतान योग्य है।

तथ्य यह है कि प्रत्येक कार्य के स्तर पर श्रमिकों की उपलब्धता के लिए उचित आयोजना के बिना योजना प्रारंभ की गई थी। राज्य मद से प्रदाय राशियों का उपयोग न किए जाने पर कोई सुस्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया जिसके अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों की बचत 63 प्रतिशत थी।

2.4.6.1(स) निधियों का सिविल जमा में अनियमित जमा रखना

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 284 के अनुसार धनराशियों को तब तक कोषालय से आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। हमने पाया कि विकास आयुक्त ने आवंटन आदेश द्वारा कार्यपालन यंत्रों को निर्देशित किया कि आवंटन आदेश में दर्शाई गई निर्धारित तिथि तक निधियों का आहरण किया जाए।

मार्च 2013 की स्थिति में योजना की धनराशि ₹ 826.28 करोड़ सिविल जमा में रखी गई।

कार्यालय प्रमुख अभियंता के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवधि 2010-13 के दौरान आवंटित राशि ₹ 1737.32 करोड़ के विरुद्ध ₹ 911.04 करोड़ का उपयोग किया गया एवं ₹ 826.28 करोड़ का अव्ययित शेष (राज्य निधि ₹ 743.98 करोड़, मनरेगा ₹ 5.30 करोड़ एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ₹ 77 करोड़) सिविल जमा खातों में जमा किए गए।

इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के अंत में दिखाए गए व्यय ने निधियों के उपयोग की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाया। नमूना जांच किए गए संभागों में ₹ 387.98 करोड़¹⁰² व्यय से अधिक कोषालय से आहरित किए गए जिन्हें सिविल जमा खातों में रखा गया। वर्ष के अंत में निधियों का आहरण एवं सिविल जमा खातों में रखा जाना अनियमित था। फरवरी 2013 में वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई गई वित्तीय वर्ष के दौरान धनराशि का आहरण एवं सिविल जमा खातों में रखे जाने की प्रक्रिया नियमों एवं उपयुक्त वित्तीय प्रबंधन के अनुरूप नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के लिए 1 अप्रैल 2014 से इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट प्रणाली अपनाई जाएगी एवं भविष्य में अधिक आहरण न होने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

¹⁰² अनूपपुर ₹ 696.74 लाख, अशोकनगर ₹ 2263.07 लाख, बड़वानी ₹ 564.65 लाख, बालाघाट ₹ 1588.36 लाख, छिंदवाड़ा ₹ 4721.42 लाख, दमोह ₹ 5172.31 लाख, देवास ₹ 1555.45 लाख, गुना ₹ 358.00 लाख, ग्वालियर ₹ 1631.87 लाख, होशंगाबाद ₹ 1076.26 लाख, जबलपुर ₹ 6148.52 लाख, कटनी ₹ 1530.11 लाख, मंदसौर ₹ 219.88 लाख, नरसिंहपुर ₹ 666.10 लाख, रायसेन ₹ 217.58 लाख, राजगढ़ ₹ 5532.75 लाख, रीवा ₹ 866.60 लाख, सीहोर ₹ 10.80 लाख, उमरिया ₹ 2408.39 लाख एवं विदिशा ₹ 1568.77 लाख

2.4.7 आयोजना

2.4.7.1 सड़कों का चयन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो बसाहटें असंयोजित रह गई थीं उनके संबंध में एम.एम.जी.एस.वाय. के दिशानिर्देश अक्टूबर 2009 में जारी किए गए थे। जिलावार/ब्लाकवार सड़कों की संख्या, प्रस्तावित लम्बाई एवं लाभान्वित जनसंख्या की जानकारी प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा (अक्टूबर 2009) जारी की गई थी। उक्त सूचना के आधार पर प्रमुख अभियंता (मनरेगा) परिषद ने जिलाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचित किया (अक्टूबर 2009) कि कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री मनरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को वॉक थ्रू सर्वे¹⁰³ के द्वारा सड़कों के चयन के संबंध में जानकारी एकत्रित करने हेतु निर्देशित करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मार्च 2010 में निर्देश जारी किए कि एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर¹⁰⁴ की सड़क की लम्बाई न्यूनतम 20 किलोमीटर एवं अधिकतम 25 किलोमीटर होनी चाहिए। अंतिम क्लस्टर में लम्बाई 20 किलोमीटर से कम हो सकती है। असाधारण परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए अनुमोदन विकास आयुक्त से प्राप्त किया जाना था।

नमूना जांच किए गए संभागों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि:

- 19 संभागों के 131 क्लस्टर¹⁰⁵ में सड़क लम्बाई 20 किलोमीटर से कम थी एवं 13 संभागों के 45 क्लस्टर¹⁰⁶ में 25 किलोमीटर से अधिक थी। विभाग द्वारा अंतर का अनुमोदन विकास आयुक्त से नहीं लिया गया था।
- सड़कों की स्वीकृति वॉक थ्रू सर्वे के आधार पर हुई थी। नमूना जांच किए गए संभागों में हमने पाया कि वर्ष 2010-13 के दौरान स्वीकृत 3952 ग्रामीण सड़कों में से 128 सड़कें लागत ₹ 47.99 करोड़ का स्थल अतिक्रमण, निजी भूमि एवं अन्य योजनाओं के तहत शामिल होने से विवादित था। तथापि वर्ष 2010-13 के दौरान विभाग द्वारा अपूर्ण सड़को पर ₹ 5.60 करोड़ का व्यय किया गया। इससे यह दर्शित हुआ कि वॉक थ्रू सर्वे के लिए कोई निर्धारित विशेष प्रक्रिया के बिना क्षेत्र में वॉक थ्रू सर्वे किया गया। वॉक थ्रू सर्वे से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण **परिशिष्ट 2.25** में दिखाया गया है।

¹⁰³ वॉक थ्रू सर्वे: विभागीय अधिकारियों द्वारा परंपरागत तरीके से वॉक थ्रू सर्वे सड़कों के वास्तविक तथ्यों को जानने के लिए

¹⁰⁴ क्लस्टर: सड़कों का समूह क्लस्टर है।

¹⁰⁵ अनूपपुर 08 क्लस्टर, अशोकनगर 3 क्लस्टर, बड़वानी 04 क्लस्टर, बालाघाट 6 क्लस्टर, छिंदवाड़ा 2 क्लस्टर, देवास 5 क्लस्टर, गुना 34 क्लस्टर, ग्वालियर 1 क्लस्टर, होशंगाबाद 1 क्लस्टर, जबलपुर 5 क्लस्टर, कटनी 12 क्लस्टर, मंदसौर 2 क्लस्टर, नरसिंहपुर 7 क्लस्टर, रायसेन 13 क्लस्टर, राजगढ़ 4 क्लस्टर, सीहोर 4 क्लस्टर, शाजापुर 9 क्लस्टर, उज्जैन 4 क्लस्टर एवं विदिशा 7 क्लस्टर

¹⁰⁶ अनूपपुर 1 क्लस्टर, अशोकनगर 6 क्लस्टर, बालाघाट 5 क्लस्टर, दमोह 6 क्लस्टर, देवास 2 क्लस्टर, गुना 1 क्लस्टर, होशंगाबाद 3 क्लस्टर, जबलपुर 3 क्लस्टर, कटनी 6 क्लस्टर, रायसेन 4 क्लस्टर, राजगढ़ 2 क्लस्टर, शाजापुर 5 क्लस्टर एवं विदिशा 1 क्लस्टर

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्य स्वीकार किए एवं बताया कि अंतर का अनुमोदन लिया जाएगा एवं एम.एम.जी.एस.वाय. सड़कों के लिए निजी भूमि का दान करवाने के लिए अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

2.4.8 कार्यक्रम निष्पादन

एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत सड़कों के निष्पादन की जिम्मेदारी मूल्यांकन समिति, जिसके प्रमुख मुख्य अभियंता हैं, के पास होती है। समिति सड़क कार्यों के तकनीकी प्रस्तावों को भी मूल्यांकित करती है।

2.4.8.1 जोड़ी गई बसाहटें

एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत 2013 के अंत तक प्रत्येक गाँव को (500 से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गाँव एवं 250 से कम आबादी वाले आदिवासी बहुल गाँव) बारहमासी सड़क से जोड़ा जाना था।

हमने पाया कि एम.एम.जी.एस.वाय. के प्रारंभ के समय कोर नेटवर्क¹⁰⁷ के अनुसार 9992 पात्र बसाहटें सड़क नेटवर्क के साथ जुड़ी नहीं थीं। उक्त में से एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत 2013 के अंत तक 9109 असंयोजित बसाहटों को (सड़क लंबाई 19,386 किलोमीटर) जोड़ा जाना था। 2010-13 की अवधि के दौरान उजाड़ गाँवों को जोड़ती 226 सड़कें एवं एकीकृत कार्य योजना जिलों के अंतर्गत 167 सड़कें मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को स्थानांतरित/सौंपी गईं। जिसकी वजह से एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत कुल 393 सड़कों की आयोजना नहीं की गई थी। मार्च 2013 के अंत तक 2765 बसाहटों (158 आदिवासी एवं 2607 सामान्य) को एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत जोड़ा गया।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के कोर नेटवर्क से एकत्रित आंकड़ों (2004) के अनुसार सड़कों को एम.एम.जी.एस.वाय. में शामिल किया गया था। 2004 एवं मार्च 2010 के मध्य अर्थात् एम.एम.जी.एस.वाय. के प्रारंभ के पूर्व कुछ सड़कें अन्य विभागों द्वारा विभिन्न मर्दों/योजनाओं के तहत निर्मित की गई थी। अतः कुछ बसाहटों को इस अवधि में जोड़ा गया। इसके अलावा 167 सड़कें एकीकृत कार्य योजना से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को स्थानांतरित की गईं। इसलिए लक्ष्यों को 7182 बसाहटों पर एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत 17,765 किलोमीटर दूरी पूर्ण करने पर संशोधित (2012-13) किया गया।

तथ्य यह है कि कोर नेटवर्क एवं एम.एम.जी.एस.वाय. के आंकड़ों में भिन्नता थी एवं योजना के अंतर्गत समस्त असंयोजित क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया गया था।

¹⁰⁷

समस्त बस्तियों को मूलभूत पहुँच प्रदान करने के लिए कोर नेटवर्क आवश्यक सभी ग्रामीण सड़कों का जाल है।

2.4.8.2 पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई

एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत 19,386 किलोमीटर सड़कों को पूर्ण करने के लक्ष्य¹⁰⁸ निर्धारित किए गए थे जिसमें से 15,938.56 किलोमीटर सड़कों का अनुमोदन किया गया था। इसमें से 5176.33 किलोमीटर ग्रेवल सड़कों को पूर्ण किया गया था। मार्च 2013 की स्थिति में एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत पूर्ण सड़कों की लम्बाई तालिका 2 में दिखाई गई है:

तालिका 2: मार्च 2013 की स्थिति में एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत पूर्ण सड़क लम्बाई का विवरण

एजेन्सी का नाम	स्वीकृत सड़क (नम्बर)	स्वीकृत सड़क की लम्बाई (किलोमीटर)	स्वीकृत पुलिया (नम्बर)	सड़क संख्या जिनमें कार्य प्रारंभ हुआ	पूर्ण सड़क (नम्बर)	सबग्रेड पूर्ण सड़क लंबाई (किलोमीटर)	ग्रेवल पूर्ण सड़क लम्बाई (किलोमीटर)	पूर्ण पुलिया (नम्बर)	अनुमानित लागत ₹ करोड़ में	वास्तविक व्यय ₹ करोड़ में	जुड़ी बसाहटों की संख्या	
											बसाहटों की संख्या	जनसंख्या
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (प्रथम चरण)	2684	5913.59	11621	2587	1493	4610.31	3224.11	7430	1128.54	577.81	1863	521692
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (द्वितीय एवं तृतीय चरण)	2800	7112.40	14363	2390	382	3107.62	1216.69	2884	1538.15	333.22	470	113452
योग (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)	5484	13025.99	25984	4977	1875	7717.93	4440.80	10314	2666.69	911.03	2333	635144
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	1242	2912.57	6252	1096	425	1259.88	735.53	1812	580.62	192.60	432	126389
महायोग	6726	15938.56	32236	6073	2300	8977.81	5176.33	12126	3247.31	1103.63	2765	761533

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़े)

लक्षित 6726 सड़कों के विरुद्ध मात्र, 34 प्रतिशत पूर्ण हुई इसके अतिरिक्त 56 प्रतिशत लम्बाई सबग्रेड स्तर तक की गई थी

6726 स्वीकृत सड़कों के विपरीत मात्र 2300 ग्रेवल सड़क (34 प्रतिशत) एवं 32,236 पुलियाओं में से 12,126 पुलियाओं (38 प्रतिशत) का निर्माण किया गया। कुल स्वीकृत 15,938.56 किलोमीटर लम्बाई के विपरीत 8977.81 किलोमीटर सड़क सबग्रेड स्तर तक (56 प्रतिशत) निष्पादित की गई एवं 5176.33 किलोमीटर (32 प्रतिशत) सड़क कार्य पूर्ण किया गया था।

एम.एम.जी.एस.वाय. के अंतर्गत सड़कें 12 माह में पूर्ण की जाना निर्धारित थीं। हमने पाया कि विभाग ने केवल वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान वर्षवार सड़कों को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। तथापि ग्रेवल सड़कों की वास्तविक पूर्णता क्रमशः 24 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत थी।

नमूना जांच किए गए संभागों के अभिलेखों की जांच में पाया कि मार्च 2013 की स्थिति में 3952 स्वीकृत सड़कों में से मात्र 1394 ग्रामीण सड़कों (35 प्रतिशत) की 3117.25 किलोमीटर का ग्रेवल कार्य एवं 19,291 स्वीकृत पुलियाओं में से 7415 पुलियाओं (38 प्रतिशत) का निर्माण कराया गया था। नमूना जांच किए गए संभागों में

¹⁰⁸ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परिपत्र क्र. 1 दिनांक 27 मार्च 2010 जारी करके लक्ष्य निर्धारित किए।

लक्षित 9271.57 किलोमीटर लम्बाई सड़क के विरुद्ध 3117.25 किलोमीटर (34 प्रतिशत) सड़कों पर ग्रेवल कार्य पूर्ण कराये गए थे। हमने आगे पाया कि 35 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों को पूर्ण तरीके से जोड़ा गया था। जबकि 56 प्रतिशत सबग्रेड कार्य पूर्ण किए गए थे। मार्च 2013 की स्थिति में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सौंपी गई 1242 सड़कों में से 425 सड़कें (34 प्रतिशत) पूर्ण कर ली गई थी।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वीकार किया कि मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की समय से अनुपलब्धता के कारण मिट्टी कार्य समय से पूर्ण नहीं हो सके परिणामस्वरूप कार्य में विलम्ब हुआ। विवादित सड़कों को छोड़कर योजना के समस्त निर्माण कार्य जून 2014 तक पूर्ण होना संभावित है।

तथ्य यह है कि श्रमिकों की उपलब्धता की आयोजना, सड़कों के चयन में गलती, विवादित भूमि एवं वन विभाग की मंजूरी में कमी के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी जिस पर पैराग्राफ 2.4.7.1, 2.4.8.2 एवं 2.4.8.3 में चर्चा की गई है।

2.4.8.3 वनक्षेत्र में सड़क कार्य का निष्पादन न होना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वनक्षेत्र में ग्रेवल सड़क के निर्माण के संबंध में मई 2011 में निम्न निर्देश जारी किए थे।

- (i) जहाँ कार्य मार्ग की मौजूदा चौड़ाई के अनुसार किया जाना है वहाँ स्वीकृति वन विभाग के अधिकारी द्वारा दी जाएगी। जहाँ मौजूदा रास्ता चौड़ा किया जाना आवश्यक है वहाँ अनुमति वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त की जाएगी।
- (ii) जहाँ नई प्रस्तावित सड़कों की कुल लम्बाई वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है वहाँ मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत राज्य के वन विभाग से प्राप्त की जाएगी।

वन विभाग की मंजूरी में विलम्ब के कारण 623 सड़क कार्य तीन वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रारंभ नहीं हो सके

हमने पाया कि 2010-13 के दौरान 2408.89 किलोमीटर की सड़क (623 सड़क) वनक्षेत्र के अंतर्गत शामिल थी जिसमें से मार्च 2013 की स्थिति में 1864.37 किलोमीटर सड़क वन विभाग की विलंब से मंजूरी के कारण तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी निष्पादित नहीं की जा सकी। नमूना जाँच किए गए संभागों में 170 सड़कें लम्बाई 510.61 किलोमीटर (कीमत ₹ 61.72 करोड़¹⁰⁹) वनक्षेत्रों के अंतर्गत आ रहीं थी मार्च 2013 तक पूर्ण की जानी थी, जो प्रारंभ ही नहीं हुई थी। वॉक थ्रू सर्वे किए जाने से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए अतः वनक्षेत्रों में निवासरत हितग्राही एम.एम.जी.एस.वाय. के लाभ से वंचित रहे।

¹⁰⁹ अनूपपुर 5 सड़कें 21.30 कि.मी. लंबाई राशि ₹ 298.47 लाख, अशोकनगर 15 सड़कें 40.70 कि.मी. लंबाई राशि ₹ 915.11 लाख, बड़वानी 8 सड़कें 22 कि.मी. राशि ₹ 839.61 लाख, देवास 3 सड़कें 6.64 कि.मी. राशि ₹ 88.60 लाख, गुना 68 सड़कें 173.31 कि.मी. ग्वालियर 10 सड़कें 53.58 कि.मी. लंबाई राशि ₹ 987.22 लाख, होशंगाबाद 13 सड़कें 71.40 कि.मी. लंबाई राशि ₹ 711.39 लाख, कटनी 2 सड़कें 8.10 कि.मी. लंबाई राशि ₹ 245.49 लाख, नरसिंहपुर 4 सड़कें 9.70 कि.मी. लंबाई ₹ 149.96 लाख, रायसेन 6 सड़कें 12.67 कि.मी. राशि ₹ 264.49 लाख, राजगढ़ 25 सड़कें 64.33 कि.मी. लंबाई राशि ₹ 1231.21 लाख, सीहोर 6 सड़कें 14.48 कि.मी. लंबाई राशि ₹ 221.77 लाख, उमरिया 3 सड़कें 8.50 कि.मी. राशि ₹ 142.79 लाख एवं विदिशा 2 सड़कें 3.90 कि.मी. लंबाई राशि ₹ 75.76 लाख

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वीकार किया कि वनभूमि की अनापत्ति के अभाव में कार्य समय से प्रारंभ नहीं हो सके थे। तथापि वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इससे वॉक थ्रू सर्वे करने के बाद सड़क कार्य स्वीकृत किए जाने से पहले विभाग द्वारा समय से राज्य वन विभाग से वन मंजूरी प्राप्त करने की पहल किए जाने की कमी की पुष्टि होती है।

2.4.9 अनुबंध प्रबंधन

शासन के आदेश दिनांक 27 मार्च 2010 के अनुसार कार्य की अधिकता एवं कार्य की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुये क्रियान्वयन एजेन्सी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) की सहायता के लिए सलाहकार की नियुक्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी, पर्यवेक्षण एवं सड़क निर्माण की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए की जानी थी। सलाहकार की नियुक्ति के लिए दो तरह की बोली प्रणाली यानी तकनीकी एवं वित्तीय का अनुसरण किया जाना था। कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षक यंत्री द्वारा तकनीकी बोलियों को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय स्तर पर अंतिम रूप दिया जाना था। वित्तीय बोलियां प्राप्त की गई थी एवं कार्यालय विकास आयुक्त भोपाल में केन्द्रीयकृत रूप से अंतिम रूप दिया गया। प्रथम चरण में 50 संभागों में, द्वितीय चरण में 33 संभागों में एवं तृतीय चरण में 27 संभागों में सलाहकारों की नियुक्ति की गई थी। सलाहकारों की नियुक्ति एवं परामर्श कार्य में निम्नलिखित कमियां देखी गईं।

2.4.9.1 एकल निविदा की स्वीकृति

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.086 (2) एवं (4) के अनुसार प्रथम मांग में एकल निविदा को स्वीकार नहीं किया जाना है।

प्रथम चरण में एकल निविदा स्वीकार किए जाने के कारण प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ सुनिश्चित नहीं हो सका

निविदा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवधि 2010-13 के दौरान सलाहकारों के लिये 13 एकल निविदाएं (प्रथम चरण में 6, द्वितीय चरण में 3 एवं तृतीय चरण में 4) कुल ₹ 320.40 करोड़ के निर्माण के लिये प्रथम आमंत्रण में स्वीकार की गई थी। नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य सौंपे गए एवं प्रथम मांग में एकल निविदाएं स्वीकार करने के कारण प्रतिस्पर्धा का लाभ सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। हमने पाया कि प्रथम मांग की स्वीकृति के सात प्रकरणों में स्वीकृत दरें निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित अनुमानित दरों से 17 से 57 प्रतिशत अधिक थी जिसका विवरण परिशिष्ट 2.26 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्य स्वीकार किया कि दरें, अनुमानित दरों से अधिक थीं। शासन द्वारा नवंबर 2012 में प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा नहीं खोले जाने के आदेश जारी किए गए थे। इसके पश्चात प्रथम आमंत्रण में कोई एकल निविदा स्वीकार नहीं की गई।

2.4.9.2 त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी के लिए सलाहकार को अनियमित भुगतान

शर्तों के खण्ड 14 के अनुसार सलाहकार, परियोजना के एक भाग के रूप में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी करते हुए उनके द्वारा एकत्रित आंकड़ों की सटीकता, प्रारूप, चित्र, एवं तैयार अनुमानों के लिए जिम्मेदार होंगे। वे कार्य की ऐसी त्रुटियों के लिए जो परियोजना के जमीनी कार्यान्वयन के समय सामने आ सकती हैं, के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे। इस प्रयोजन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयारी एवं सेटिंग आउट (साइन बोर्ड का लगाना इत्यादि) राशि की पांच प्रतिशत राशि निष्पादन सुरक्षा के रूप में परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने तक जमा रखी जाएगी। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सलाहकार, संबंधित कार्यपालन यंत्री/परियोजना प्रबंधक द्वारा आवश्यक या निर्देशानुसार पुर्नसर्वेक्षण जांच, चित्र/प्रारूप को सही करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि सलाहकार द्वारा अपेक्षित सुधार निश्चित समय सीमा में नहीं किए जाते हैं तब कार्यपालन यंत्री/परियोजना प्रबंधक को अन्य तरीकों से सुधार करने एवं सलाहकार को देय राशि से सुधार राशि वसूल करने की स्वतंत्रता होगी।

नमूना जांच किए गए 22 संभागों में से 10 संभागों¹¹⁰ के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि पांच सलाहकार द्वारा तैयार किए गए अनुमान सटीक नहीं थे एवं सभी प्रकरणों में 30 प्रतिशत से अधिक विचलन था। परिणामस्वरूप कार्य के कार्यान्वयन के समय निर्माण मर्दों की मात्रा में वृद्धि/कमी हुई थी एवं पांच सड़क के नौ आइटम जो अनुमान में शामिल नहीं थे, कार्यान्वित किए गए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सलाहकारों द्वारा अनुबंध की शर्त 14 के अनुसार अनुमान तैयार नहीं किए गए। ग्वालियर संभाग में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विभागीय अधिकारियों अथवा अगले चरण के सलाहकारों द्वारा संशोधित कराये गए थे। यदि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उन सलाहकारों से, जिनके द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था, कराया जाता तो ₹ 0.42 लाख के भुगतान को बचाया जा सकता था।

त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी के लिए सलाहकार को ₹ 85.81 लाख का अनियमित भुगतान किया गया था

- इसके अतिरिक्त भुगतान अनुसूची में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तकनीकी स्वीकृति से पहले सलाहकार को कुल राशि का 25 प्रतिशत प्रदान करने का प्रावधान है। नमूना जांच किए गए संभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि मार्च 2013 तक 1534 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में से 350 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं किए गए थे लेकिन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जारी करने के लिए सलाहकार को 25 प्रतिशत राशि ₹ 85.81 लाख¹¹¹ का भुगतान किया गया था।
- होशंगाबाद संभाग में विभागीय अधिकारी द्वारा अनुमान हस्ताक्षरित किए गए थे इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनुमान सलाहकार द्वारा तैयार किए गए थे लेकिन सलाहकार को ₹ 32.18 लाख भुगतान कर दिया गया था।

¹¹⁰ अनूपपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, रायसेन, राजगढ़ एवं उमरिया

¹¹¹ छिंदवाड़ा ₹ 9.02 लाख, देवास ₹ 8.01 लाख, जबलपुर ₹ 11.31 लाख, रायसेन ₹ 24.47 लाख एवं राजगढ़ ₹ 33.00 लाख

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्य स्वीकार किए एवं बताया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाएगा और यदि इसी प्रकार के बिंदु दोहराए जाते हैं तो जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी एवं सलाहकार/कार्यपालन यंत्री से राशि वसूल की जाएगी।

2.4.9.3 सलाहकार फर्मों की नियुक्ति में अनियमितताएँ

आमंत्रण पत्र के पैरा 6.1.2 के अनुसार विभाग द्वारा तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की जाएगी। समिति पैरा 6.1.1¹¹² में उल्लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार मूल्यांकन करेगी। सलाहकारों को निविदा आमंत्रण सूचना/संविदा में दी गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक था।

नमूना जांच किए गए 10 संभागों¹¹³ के अभिलेखों में हमने निम्नानुसार पाया कि:

- विभाग द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति उनके अनुभव के सत्यापन के बिना, जैसा कि आमंत्रण पत्र के पैरा 6.1.1 द्वारा निर्धारित था, की गई थी।
- यद्यपि कार्यान्वयन एजेन्सी से अनुमोदन मिलने के पश्चात कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी आवश्यक थी, सलाहकारों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यान्वयन एजेन्सी के अनुमोदन के बिना की गई थी, परिणामस्वरूप अयोग्य/अनुभवहीन कर्मचारियों की तैनाती हुई।
- सलाहकारों द्वारा कर्मचारियों की यात्रा की सुविधा हेतु मुख्यालय से कार्यस्थल पर नियमित एवं समय से उपस्थिति को सुनिश्चित किए जाने हेतु वाहनों का प्रबंध नहीं किया गया।

20 सलाहकार, निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों को पूरा करने में विफल रहे एवं उन्हें ₹ 5.30 करोड़ का भुगतान किया गया।

10 जिलों में हमने पाया कि 20 सलाहकार, प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मापदंडों एवं निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहे। 2010-13 की अवधि के दौरान 20 अपात्र सलाहकारों को ₹ 5.30 करोड़¹¹⁴ का भुगतान किया गया। कर्मचारियों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने पर सलाहकार से कोई कटौती नहीं की गई। शर्तों के उल्लंघन का विवरण परिशिष्ट 2.27 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इसकी समीक्षा की जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.4.9.4 बहिष्कृत फर्म की नियुक्ति

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्यान्वयन एजेन्सियां हैं। कृष्णा टेक्नो

¹¹² सलाहकार को परामर्श सेवाएं प्रदाय करने के लिए सड़कों का पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण एवं पुलिया निर्माण कार्य का कम से कम पूर्व के तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

¹¹³ अनूपपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद, राजगढ़, रायसेन, सीहोर एवं उमरिया

¹¹⁴ अनूपपुर ₹ 3.05 लाख (2 सलाहकार), छिंदवाड़ा ₹ 31.37 लाख (3) दमोह ₹ 129.66 लाख (3) देवास ₹ 18.68 लाख (3) ग्वालियर ₹ 32.99 लाख (2), होशंगाबाद ₹ 43.00 लाख (1), रायसेन ₹ 30.82 लाख (1), राजगढ़ ₹ 150.43 लाख (3), सीहोर ₹ 36.07 लाख (1) एवं उमरिया ₹ 53.50 लाख (1)

सलाहकार प्रा.लिमिटेड भोपाल द्वारा अनुबंध के अनुसार सेवाएं प्रदाय नहीं करने के कारण मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित (सितम्बर 2010) एवं वंचित किया गया था तथापि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा फर्म को (2011-12 एवं 2012-13 के मध्य) छः संभागों में आठ पैकेज के लिए ₹ 7.07 करोड़¹¹⁵ के कार्य सौंपे गए।

बहिष्कृत फर्म को
₹ 10.84 लाख का
भुगतान किया गया

अनुबंध के पैरा 4.3 एवं 4.4 में वर्णित शर्तों के अनुसार सलाहकार द्वारा पर्याप्त एवं अनुभवी कर्मचारियों को लगाया जाना था। नमूना जांच किए गए छिंदवाड़ा संभाग में हमने पाया कि आवश्यक 22 की तुलना में मात्र छः मैदानी अभियंताओं को तैनात किया गया एवं सलाहकार द्वारा कोई सहायक सामग्री अभियंता नियुक्त नहीं किया गया। इस प्रकार सलाहकार द्वारा निष्पादित कार्यों में कमी थी एवं कार्यपालन यंत्री छिंदवाड़ा ने (मई 2012) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के काम में कई अन्य कमियां¹¹⁶ बताईं। इसके बावजूद सलाहकार को काम जारी रखने की अनुमति दी गई एवं 2011-13 की अवधि के दौरान सलाहकार को ₹ 10.84 लाख का भुगतान किया गया। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा फर्म द्वारा किए गए पूर्व कार्यों की जांच किए बिना सलाहकार सेवा सौंपी चूंकि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एक ही विभाग (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बहिष्कृत फर्म को कार्य का सौंपा जाना त्रुटिपूर्ण था।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि लेखापरीक्षा बिन्दु नोट कर लिया है एवं भविष्य में बोली दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे।

2.4.9.5 रॉयल्टी की कटौती न करना

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित प्रपत्र "क" पर अनुबंध के खण्ड 36 के अनुसार, संबंधित संभाग के कार्यपालन यंत्री ठेकेदार के चल खाता बिलों से प्रचलित दरों पर रॉयल्टी की राशि की कटौती करने के लिए जिम्मेदार हैं यदि वे कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं करते हैं।

अभिलेखों की जांच में पाया कि ठेकेदारों के चल खाता बिलों से काटी गई रॉयल्टी राशि ₹ 1.39 करोड़¹¹⁷ खनिज विभाग के शासकीय खाते में जमा नहीं कराई गई थी। मंदसौर संभाग में कटौती राशि ₹ 16.98 लाख के विपरीत ₹ 14.90 लाख खनिज विभाग में जमा (दिसम्बर 2011 से मार्च 2013) कराई गई थी। बड़वानी संभाग में किए गए कार्य के लिए तीन ठेकेदारों को ₹ 81.51 लाख का भुगतान किया गया था। जबकि मात्र दो ठेकेदारों से रॉयल्टी के रूप में एकमुश्त ₹ 0.57 लाख वसूल (जुलाई 2011 से

¹¹⁵ छतरपुर -द्वितीय चरण ₹ 55.69 लाख, छतरपुर एवं पन्ना-तृतीय चरण ₹ 52.58 लाख, छिंदवाड़ा-द्वितीय चरण ₹ 195.95 लाख, नीमच-द्वितीय चरण ₹ 99.25 लाख, तृतीय चरण ₹ 86.70 लाख, सिवनी-तृतीय चरण ₹ 69.74 लाख, टीकमगढ़-प्रथम चरण ₹ 91.07 लाख एवं द्वितीय चरण ₹ 55.69 लाख

¹¹⁶ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कुछ मद का प्रावधान नहीं किया, एमएमजीएसवाय मानदंड के अनुसार सड़क का जीवन प्रारूप नहीं लिया गया, योजना के दिशानिर्देश के अनुसार वन सड़कों की चौड़ाई नहीं ली गई एवं अनुमान जिले एसओआर के आधार पर तैयार किए गए जबकि डीपीआर राज्य एसओआर के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए थे।

¹¹⁷ देवास ₹ 20.50 लाख, गुना ₹ 64.97 लाख, कटनी ₹ 0.77 लाख एवं शाजापुर ₹ 52.99 लाख

मार्च 2013 के मध्य) किए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-13 के दौरान संभागों द्वारा ठेकेदारों को ₹ 45.69 करोड़ (अशोकनगर ₹ 43.83 करोड़ एवं उज्जैन ₹ 1.86 करोड़) का भुगतान किया गया। जबकि ठेकेदारों से कोई रॉयल्टी नहीं काटी गई। ठेकेदारों द्वारा वास्तविक सामग्री की खपत विवरण तैयार न किए जाने से लेखापरीक्षा द्वारा इन प्रकरणों में रॉयल्टी की कटौती किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि ठेकेदारों के अंतिम देयकों से रॉयल्टी की कटौती की जाएगी एवं सरकार के खाते में जमा की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि खनिज विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार चल खातों से रॉयल्टी की कटौती की जानी थी। सलाहकारों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा प्रयुक्त सामग्री खपत विवरण का भी निर्धारण नहीं किया गया था।

2.4.9.6 निर्धारित दर से स्रोत पर कर की कटौती का न किया जाना

आयकर अधिनियम की धारा 194 (जे) के अनुसार, व्यावसायिक सेवाओं या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि पर स्रोत पर कर कटौती 10 प्रतिशत की दर से की जानी थी।

दमोह संभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न सलाहकार फर्मों से स्रोत पर कर की कटौती या तो नहीं की गई या कम दरों पर (2.24 प्रतिशत) की गई, परिणामस्वरूप ₹ 40.22 लाख¹¹⁸ का स्रोत पर कर का कटौती न होना/कम होना था।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ठेकेदारों के लम्बित देयकों से स्रोत पर कर राशि की वसूली की जाएगी।

उत्तर से स्पष्ट है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्धारित दरों से स्रोत पर कर की कटौती ठेकेदारों को किए गए भुगतानों से नहीं की गई थी।

2.4.10 सड़कों का निरीक्षण

एम.एम.जी.एस.वाय. के दिशानिर्देश में उल्लिखित है कि चूंकि कार्यों की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है अतः सभी कार्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी रखी जाए। इस उद्देश्य हेतु सलाहकार, विभागीय अधिकारी एवं राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक नियमित रूप से एम.एम.जी.एस.वाय. सड़कों का निरीक्षण करें।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक ने सड़क निरीक्षण का कार्य जनवरी 2013 से अर्थात् कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि के अंत में प्रारंभ किया। जनवरी 2013 की अवधि के दौरान राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक द्वारा निरीक्षित 542 सड़कों (76 पूर्ण एवं 466 प्रगतिरत) में से 356 सड़कें संतोषजनक 157 सड़कें संतोषजनक किन्तु सुधार आवश्यक एवं 29 सड़कों में कार्य की गुणवत्ता में कमी थी।

विभागीय अधिकारियों एवं राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक द्वारा किए गए सड़क कार्यों के निरीक्षण अपर्याप्त थे

¹¹⁸ अशोकनगर-बीकोन आरवीएस एसोसिएट ₹ 17.19 लाख, छिंदवाड़ा-शार्प इंजीनियर ₹ 0.95 लाख, कृष्णा टेक्नो ₹ 1.34 लाख, पीपले ₹ 0.34 लाख, दमोह-पीकेएस इंफ्रा इंजीनियर ₹ 1.18 लाख, कृष्णा कंसल्टेंट ₹ 8.43 लाख, अनुष्का इंफ्रास्ट्रक्चर ₹ 1.58 लाख, कटनी-एलएन मालवीय ₹ 0.63 लाख, आईकोन कंसल्टेंट ₹ 1.11 लाख, रायसेन-मंगलम एसोसिएट ₹ 0.11 लाख, राजगढ़-मेसर्स स्केप एसोसिएट ₹ 2.64 लाख, शीवा-पीकेएस इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड ₹ 1.08 लाख, सीहोर-मेसर्स नायक सिंडिकेट ₹ 0.19 लाख, उमरिया-महामाया ₹ 2.35 लाख एवं उज्जैन-मेसर्स रेडीकोन प्रा.लि. ₹ 1.10 लाख

संभागों द्वारा कार्रवाई प्रतिवेदन राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक को प्रस्तुत नहीं किए गए। कमियों को दूर करने के लिए कार्यपालन यंत्री द्वारा सलाहकारों एवं ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए थे (मार्च 2013)।

मार्च 2010 के शासन के आदेशानुसार सहायक इंजीनियर द्वारा 100 प्रतिशत सड़कों का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री को कम से कम प्रत्येक कार्य के 10 प्रतिशत एवं अधीक्षण यंत्री को कम से कम 2 प्रतिशत सड़क कार्यों का निरीक्षण करना था।

नमूना जांच किए गए संभागों में हमने पाया कि सहायक अभियंता पद के ऊपर के विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण किए जाने के संबंध में कोई अभिलेख नहीं था। नमूना जांच किए 13 संभागों में 24 सड़कें असंतोषजनक और 47 संतोषजनक थीं किन्तु सुधार आवश्यक सड़कें राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक द्वारा पहचान की गईं जिन पर ₹ 16.39 करोड़ का व्यय हुआ था विवरण **परिशिष्ट 2.28** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा एवं निरीक्षण प्रणाली को सुप्रभावी बनाने के क्रम में विभाग इलेक्ट्रॉनिक माप प्रणाली शुरू करने के लिए कार्य कर रहा है।

2.4.11 निष्कर्ष

2010-13 की अवधि के दौरान योजना के लिए कुल आवंटित राशि ₹ 1737.32 करोड़ में से ₹ 826.28 करोड़ अव्ययित शेष मार्च 2013 की स्थिति में सिविल जमा खातों में रखे गए। मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों की उपलब्धता के बारे में आयोजना में कमी होने से मनरेगा के अंतर्गत मूलरूप से उपलब्ध कराए गए ₹ 1555 करोड़ बाद में राज्य मद से प्रदाय किए गए थे। जिससे राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा। सड़कों के चयन के लिए आयोजना की कमी थी जिससे विवादित भूमि (वनक्षेत्र, अतिक्रमित भूमि आदि) में बड़ी संख्या में शुरू की गई सड़कें अधूरी थीं। 2012-13 के अंत में मात्र 2300 ग्रेवल सड़कें (34 प्रतिशत) पूर्ण थीं एवं सबग्रेड स्तर तक सड़कों का काम 56 प्रतिशत लंबाई तक किया गया था। इस प्रकार लक्षित हितग्राहियों के लिए वांछित लाभ पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका था। सलाहकारों की नियुक्ति में अनियमितताएं थीं, एकल निविदा को स्वीकार कर प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं उठाया गया। अपात्र फर्मों की नियुक्ति, बहिष्कृत फर्म को कार्य सौंपना, रॉयल्टी/टीडीएस का कटौती न करने और तकनीकी रूप से अनुमोदन होने के पूर्व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी के लिए भुगतान किए जाने के उदाहरण थे। विभागीय अधिकारियों एवं राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण अपर्याप्त था।

2.4.12 अनुशंसाएं

शासन निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

- निधियों का अधिकतम उपयोग एवं आवश्यकता से अधिक धनराशि के आहरण एवं वित्तीय वर्ष के पश्चात सिविल जमा में अव्ययित राशि रखने से बचने हेतु वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

- सभी सड़कों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें ताकि लक्षित बसाहटों को जोड़ा जा सके।
- अनियमित/अनाधिकृत भुगतान से बचने के लिए ठेका अनुबंध की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
- राज्य गुणवत्ता अनुवीक्षक ने जहाँ सड़क कार्य में कमी पाई थी उन प्रकरणों में कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सड़कों का निरीक्षण किया जाए।

आयुष विभाग

(आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी)

2.5 आयुष फार्मेशियों की कार्यप्रणाली

कार्यपालन सारांश

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का पुनःनामकरण आयुष के रूप में किया गया था जिसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत उपचार प्रदान करना था। दो फार्मेशियों अर्थात् यूनानी फार्मैसी भोपाल एवं आयुर्वेद फार्मैसी ग्वालियर की स्थापना औषधि निर्माण करने तथा आयुष चिकित्सालयों एवं औषधालयों को गुणवत्ता युक्त औषधियों की आपूर्ति करने के लिये की गई थी।

- फार्मेशियों की उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए कोई कार्य आयोजना नहीं थी। कार्यसंचालन नियमावली का भी अभाव था। 2005 को छोड़कर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये थे।
- फार्मेशियां, चिकित्सालयों तथा औषधालयों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये औषधियों का उत्पादन करने में विफल रहीं और मांग की पूर्ति के लिए अन्य एजेंसियों से औषधियाँ क्रय की गई थी। कच्ची जड़ी बूटियों की अधिप्राप्ति औषधियों के उत्पादन के लिए आवश्यक मात्रा से कम थी जिसके परिणाम स्वरूप अन्ततः उत्पादन कम हुआ। वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान कच्ची जड़ी बूटियों की अधिप्राप्ति नहीं की गई।
- अत्याधिक प्रक्रिया हानि हुई। अनुमत्य प्रक्रिया हानि के लिये मानदंडों के अभाव में विभाग अधिक हानि अभिनिश्चित नहीं कर सका।
- फार्मेशियों को न लाभ न हानि के आधार पर कार्य करना था तथापि उत्पादित औषधि के प्रत्येक एक रूपये के लिए व्यय ₹ 2.93 से ₹ 7.02 के मध्य था।
- फार्मेशियां ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम 1945 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पूर्ण रूप से सज्जित नहीं थीं और उपलब्ध मशीनरी/उपकरण औषधियों के उत्पादन के लिए पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किए गये थे।
- फार्मेशियों के विभागीय निरीक्षण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा में कमी थी।

इस प्रकार गुणवत्तायुक्त औषधियों की आपूर्ति के लिए फार्मेशियों की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

2.5.1 प्रस्तावना

राज्य के लोगों को वैकल्पिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1977-78 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग का सितम्बर 2008 में आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी) नामकरण किया गया। 24 आयुष चिकित्सालयों, नौ आयुष महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों, 1773 आयुष औषधालयों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों में 36 आयुष विंग के माध्यम से आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 4.44 करोड़ (जनवरी 2010 से दिसम्बर 2012 तक) मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

आयुक्त सह संचालक (आयुक्त) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत दो आयुष फार्मेशियां नामतः शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल एवं शासकीय आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर हैं जिनके प्रमुख अधीक्षक होते हैं। आयुष चिकित्सालयों/औषधालयों से मांग प्राप्त होने पर ये आयुष फार्मेशियां औषधियों का निर्माण एवं आपूर्ति करती हैं।

इन फार्मेशियों की लेखा परीक्षा यह आकलन करने के लिये की गई थी कि क्या विभाग/फार्मेशियों की आयोजना प्रक्रिया गुणवत्तायुक्त औषधियों के उत्पादन के लिए प्रभावशाली थी; प्रचालन नियंत्रण पर्याप्त थे; प्रक्रिया हानि वास्तविक थी; वस्तु सूची नियंत्रण पर्याप्त थे; गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावशाली थे एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रभावशाली थे। आयुक्त, अधीक्षक शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल एवं अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर के कार्यालयों में संघारित अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से 2010-13 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा (मार्च से अक्टूबर 2013) की गई। यह लेखा परीक्षा विद्यमान नियमों¹¹⁹ के संदर्भ में की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.5.2 आयोजना

2.5.2.1 फार्मेशियों की कार्यसंचालन नियमावली

फार्मेशियों के प्रचालन के लिए कोई भी विभागीय नियमावली नहीं है। नियमावली के अभाव में, विभिन्न स्तरों पर कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां निर्धारित एवं न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती हैं। इसी तरह, औषधियों के निर्माण में प्रक्रिया हानि, फार्मेशियों में तैयार की गई औषधियों के मूल्यांकन की प्रणाली के भी नियम नहीं बनाये गये हैं।

2.5.2.2 औषधियों के उत्पादन के लिये आयोजना

अप्रैल 2004 में फार्मेशियों की उत्पादन क्षमता के आकलन एवं उत्पादन लक्ष्यों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने विशेष औषधियों की मांग एवं फार्मेशियों में मानव एवं तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए

¹¹⁹ मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता एवं मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम के प्रावधानों, विभाग द्वारा औषधि निर्माण के लिये निर्धारित लक्ष्य, ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम 1945.

यूनानी एवं आयुर्वेद औषधियों के निर्माण के वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों की अनुशंसा की (अप्रैल 2005)। आयुक्त द्वारा मई 2005 में उनका अनुमोदन कर दिया गया था।

2.5.2.3 उत्पादन के वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाना

हमने यह देखा कि आयुक्त ने मई 2005 में केवल एक बार औषधिवार उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए थे। उसके बाद विभाग द्वारा न तो लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और न ही पुनरीक्षित किया गया। औषधियों की वार्षिक आवश्यकता के विवरण के बारे में लेखा परीक्षा जांच के दौरान आयुक्त ने बताया (मई 2013) कि आयुष चिकित्सालयों एवं औषधालयों से मांग प्राप्त हुई थी लेकिन संचालनालय स्तर पर इसे समेकित नहीं किया गया। केन्द्रीय क्रय समिति उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार औषधियों के लिये कच्ची सामग्री की खरीद की मात्रा की अनुशंसा करती है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि चिकित्सालयों एवं औषधालयों की आवश्यकता एवं उत्पादन क्षमता के नियमित आकलन के आधार पर फार्मेशियों में औषधियों के उत्पादन के लिये कोई कार्य आयोजना नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ये फार्मेशियां चिकित्सालयों एवं औषधालयों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकी।

यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार को आवश्यकता के आधार पर फार्मेशियों के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करने का विचार करना चाहिये।

2.5.2.4 बजट एवं व्यय

2010-13 की अवधि के दौरान शासकीय यूनानी फार्मसी में ₹ 374 लाख के आवंटन के विरुद्ध ₹ 256.65 लाख¹²⁰ व्यय किए गए। इसी तरह शासकीय आयुर्वेद फार्मसी में इसी अवधि के दौरान ₹ 1087.75 लाख आवंटन के विरुद्ध ₹ 740.12 लाख¹²¹ व्यय किए गए।

हमने देखा कि 2010-13 की अवधि के दौरान फार्मेशियों द्वारा वेतन एवं भत्तों के अन्तर्गत निधियों का उपयोग आवंटन का 79 से 82 प्रतिशत था जबकि कच्ची सामग्री के क्रय के संबंध में यह केवल 49 से 57 प्रतिशत था। हमने यह भी देखा कि कच्ची सामग्री के लिये निधियों का आवंटन नगण्य था (कुल आवंटन का 40 से 43 प्रतिशत) जबकि 2010-13 के दौरान वास्तविक व्यय और भी कम था (कुल व्यय का 29 से 35 प्रतिशत)।

आयुक्त ने बताया (जून 2013 एवं अक्टूबर 2013) कि विभागीय बजट के संबंध में चर्चा के दौरान सचिव वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए कच्ची सामग्री के लिए बजट आवंटन बढ़ा दिया गया था।

2.5.3 प्रचालन नियंत्रण

2.5.3.1 कच्ची जड़ी बूटियों की वार्षिक आवश्यकता

फार्मेशियों ने बताया कि जड़ी बूटियों की मांग का पूर्वाकलन सरकार के मई 2005 के आदेश के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

¹²⁰ वेतन एवं भत्ते ₹ 165.23 लाख, मशीनरी एवं उपकरण ₹ 0.82 लाख एवं कच्ची सामग्री का क्रय ₹ 90.60 लाख।

¹²¹ वेतन एवं भत्ते ₹ 528.09 लाख, मशीनरी एवं उपकरण ₹ 0.34 लाख एवं कच्ची सामग्री का क्रय ₹ 211.69 लाख।

आयुक्त द्वारा औषधियों के उत्पादन के लिये कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे

- (i) संचालनालय द्वारा निर्धारित किए लक्ष्य एवं न्यूनतम मात्रा
- (ii) पिछले वर्ष के दौरान प्रदान की गई तैयार औषधियाँ, एवं
- (iii) उपलब्ध भंडार

वर्ष की आवश्यकता का आकलन पूर्व के वर्ष में किया जाता है। इस प्रकार, आयुक्त के पास क्रय आदेश को अंतिम रूप देने एवं पूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री प्रदान करने के लिये पर्याप्त समय होता है। अधीक्षक द्वारा मांग आयुक्त का भेजी जाती है जो निविदा आमंत्रित कर क्रय आदेश जारी करते हैं। क्रय आदेश जारी करने के पश्चात क्रय आदेशों की प्रति सामग्री प्राप्त करने एवं पूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिये संबंधित फार्मिसियों को भेजी जाती है। यदि प्रदाय में विलम्ब होता है तो पूर्तिकर्ता पर शास्ति आरोपित की जाती है। जैसा कि कंडिका 2.5.2.3 में पहले चर्चा की जा चुकी है कि औषधियों के उत्पादन या कच्ची सामग्री के खरीदी के लिए कोई योजना नहीं थी।

2.5.3.1 (अ) कच्ची जड़ी बूटियों की अधिप्राप्ति

हमने देखा कि आयुक्त द्वारा जड़ी बूटियों के मद एवं मात्रा हेतु जारी किए गये प्रदाय आदेशों एवं अधीक्षकों द्वारा सूचित की गई आकलित आवश्यकता में अंतर था। इसके परिणामस्वरूप प्रदाय में आधिक्य या कमी हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.29** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में उत्पादन के लिए कोई क्रय आदेश जारी नहीं किए गए थे।

हमने देखा कि शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल की वर्ष 2011-12 की आवश्यकता के विरुद्ध 1498 किलोग्राम एवं 64 लीटर जिसमें 22 जड़ी बूटियाँ समाहित हैं, के प्रदाय आदेश विगत वर्ष में जारी नहीं किए गये थे। 2010-11 के दौरान 20 कच्ची जड़ी बूटियों के लिए 10158 किलोग्राम एवं 765 लीटर कम मात्रा के प्रदाय आदेश जारी किए गये जबकि एक कच्ची जड़ी बूटी के लिए 15 किलोग्राम अधिक मात्रा के प्रदाय आदेश एवं एक कच्ची जड़ी बूटी के वर्ष 2011-12 के लिए बिना आवश्यकता के 100 किलोग्राम के प्रदाय आदेश जारी किए गये।

इसी तरह, शासकीय आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर में वर्ष 2011-12 की आवश्यकता के विरुद्ध 12291.640 किलोग्राम (49 टोस जड़ी बूटियाँ) एवं 1892.500 लीटर (3 द्रव्य जड़ी बूटियाँ) के लिए वर्ष 2010-11 में प्रदाय आदेश जारी नहीं किए गये थे। 2010-11 के दौरान 38 कच्ची जड़ी बूटियों के लिए 15066.490 किलोग्राम कम मात्रा के प्रदाय आदेश जारी किए गये थे जबकि 9 कच्ची जड़ी बूटियों के लिए 743.900 किलोग्राम अधिक मात्रा के प्रदाय आदेश एवं एक कच्ची जड़ी बूटी के वर्ष 2011-12 के लिए बिना आवश्यकता के 400 किलोग्राम के प्रदाय आदेश जारी किए गये।

आयुक्त ने बताया (जून 2013/अक्टूबर 2013) कि 2009-10 में केंद्रीय क्रय को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि वर्ष 2009-10 के अंत तक क्रय प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी। वर्ष 2011-12 के लिए प्रदाय आदेश जारी नहीं किए जा सके थे क्योंकि निविदा खोलने वाली समिति की कार्रवाई आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी। इस तरह वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 के लिये आवश्यकता के विरुद्ध प्रदाय आदेश जारी नहीं किए जा सके थे। इसके अतिरिक्त सीमित बजट प्रावधानों के कारण कम मात्राओं के प्रदाय आदेश जारी किए गये थे।

आयुक्त द्वारा कच्ची जड़ी बूटियों का केन्द्रीयकृत क्रय फार्मिसियों की आवश्यकता से भिन्न था। परिणामस्वरूप कच्ची सामग्री की कमी या आधिक्य हुआ

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि संचालनालय की क्रय प्रक्रिया को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है एवं आयुक्त द्वारा औषधियों के उत्पादन के लिये कच्ची जड़ी बूटियों की आपूर्ति हेतु पर्याप्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यद्यपि उत्तर में अधिक क्रय के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। सीमित बजट प्रावधान का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2010-13 के दौरान विभाग औषधियों के लिए कच्ची सामग्री के क्रय हेतु यूनानी फार्मसी में ₹ 69.40 लाख एवं आयुर्वेद फार्मसी में ₹ 2.21 करोड़ की निधियों का उपयोग करने में असफल रहा। सरकार कच्ची जड़ी बूटियों के क्रय के विकेन्द्रीकरण पर विचार कर सकती है।

2.5.3.1 (ब) कच्ची जड़ी बूटियों का अल्प उपयोग

कच्ची जड़ी बूटियों का क्रय बड़ी मात्रा में उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखे बिना किया गया परिणाम स्वरूप स्टॉक अप्रयुक्त रहा।

उपलब्ध भंडार एवं 2010-13 के अवधि के दौरान की गई क्रय के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि यूनानी फार्मसी भोपाल में वर्ष 2011-12 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 2010-11 में 10 जड़ी बूटियों के 1128 किलोग्राम की मांग जारी की गई थी इसके विरुद्ध 945 किलोग्राम जड़ीबूटियां प्राप्त की गई थी। इन जड़ी बूटियों का आरम्भिक शेष 2174 किलोग्राम था उस वर्ष के दौरान केवल 1450 किलोग्राम कच्ची जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया था एवं अंतिम शेष 1669 किलोग्राम था जैसा कि **परिशिष्ट 2.30** में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि आवश्यकताओं का आकलन एवं क्रय औचित्यपूर्ण नहीं था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के लिये 6389 किलोग्राम एवं 1515 लीटर की मांग के विरुद्ध 2010-11 में 5494 किलोग्राम एवं 750 लीटर 34 कच्ची जड़ी बूटियाँ प्राप्त की गई थी जिसमें से वर्ष 2011-12 में केवल 3344 किलोग्राम एवं 600 लीटर का उपयोग किया गया था जो यह दर्शाता है कि उपलब्ध कच्ची जड़ी बूटियों का उपयोग औषधि उत्पादन के लिए नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.31** में दर्शाया गया है।

उपलब्ध भंडार एवं 2010-13 की अवधि के दौरान की गई क्रय के लेखा परीक्षा विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर में वर्ष 2011-12 (4661 किलोग्राम) की आकलित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वर्ष 2010-11 में 10 जड़ी बूटियां 3611 किलोग्राम प्राप्त की गई थी। इन जड़ी बूटियों का आरम्भिक शेष 5921 किलोग्राम था। वर्ष के दौरान केवल 2958 किलोग्राम कच्ची जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया था जबकि अंतिम शेष 6574 किलोग्राम था जैसा कि **परिशिष्ट 2.32** में दर्शाया गया है। इस तरह प्राप्त की गई आपूर्ति का वर्ष 2011-12 में उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 2011-12 के लिए (11623 किलोग्राम) की आवश्यकता के विरुद्ध वर्ष 2010-11 में 8759 किलोग्राम 18 कच्ची जड़ी बूटियाँ प्राप्त की गई थी जिसमें से वर्ष 2011-12 में 3785 किलोग्राम का उपयोग किया गया था। इस तरह वर्ष 2011-12 में 18 जड़ी बूटियों का आवश्यकता से अधिक क्रय किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.33** में दर्शाया गया है।

इस ओर इंगित किए जाने पर अधीक्षक शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल ने बताया कि (जून 2013) औषधियों के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी घटक उपलब्ध नहीं थे जिसका परिणाम औषधि का उत्पादन न होना एवं कच्ची जड़ी बूटियों का उपयोग न होना हुआ। जड़ी बूटियों का उपयोग भविष्य में किया जाएगा। अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर ने बताया कि औषधि घटकों के पूर्ण न होने के कारण औषधियों का उत्पादन नहीं किया जा सका था।

उत्तर सही नहीं हैं क्योंकि आयुक्त ने फार्मिसियों द्वारा भेजी गई आवश्यकता के बिना कुछ कच्ची जड़ी बूटियों का क्रय किया जैसा कि पूर्व कंडिका में चर्चा की जा चुकी है।

2.5.3.2 उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त न होना

जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है (कंडिका 2.5.2.3), वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान औषधियों के उत्पादन के लिए कोई कार्ययोजना नहीं थी। फार्मिसियों की उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए कोई कार्य योजना नहीं थी। मई 2005 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की स्थिति एवं वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान वास्तविक उत्पादन उत्तरवर्ती उप कंडिकाओं में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-1 उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

शासकीय यूनानी फार्मसी, भोपाल							
वर्ष	संचालनालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य (2005)		वास्तविक उत्पादन		उत्पादन में कमी		कमी का प्रतिशत
	औषधियों की संख्या	मात्रा	औषधियों की संख्या	मात्रा	औषधियों की संख्या	मात्रा	
(अ) - द्रव्य औषधियों का उत्पादन (लीटर में)							
2010-11	14	10701	-	-	14	10701	100
2011-12	14	10701	4	262	10	10439	98
2012-13	14	10701	1	80	13	10621	99
योग	42	32103	05	342	37	31761	-
(ब) - ठोस औषधियों का उत्पादन (क्विटल में)							
2010-11	86	370.94	19	66.50	67	304.44	82
2011-12	86	370.94	53	111.37	33	259.57	70
2012-13	86	370.94	25	86.89	61	284.05	77
योग	258	1112.82	97	264.76	161	848.06	-
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर							
(अ) - द्रव्य औषधियों का उत्पादन (लीटर में)							
2010-11	13	49700	3	990.000	10	48710.000	98
2011-12	13	49700	5	2587.150	8	47112.850	95
2012-13	13	49700	4	1363.700	9	48336.300	97
(ब) - ठोस औषधियों का उत्पादन (क्विटल में)							
2010-11	46	702.65	31	218.60	15	484.05	69
2011-12	46	702.65	30	176.02	16	526.63	75
2012-13	46	702.65	34	165.88	12	536.77	76

स्रोत:- संबंधित फार्मसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

हमने देखा कि फार्मिसियाँ उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहीं एवं यूनानी फार्मसी, भोपाल में द्रव्य औषधियों में कमी 98 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य एवं ठोस औषधियों में 70 प्रतिशत से 82 प्रतिशत के मध्य रही। इसके अतिरिक्त 2010-13 की अवधि के दौरान आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर में द्रव्य औषधियों में कमी 95 प्रतिशत से 98 प्रतिशत के मध्य एवं ठोस औषधियों में 69 से 76 प्रतिशत के मध्य रही। कुछ औषधियाँ जिनका उत्पादन किया जाना है, की सूची परिशिष्ट 2.34 में दी गई है। हमने कच्ची जड़ी बूटियों की अधिप्राप्ति एवं उपयोग में कमी देखी जिसकी चर्चा कंडिका 2.5.3.1(अ) एवं 2.5.3.1(ब) में की जा चुकी है। हमने यह भी देखा कि

चिकित्सालयों/औषधालयों को आपूर्ति करने हेतु औषधियाँ अन्य एजेन्सियों¹²² से क्रय की गई थी। इस प्रकार गुणवत्तायुक्त औषधियों के उत्पादन हेतु फार्मेशियों की स्थापना का उद्देश्य पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जा सका।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मई 2013)अधीक्षकों ने बताया कि उत्पादन में कमी का कारण औषधि उत्पादन हेतु कच्ची जड़ी बूटियों के सभी घटकों का उपलब्ध न होना था उत्पादन में कमी पुरानी मशीनों के कार्य न करने एवं स्टाफ की कमी के कारण भी थी।

उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय क्रय प्रणाली के माध्यम से कच्ची जड़ी बूटियाँ उपलब्ध कराने में असफल रहे एवं कच्ची जड़ी बूटियों को क्रय करने हेतु उपलब्ध कराए गए बजट का उपयोग भी नहीं किया।

2.5.3.3 उत्पादित औषधियों के मूल्य की तुलना में उन पर किया गया व्यय

इन फार्मेशियों की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य न लाभ न हानि के आधार पर गुणवत्तायुक्त औषधियों का उत्पादन कर राज्य के आयुष चिकित्सालयों/औषधालयों आपूर्ति करना था।

औषधियों के मूल्य निर्धारण के लिये कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की गयी थी। एक रुपये मूल्य की उत्पादित औषधि के लिये व्यय ₹ 2.93 से ₹ 7.02 तक के मध्य था।

फार्मेशियों द्वारा उत्पादित औषधियों के मूल्य का निर्धारण उपयोग की गयी सामग्री का मूल्य, उस पर 30 प्रतिशत जो कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं उत्पादन में उपयोग की गई विद्युत व्यय एवं पैकिंग व्यय जोड़कर किया जाता है। हमने देखा कि मूल्य गणना के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। फार्मेशियों ने बताया (मई 2013) कि यह पद्धति पूर्व प्रथा के आधार पर अपनाई गई थी। संचालनालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि इस संबंध में उनके स्तर से कोई भी आदेश जारी नहीं किए गये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि औषधियों के मूल्य निर्धारण के लिये पूर्ण परिभाषित एवं प्रमाणित पद्धति उपलब्ध नहीं थी। फार्मेशियों निर्माण लेखा तैयार नहीं कर रहीं है।

फार्मेशियों द्वारा उत्पादित औषधियों के मूल्य एवं कुल व्यय की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया है कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान शासकीय यूनानी फार्मेशी द्वारा उत्पादित औषधि का मूल्य कुल व्यय का 15 से 34 प्रतिशत था। शासकीय आयुर्वेद फार्मेशी में यह 14 से 23 प्रतिशत था जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-2: उत्पादित औषधियों के मूल्य की तुलना में उन पर किया गया व्यय

वर्ष	व्यय (₹ लाख में)	उत्पादित औषधियों का मूल्य (₹ लाख में)	व्यय के संदर्भ में औषधियों के मूल्य का अनुपात
शासकीय यूनानी फार्मेशी, भोपाल			
2010-11	74.95	13.26	1:5.65
2011-12	59.86	20.44	1:2.93
2012-13	121.84	18.73	1:6.51
योग	256.65	52.43	

¹²² मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल, म.प्र. लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल,मेंसर्स दवाखाना तिब्बिया कालेज ए.एम.यू अलीगढ़, मेंसर्स इंडियन मेंडीसिन फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड मोहान जिला अल्मोडा

शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर			
वर्ष	व्यय (₹ लाख में)	उत्पादित औषधियों का मूल्य (₹ लाख में)	व्यय के संदर्भ में औषधियों के मूल्य का अनुपात
2010-11	228.48	53.02	1:4.31
2011-12	207.74	42.94	1:4.84
2012-13	303.90	43.32	1:7.02
योग	740.12	139.28	-

स्रोत:- संबंधित फार्मसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

उत्पादन व्यय औषधि के मूल्य से कई गुना था

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान ₹ 1 मूल्य की औषधि के उत्पादन के लिए यूनानी फार्मसी भोपाल में उत्पादन का मूल्य ₹ 2.93 से ₹ 6.51 के मध्य एवं आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर में ₹ 4.31 से ₹ 7.02 के मध्य निकाला गया। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए औषधियों का उचित मूल्य निर्धारण नहीं किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर अधीक्षकों ने बताया (जून 2013) कि उत्पादन में कमी का कारण औषधियों के लिए कच्ची जड़ी बूटियों की अनुपलब्धता/अपर्याप्त आपूर्ति था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि वर्ष में औषधियों के उत्पादन के लिये कच्ची सामग्री का क्रय करने की आयोजना पूर्ववर्ती वर्ष में ही बना ली जाती है। इससे उत्पादन क्षमता को उपयोग करने के लिये आयोजना की कमी भी दर्शित होती है जिससे उत्पादन का मूल्य अधिक हो जाता है।

2.5.3.4 अन्य एजेन्सियों से औषधियों का क्रय

उत्पादन न होने से औषधियों की बड़ी मात्रा (17 से 95 प्रतिशत) का क्रय अन्य एजेन्सियों से किया गया था

फार्मसियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित चिकित्सालयों/औषधालयों को गुणवत्ता युक्त औषधियों की आपूर्ति करना था। तथापि अपर्याप्त उत्पादन के कारण औषधियों का क्रय अन्य एजेन्सियों से किया जा रहा था। 2010-13 की अवधि के दौरान फार्मसियों में उत्पादित एवं अन्य एजेन्सियों से क्रय की गई औषधियों का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका:-3 अन्य एजेन्सियों से औषधियों के क्रय का विवरण

वर्ष	फार्मसी का नाम	औषधियों का मूल्य			
		फार्मसी में उत्पादित (₹. लाख में)	प्रतिशत	अन्य एजेन्सियों से क्रय (₹. लाख में)	प्रतिशत
2010-11	यूनानी फार्मसी भोपाल	13.26	(61)	8.58	(39)
2011-12	यूनानी फार्मसी भोपाल	20.44	(57)	15.68	(43)
2012-13	यूनानी फार्मसी भोपाल	18.73	(83)	3.83	(17)
2010-11	आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर	53.02	(6)	799.66	(94)
2011-12	आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर	42.94	(10)	372.45	(90)
2012-13	आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर	43.32	(5)	777.42	(95)

स्रोत:- संचालनालय एवं संबंधित फार्मसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि औषधियों का अधिकांश भाग मुख्यतः आयुर्वेद औषधियाँ अन्य एजेन्सियों से खरीदी जा रही थी। अन्य एजेन्सियों से खरीदी गई औषधियों की उदाहरणार्थ सूची परिशिष्ट 2.35 में दर्शाई गई है। इस तरह शासकीय फार्मसियों द्वारा उत्पादित गुणवत्तायुक्त औषधियों की आपूर्ति का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था।

2.5.3.5. मशीनरी/उपकरण**2.5.3.5 (अ) अपर्याप्त मशीनरी एवं उपकरण**

ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम के अंतर्गत अनुशंसित मानदण्डों के विपरीत यूनानी फार्मसी एवं आयुर्वेद फार्मसी में प्रत्येक में 28 मशीनों की कमी थी

ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम 1945 के नियम 157 के अंतर्गत अनुसूची टी में आयुर्वेद एवं यूनानी प्रणाली की औषधियों की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण के लिए मशीनरी/उपकरण की सूची की अनुशंसा की है। लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि यूनानी फार्मसी के लिए अनुशंसित 45 मशीनरी/उपकरण में से 28 मशीनरी/उपकरण प्रारंभ से उपलब्ध नहीं थे। इसी तरह आयुर्वेद फार्मसी के लिए नियमों के अंतर्गत 48 मशीनरी/उपकरण की अनुशंसा की थी उसमें से फार्मसी के पास 28 मशीनरी/उपकरण उपलब्ध नहीं थे जिनका विवरण परिशिष्ट 2.36 में दिया गया है।

इस ओर इंगित करने पर (मई 2013) अधीक्षक यूनानी फार्मसी ने बताया (मई 2013) कि मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया (अक्टूबर 2013) कि प्रकरण को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उत्पादन में कमी मशीनों की अनुपलब्धता के कारण है। आयुर्वेद फार्मसी के संबंध में अधीक्षक ने बताया (मई 2013) था कि फार्मसी में केप्सूल तैयार नहीं किए गए एवं गुटिका/वटी हाथ से तैयार किए जा रहे थे।

फार्मसियों में अपर्याप्त मशीनरी/उपकरण से उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान मशीनरी की खरीद के लिये उपलब्ध कराई गई निधि का भी अल्प उपयोग किया गया।

2.5.3.5 (ब) अप्रयुक्त मशीनरी एवं उपकरण

हमने देखा कि यूनानी फार्मसी में मार्च 2004 से जनवरी 2005 के दौरान अधिप्राप्ति की गई ₹13.10 लाख की पांच मशीन¹²³ एवं उपकरण 2010-11 से अप्रयुक्त पड़ी हुई थी एवं आयुर्वेद फार्मसी में जून 2004 से अप्रैल 2005 के दौरान खरीदी गई ₹16.58 लाख के 12 मशीन¹²⁴ एवं उपकरण जून 2004 एवं अक्टूबर 2011 के मध्य से उपयोग नहीं किए गए थे तथा अक्टूबर 2013 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मार्च 2013) अधीक्षक यूनानी फार्मसी ने बताया (मार्च 2013) कि तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती न होने, पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के कारण मशीनरी अप्रयुक्त पड़ी रहीं। अधीक्षक आयुर्वेद फार्मसी ने बताया (मई 2013) कि मशीनरी कम क्षमता, पैकिंग सामग्री के क्रय न किए जाने, ग्लास बोतल के स्थान पर प्लास्टिक बोतल का उपयोग किए जाने, तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती न किए जाने, कैप्सूल के न बनाये जाने, विद्युत की उपलब्धता के कारण अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

दोनों फार्मसियों में संयंत्र एवं मशीनें अप्रयुक्त पड़ी रहीं जिसके कारण उत्पादन में गुणवत्ता एवं मात्रा पर प्रभाव पड़ा

¹²³ 1. स्टीम डिस्टिलेशन प्लान्ट ₹ 3.20 लाख 2. ट्यूब क्रिम्पिंग विथ ट्यूब फिलिंग मशीन ₹ 0.22 लाख 3. जनरेटर ₹ 7.51 लाख 4. अवलेह फिलिंग मशीन ₹ 1.06 लाख 5. टेबलेट कोटिंग एवं पालिसिंग मशीन ₹ 1.11 लाख ।

¹²⁴ 1. 6 खरल ₹ 5.54 लाख 2. ट्यूब क्रिम्पिंग एण्ड फिलिंग मशीन ₹ 0.23 लाख 3. होरीजेंटल ऑटो कलेव ₹ 2.16 लाख 4. हाइड्रोमीटर ₹ 0.03 लाख 5. डी.ह्यूमिडिफायर ₹ 0.43 लाख 6. जनरेटर ₹ 7.45 लाख 7. आटोमेटिक टविन हेड लिक्विड फिलिंग मशीन ₹ 0.74 लाख ।

उत्तरों से यह दर्शित हुआ कि औषधियों के उत्पादन में मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीनरी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने की पहल में कमी हुई।

यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार उत्पादन में सुधार के लिये पर्याप्त मशीनरी एवं उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु विचार करे।

2.5.3.6 प्रक्रिया हानि के मानदंडों को निर्धारित न करना

सरकार/विभाग ने औषधियों के निर्माण के दौरान प्रक्रिया हानि¹²⁵ के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित नहीं किए थे। लेखा परीक्षा जांच में यह प्रकट हुआ कि 2010-13 की अवधि के दौरान शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल में 19 से 57 प्रकार के शास्त्रोक्त औषधियाँ एवं शासकीय आयुर्वेद ग्वालियर में 34 से 38 प्रकार की औषधियाँ उत्पादित की गई थी। औषधियों के निर्माण में प्रक्रिया हानि (10 प्रतिशत से अधिक) के प्रकरणों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 4:- औषधियों के निर्माण में प्रक्रिया हानि

सरल क्र.	उत्पादित औषधियों का नाम	प्रक्रिया हानि का प्रतिशत
शासकीय यूनानी फार्मसी, भोपाल		
1	इत्रीफल शाहत्रा	32
2	मरहम ए राल	28
3	रोगन ए सूरन्जान	57
4	दवा ए सुर्फा स्याह	23
5	सुफुफ अबयाज	20
6	सुफुफ चुटकी	10
7	रोगन ए तुर्ब	72
8	दवा ए सुर्फा जर्द	13
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी भोपाल		
1.	कामदुधा रस	21
2.	अष्टांग लवण चूर्ण	10
3.	शुद्ध टंकण	43
4.	शुद्ध स्फटिका चूर्ण	48
5.	गोदन्ती भस्म	22
6.	मुक्ता शुक्ति भस्म	13

स्रोत:- संबंधित फार्मसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

निर्धारित मानदंडों के अभाव में जड़ी बूटियों का इष्टतम उपयोग एवं अधिक प्रक्रिया हानि के कारण अभिनिश्चित नहीं किए जा सके थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मार्च एवं मई 2013) विभाग एवं अधीक्षकों ने बताया कि विभाग द्वारा औषधियों के निर्माण में प्रक्रिया हानि के मानदंडों को निर्धारित नहीं किया गया था। सरकार निर्माण हानि के मानदंडों को निर्धारित करने पर विचार करे।

प्रक्रिया हानि के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं थे। वास्तविक प्रक्रिया हानि 72 प्रतिशत तक रही

¹²⁵ कच्ची सामग्री की आगत मात्रा तथा उत्पादित औषधियों की निर्गत मात्रा के मध्य का अंतर प्रक्रिया हानि होती है।

2.5.4 वस्तु सूची नियंत्रण

2.5.4.1 जड़ी बूटियों का अधिक भंडार

वर्ष 2010-13 के दौरान फार्मसियों में जड़ी बूटियों की भंडार की स्थिति का वर्षवार मूल्य एवं उपयोग निम्नानुसार था।

कच्ची जड़ी बूटियों की भंडार स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

तालिका:-5 कच्ची जड़ी बूटियों की भंडार स्थिति का विवरण

वर्ष	आरम्भिक स्टॉक	वर्ष के दौरान क्रय	कुल	वर्ष के दौरान उपभोग	अंतिम स्टॉक	उपभोग का प्रतिशत
शासकीय यूनानी फार्मसी, भोपाल						
2010-11	29.53	18.58	48.11	10.28	37.83	21
2011-12	37.83	0.50	38.33	15.81	22.52	41
2012-13	22.52	52.03	74.55	13.64	60.91	18
शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर (औसत दर¹²⁶ के अनुसार)						
2010-11	42.40	52.91	95.31	35.54	59.77	37
2011-12	59.77	2.91	62.68	26.92	35.76	43
2012-13	35.76	113.27	149.03	30.04	118.99	20

स्रोत :- संबंधित फार्मसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कच्ची जड़ी बूटियों का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद, उपलब्ध स्टॉक का उपभोग सुनिश्चित किए बिना क्रय किया गया था।

हमने यह भी देखा कि 2012-13 के अंत में ₹ 60.91 लाख एवं ₹ 118.99 लाख मूल्य की कच्ची जड़ी बूटियां स्टॉक में पड़ी हुई थी।

हमने यह देखा कि 29 जड़ी बूटियां जिनका मूल्य ₹ 3.72 लाख था 3 से 10 वर्ष से अधिक समय से यूनानी फार्मसी के स्टॉक में पड़ी थी जैसा कि परिशिष्ट 2.37 में दर्शाया गया है। इसी तरह से आयुर्वेद फार्मसी में ₹ 0.75 लाख मूल्य की 5 जड़ी बूटियां¹²⁷ सात से दस वर्ष से अधिक समय से स्टॉक में पड़ी थीं एवं औषधियों के रूप में उपयोग करने की समय सीमा समाप्त हो गई थी। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान यूनानी फार्मसी भोपाल में कच्ची सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। आयुर्वेद फार्मसी ग्वालियर में केवल 2010-11 में भौतिक सत्यापन किया गया था। इसलिए दोनों अधीक्षकों को चालू वर्षों के दौरान स्थिति की जानकारी नहीं थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मई 2013 एवं जून 2013) अधीक्षकों ने बताया कि शेष कच्ची जड़ी बूटियों का उपयोग भविष्य में औषधियों के निर्माण के लिए किया जाएगा। जड़ी बूटियों के उपयोग हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त पूर्ण करने वाले स्टॉक के संबंध में कार्रवाई संचालनालय के मार्ग दर्शन के अनुसार की जावेगी।

यूनानी फार्मसी में 29 कच्ची जड़ी बूटियाँ 3 से 10 वर्षों तक स्टॉक में पड़ी रही

¹²⁶ औसत दर = कुल मूल्य/कुल मात्रा, जहां (कुल मूल्य=पुराने भंडार का मूल्य+वर्ष के दौरान नई क्रय का मूल्य) और (कुल मात्रा= पुराने भंडार की मात्रा+ नई क्रय की मात्रा)। आयुर्वेद फार्मसी औसत दर के अनुसार भंडार लेखा का संधारण करती है।

¹²⁷ जायपत्री ₹ 5050, तेल सरसों ₹62964, पादल की छाल ₹ 2090, पोदीना सूखा ₹2616, लाक्षा ₹ 2684

उत्तर में क्रय की गई कच्ची जड़ी बूटियों के अल्प उपयोग के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्टॉक के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

2.5.5 गुणवत्ता नियंत्रण

2.5.5.1 कच्ची सामग्री एवं उत्पादित औषधियों का परीक्षण न किया जाना

ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम 1945 के अनुसूची टी भाग प्रथम 1.1 जनरल रिक्वायरमेंट 1.1 (एफ) (ए) के प्रावधान के अनुसार सभी कच्ची सामग्रियों का नमूना लिया जाएगा एवं इनका परीक्षण या तो आयुर्वेद, सिद्धा एवं यूनानी विशेषज्ञों (गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकी व्यक्ति) के द्वारा फार्मसी में अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में करवाया जाएगा एवं अनुमोदित सत्यापन के पश्चात ही इसका उपयोग किया जाएगा। प्राप्ति, परीक्षण, अनुमोदन या अस्वीकृति एवं कच्ची सामग्री के उपयोग के अभिलेख संधारित किए जाएंगे। अनुसूची टी भाग प्रथम 1.1(एन) गुणवत्ता नियंत्रण के अनुसार प्रत्येक लाइसेंसधारी के लिए आवश्यक है कि उत्पादित औषधियों की जांच के लिये वह स्वयं के परिसर में गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग या सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराये। गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग भाग दो सी में अनुशंसित उपकरण रखेगा।

हमने देखा कि आयुक्त ने अनुमोदित नमूनों के संदर्भ में कच्ची सामग्री के प्राप्ति के सत्यापन के लिए माल दाखिला समिति नियुक्त की जिसमें आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के क्षेत्र के विशेषज्ञ थे।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि फार्मसियों में कच्ची सामग्री के नमूने लिए गए थे इन नमूनों का परीक्षण आयुर्वेद एवं यूनानी विशेषज्ञों द्वारा फार्मसियों में या अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा किया था। कच्ची जड़ी बूटियों के नमूनों का परीक्षण, अनुमोदन या अस्वीकृति के संबंध में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गये। फार्मसियों के अभिलेखों की जांच में पाया कि फार्मसियों के पास अपने परिसर में न तो उत्पादित औषधियों के अपने यहां गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अनुशंसित उपकरण युक्त दवा परीक्षण प्रयोगशाला थी और न ही उनका शासन द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से परीक्षण कराया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर (जून 2013) दोनों अधीक्षकों ने बताया कि संचालनालय से प्राप्त नमूने के साथ मिलान के पश्चात, माल दाखिला समिति के अनुमोदन के पश्चात कच्ची सामग्री की आवक की गई थी। उत्पादित औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के परीक्षण न करने पर अधीक्षकों एवं संचालनालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि परिसर में दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं थी एवं शासकीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला के असंचालन के कारण गुणवत्ता नियंत्रण के लिए औषधियों का परीक्षण नहीं कराया गया।

इस प्रकार ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम 1945 के प्रावधानों की उपेक्षा की गई थी। गुणवत्ता के परीक्षण के अभाव में कच्ची सामग्री का क्रय एवं गुणवत्तायुक्त औषधियों का उत्पादन प्रश्न योग्य हो जाता है एवं मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कच्ची जड़ी बूटियों का अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पादित औषधियों में गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव था

2.5.6 आंतरिक नियंत्रण

2.5.6.1 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

निरीक्षण एवं आंतरिक
लेखापरीक्षा में कमी थी

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभाग की सुचारु कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली साधन है। फार्मेशियों की कार्यप्रणाली के लिए कोई भी निर्धारित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

जांच में पाया गया कि आयुक्त की आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर में एक यात्रा को छोड़कर विभागीय अधिकारियों द्वारा न तो किसी भी फार्मसी का निरीक्षण किया गया और न ही 2010-13 के दौरान संचालनालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल के अवधि जनवरी 2009 से अप्रैल 2011 को छोड़कर कोई लेखा परीक्षा की गई थी।

उपरोक्त स्थिति से यह दर्शित होता है कि निरीक्षण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की मुख्यतः उपेक्षा की गई थी।

यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार नियंत्रण तंत्र का सुदृढीकरण एवं निरीक्षणों पर विचार करे।

2.5.6.2 अनुवीक्षण के लिये प्रतिवेदन/विवरणी का संधारण करना

अनुवीक्षण तन्त्र का
अभाव

अधीक्षकों द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक जानकारी प्रतिवेदनों/विवरणियों के माध्यम से संधारित नहीं की गई थी। इस तरह एक माह में भंडार से उत्पादन अनुभाग को जारी सामग्री का विवरण एवं उस माह में उस अनुभाग द्वारा उत्पादित मात्रा तुरन्त उपलब्ध नहीं थी। अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका था कि उत्पादन, अनुभाग को जारी की गई सामग्री के अनुसार था। हमने यह भी देखा कि संचालनालय को उत्पादन का मासिक या आवधिक विवरण प्रेषित करने हेतु कोई अनुवीक्षण तंत्र विकसित नहीं किया गया था। इस ओर इंगित किए जाने पर यह पुष्टि की गई (जून 2013) कि अधीक्षक शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल द्वारा संचालनालय को उत्पादन का कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था। जबकि ग्वालियर आयुर्वेद फार्मसी द्वारा प्रतिवेदन भेजे जा रहे थे, आयुक्त द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति न करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.5.7 निष्कर्ष

आयुष फार्मेशियों की स्थापना का उद्देश्य सभी आयुष चिकित्सालयों एवं औषधालयों को गुणवत्तायुक्त औषधियों की आपूर्ति करना था। तथापि फार्मेशियों की कार्य के प्रति सामान्यतः उदासीनता थी क्योंकि फार्मेशियों की उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए आयोजना की कमी थी। यहां कोई कार्यसंचालन नियमावली नहीं थी एवं आवश्यकता के आधार पर औषधियों के उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये थे। फार्मेशियां आवश्यकता की पूर्ति हेतु औषधियां उत्पादित करने में विफल रहीं एवं औषधियाँ अन्य एजेन्सियों से क्रय की गई थी। औषधियों के उत्पादन के लिये कच्ची जड़ी बूटियों की अधिप्राप्ति हेतु केन्द्रीय क्रय प्रणाली क्रय करने एवं फार्मेशियों को कच्ची जड़ी बूटियों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने में विफल रही। प्रक्रिया हानि के लिये मानदंड निर्धारित नहीं थे एवं उत्पादन में अत्यधिक हानियां थी। फार्मेशियों को न लाभ न

हानि के आधार पर कार्य करना था तथापि उत्पादित औषधि के प्रत्येक एक रूपये के लिए व्यय ₹ 2.93 से ₹ 7.02 के मध्य था। फार्मेशियाँ ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम 1945 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पूर्ण रूप से सज्जित नहीं थी अप्रयुक्त मशीनरी/उपकरण पाये गये। विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा में कमी थी। इस तरह फार्मेशियों की स्थापना के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

प्रकरण सरकार को अगस्त 2013 में अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 में जारी स्मरण पत्रों के साथ प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर (नवम्बर 2013) प्राप्त नहीं हुए हैं।